वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प दिनांक 01 जून, 2005 के अंतर्गत यथापेक्षित अपनी आठवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

इस रिपोर्ट में 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि ली गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

नई दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय सांख्यिकी संस्थान तथा अनेक शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को उनके सहयोग और आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान दी गई बहुमूल्य जानकारियों और सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता है। यह आयोग के कारगर कार्यकरण में, विशेषकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता है।

आयोग के इस कार्य में विशिष्ट पदाधिकारियों, विशेषकर डॉ. टी. सी. ए. अनंत, सीएसआई, श्री ए. के. मेहरा, महानिदेशक (एनएसएसओ) तथा श्रीमती एस. जयलक्ष्मी, महानिदेशक (सीएसओ) से प्राप्त सक्रिय सहयोग और सहायता उल्लेखनीय है। आयोग, श्री एम. वी. एस. रंगनाधम, उपमहानिदेशक तथा आयोग सचिवालय के सहायक स्टॉफ, जिनके अथक प्रयासों के बिना आयोग का कार्य संभव नहीं हो पाता, की भूमिका की हार्दिक सराहना करता है।

(प्रो. बिश्वनाथ गोल्दार)
सदस्य

(प्रो. एस. महेन्द्र देव)
सदस्य

(प्रो. राहुल मुखर्जी)
सदस्य

(रमेश कोल्ली)
सदस्य

(श्रीमती सिन्धुश्री खुल्लर)
सचिव, योजना आयोग
पदेन सदस्य

(डॉ. प्रणब सेन)
अध्यक्ष

विषय-सूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
	संक्षिप्ती	1-2
	कार्यकारी सार	3-8
1.	प्रस्तावना	9-17
2.	सांख्यिकी नीति और संस्थागत फ्रेमवर्क	18-28
	अनुलग्नक-I: राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी नीति	29-39
	अनुलग्नक-II : अनुशंसाओं की लंबित स्थिति पर दो विवरण	40-41
3.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा	42-64
4.	कुछेक अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कुछ सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	65-91
5.	नई सांख्यिकीय पहलें	92-100

संक्षिप्ति

एसीएनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति
एडीजी	अपर महानिदेशक
एएचएस	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएसईएस	अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
एएसआई	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
एएसएसएस	वार्षिक सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण
एटीआर	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
सीएपी	समन्वय तथा प्रकाशन विभाग
सीएपीआई	कंप्यूटर समर्थित निजी साक्षात्कार
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीडी-रोम	कॉम्पैक्ट डिस्क –रीड-ऑनली मेमोरी
सीईएस	उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएनएलएस	वृहत राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीईपीआर	आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग
डीईएस	अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीए	महानिदेशक नागरिक उड्डयन
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीएलएचएस	जिला स्तरीय परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण
डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
डीपीडी	समंक विधायन प्रभाग
डीएसआईएम	सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग
ईबी	परिगणना ब्लॉक

ईसी	आर्थिक गणना
ईएसडी	अर्थ सांख्यिकी प्रभाग
ईयू	रोजगार-बेरोजगारी
ईयूएस	रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफएसयू	प्रथम चरण इकाई
आईसीटी	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
आईसीएस	फसल सांख्यिकी में सुधार
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएस	औद्योगिक सांख्यिकी
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसपी	सेवा उत्पादन सूचकांक
आईटीसी-एचएस	भारतीय व्यापार वर्गीकरण -संगत प्रणाली
जेएसओ	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एमसीए	कार्पोरेट मामला मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओईएफसी	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय
एमएस	मास्टर प्रतिदर्श
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीओ	राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण
एनएफएचसी	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएचएआई	भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईआईटी	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय आयोग
एनएनएमबी	राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो
एनआरएसए	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

कार्यकारी सार

प्रस्तावना

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और एक पदेन सदस्य है। यह 12 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) आयोग के सचिव हैं।

(पैरा 1.1 से 1.4)

2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का एक 13 सूत्री अधिदेश है। इसके अलावा, एनएसएसओ की शासी परिषद के कार्य भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सौंपे गए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकी सर्वेक्षणों का निरीक्षण कार्य भी सौंपा गया है।

(पैरा 1.5 से 1.7)

3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान दस बैठकें आयोजित कीं। इन सभी दस बैठकों में आयोग को भेजे गए मुद्दों पर तथा इसके अधिदेश के अंतर्गत शामिल मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(पैरा 1.8 से 1.9)

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अपनी सहायता के लिए व्यावसायिक समितियों का गठन करने का अधिदेश प्राप्त है। तदनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अनेक समितियां गठित कीं तथा उनके माध्यम से कार्य किया।

(पैरा 1.10 से 1.19)

5. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सांख्यिकी मुद्दों पर दो संदर्भ प्राप्त हुए। प्रथम, एनएसएस में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं एवं उपभोक्ता विश्वास संबंधी प्रश्नों को शामिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से संबंधित है, परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, प्रायोगिक आधार पर व्यापार उत्पीड़न सर्वेक्षण किए जाने के बारे में है। एनएससी ने अपेक्षा व्यक्त की कि इस संबंध में पहले एनसीआरबी और गृह मंत्रालय से परामर्श किया जाए, क्योंकि वे मुख्य रूप से आंकड़ों का प्रयोग करते हैं।

(पैरा 1.20 से 1.24)

6. एनएससी ने आलोच्य अवधि के दौरान दो अवसरों पर प्रयोक्ता परामर्श आयोजित किए। प्रथम सत्र में एनएसएसओ मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा दूसरा सत्र मुंबई में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा छात्रों के साथ परस्पर चर्चा का था।

(पैरा 1.25 से 1.29)

सांख्यिकी नीति और संस्थागत ढांचा

7. एनएससी ने शासकीय सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति की अनुशंसा की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शासकीय सांख्यिकी से संबंधित मौलिक सिद्धांतों को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अंगीकार करने और इन सिद्धांतों के अनुरूप एक ढांचा तैयार करने के प्रावधान शामिल हैं। इस नीति में सीएसआई द्वारा वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने और सीएसआई की रिपोर्टों के आधार पर इन पांच वर्ष में एक बार नीति की समीक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।

(पैरा 2.2 से 2.6)

8. एनएससी ने पाया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सांख्यिकी समन्वयन कार्य को जो क्षति पहुंची है उसका मुख्य कारण इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कार्य की मदों की जानकारी एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कार्यालयों/प्रभागों में इस कार्य के वितरण में स्पष्टत: की कमी होना है। एनएससी ने अनुशंसा की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों/प्रभागों में समन्वय कार्य का वितरण निर्धारित करके इसे अधिसूचित किया जाए।

(पैरा 2.7 से 2.12)

9. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एनएसएसओ के अलावा अन्य प्रमुख मंत्रालय भी समय-समय पर सर्वेक्षण करते हैं। एनएससी की अपेक्षा रही है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "प्रतिदर्श सर्वेक्षण" पर एक नियमावली प्रकाशित की जाए, जिससे प्रमुख मंत्रालयों को अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

(पैरा 2.13 से 2.15)

10. अपर महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में गठित समिति रंगराजन आयोग की लंबित अनुशंसाओं की मंत्रालय/विभाग-वार सूची तैयार करे तथा इसे एनएससी को प्रस्तुत करे।

(पैरा 2.16 से 2.20)

11. एनएसएसओ प्रत्येक एनएसएस दौर में जांच के विषयों में प्रमुख परिणामों को शामिल करने वाली सिहांवलोकन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। अन्य रिपोर्टों को तैयार करने की जिम्मेदारी के बारे में एनएससी अंतिम निर्णय लेगा। यह प्रक्रिया एनएसएस के 71वें दौर से आगे प्रारंभ की जाए।

(पैरा 2.21 सके 2.29)

12. एनएसएस दौरों की सभी भरी हुई सूचीबद्ध अनुसूचियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुरक्षित रखने के तुरंत बाद उनकी छंटाई कर दी जाए। इकाई स्तरीय आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में रखने के दो वर्षों के बाद विस्तृत जांच अनुसूचियों की छंटाई कर दी जाए।

(पैरा 2.30 से 2.36)

13. एनएससी ने तीन विषयगत क्षेत्रों की पहचान की है नामत: शैक्षिक सांख्यिकी, श्रम सांख्यिकी तथा राजकोषीय सांख्यिकी, जिनमें योजना आयोग और एनएससी को संबंधित सांख्यिकी पद्धतियों में सुधार करने लाने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है। विषयगत क्षेत्रों पर यथासमय तीन समितियां गठित की जाएंगी। प्रत्येक, समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य होंगे और एनएससी के सदस्य सह-अध्यक्ष होंगे।

(पैरा 2.37 से 2.42)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

14. सामाजिक क्षेत्र की सांख्यिकी, आर्थिक सांख्यिकी, सांख्यिकी प्रशिक्षण, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, मूल्य सांख्यिकी और कम्प्यूटर केंद्र तथा सीएसओ (सीएपी) के कार्यकलापों में सुधार लाने संबंधी अनुशंसाओं पर अनुपालनार्थ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाए।

(पैरा 3.3 से 3.28)

15. आईसीएस स्कीम के अंतर्गत भारत में फसल सांख्यिकी में गुणात्मक सुधार लाने तथा टीआरएस/ईएआरएएस और जीसीईएस स्कीमों का मूल्यांकन करने के लिए एनएसएसओ (एफओडी) में कृषि सांख्यिकी विंग बनाया गया है। अशक्तताओं के प्रकार और इन वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है और कृषि सांख्यिकी कार्य में गांव के पदाधिकारियों के सहयोग एवं उनकी सहभागिता में बहुत अधिक कमी आई है। इस बात को देखते हुए, एनएससी ने अनुशंसा की है कि समय-समय पर आईसीएस स्कीम चलाई जाए, अर्थात पांच वर्षों में एक बार। एनएसएसओ अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए शेष अवधि के दौरान एएस विंग के कार्य की विविधता के लिए प्रस्ताव तैयार करे और एनएसपी के समक्ष प्रस्तुत करे।

(पैरा 3.30 से 3.37)

16. एनएसएस का 71वां दौर (सर्वेक्षण अवधि : जनवरी 2014-जून, 2014) "सामाजिक उपभोग" नामक विषय पर आधारित होगा जिसमें "स्वास्थ्य और रूग्णता" तथा "शिक्षा" शामिल होंगे। एनएसएस के 71वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार कार्यप्रणाली को एनएससी ने अनुमोदित किया है।

(पैरा 3.41 से 3.48)

17. एनएसएस का 72वां दौर पर्यटन, टिकाऊ वस्तुओं/सेवाओं की घरेलू खपत तथा लघु अनुसूचियों की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन को शामिल करने के लिए अनुसूचियां विकसित करेगा। गठित कार्यकारी समूह अन्य बातों के साथ-साथ कार्यप्रणाली तैयार करेगा। कार्यकारी समूह भावी एनएसएस दौरों में प्रयोग के लिए एक मार्ग प्रतिदर्श तैयार करने की व्यवहार्यता पर एनएससी को एक रिपोर्ट भी देगा। कार्यकारी समूह का सदस्य-सचिव विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए इन्हें एनएससी को मासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। 73वें एनएसएस

दौर के लिए विषय शामिल करने के संबंध में, छठी आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण कराए जाने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। एनएसएसओ, सर्वेक्षण के लिए कवरेज, अवधारणा संबंधी ढांचा फ्रेमवर्क तथा अन्य जरूरतों पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत कर सकती है।

(पैरा 3.49 से 3.55)

कतिपय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कुछ सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

18. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण, रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए वेबपोर्टल तैयार करने राष्ट्रीय आंकड़ा साझा करने और सुलभता नीति का अनुपालन, सूचकांकों में संशोधन, एनसीओ का संशोधन, सरकारी कर्मचारियों की गणना, आदि तथा पूर्ण सूचना की प्रस्तुति संबंधी अनुशंसाओं पर अनुपालन करने की दिशा में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विचार किया जा सकता है। सीपीआई – आईडब्ल्यू के संशोधन कार्य के भाग के रूप में, "कामकाजी वर्ग के परिवारों की आय एवं व्यय सर्वेक्षण" का कार्य करने के लिए श्रम ब्यूरो के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है।

(पैरा 4.2 से 4.8)

19. एनएसएसओ ने एनएससी को सूचित किया है कि ग्रामीण मूल्य संग्रहण (आरपीसी) स्कीम के अंतर्गत उनके द्वारा वर्तमान में एकत्र किए जा रहे आंकड़ों का उपयोग श्रम ब्यूरो द्वारा 1986-87 आधार वर्ष के अनुसार सीपीआई (एएल/आरएल) के संकलन के लिए किया जा रहा है तथा सूचकांक के आधार में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि यह ढांचा पुराना हो गया है। आधार में समयबद्ध रूप से संशोधन करने तथा आरपीसी स्कीम के अंतर्गत वर्तमान आंकड़ा संग्रहण को रोकने के लिए शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिएं। वर्तमान सीपीआई (एएल/आरएल) के उपयोगकर्ता, विशेषकर वे राज्य जो न्यूनतम मजदूरी संबंधी नीतियों को बनाने में सूचकांक का उपयोग करते हैं, को मौजूदा सूचकांक के रोकने के लिए अग्रिम नोटिस दिए जाने की जरूरत है।

(पैरा 4.9 से 4.12)

20. भारत के महापंजीयक का कार्यालय (ओआरपीआई) "प्रतिदर्श पंजीकरण पद्धति (एसआरएस)" नामक जनांकिकी सर्वेक्षण नियमित रूप से संचालित करता रहा है। राष्ट्रीय आंकड़ा साझा करने तथा सुलभता नीति के अनुपालन और एसआरएस के माध्यम से सिविल पंजीकरण पद्धति का सुदृढ़ीकरण और मूल्यांन करने संबंधी एनएसपी की अनुशंसाओं के अनुपालन के लिए ओआरजीआई द्वारा विचार किया जा सकता है।

(पैरा 4.13 से 4.16)

21. डीएसी से प्राप्त कृषि सांख्यिकी का प्रयोग सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में किया जाता है। ये आंकड़े राज्यों से डीएसी को प्राप्त होते हैं। समन्वय सुदृढ़ीकरण, क्षेत्र और उत्पादन अनुमानों की गुणवत्ता में सुधार करने, कवरेज बढ़ाने, राष्ट्रीय आंकड़ा साझा करने और सुलभता नीति का अनुपालन करने तथा बागबानी सांख्यिकी पर एनएससी की अनुशंसाओं के अनुपालनार्थ डीएसी द्वारा विचार किया जा सकता है।

(पैरा 4.17 से 4.24)

22. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) एक महत्वपूर्ण आंकड़ा स्रोत है जिसका उपयोग केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नीति निर्माताओं द्वारा प्रमाण-आधारित निर्णय करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षणों के क्रम में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चौथा सर्वेक्षण है। एनएफएचएस-4 के संबंध में, डीओएचएफडब्ल्यू गैर-प्रतिदर्श त्रुटियों के नियंत्रण और आकलन पर, एनएचएचएस-3 आंकड़ों के साथ तुलना सुनिश्चित करने पर तथा आंकड़ों के प्रसार पर एनएससी की अनुशंसाओं को ध्यान में रखेगा।

(पैरा 4.25 से 4.38)

23. एनएसएसओ तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक समिति द्वारा विकसित कार्यप्रणाली के आधार पर नशीले पदार्थों के दुरूपयोग पर उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रायोगिक सर्वेक्षण (संचालित तथा प्रस्तावित) की कार्यप्रणाली में कुछ कमियां एनएससी के ध्यान में आई हैं। एनएससी ने सिफारिश की है कि नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में एक राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण की उपयुक्त कार्यप्रणाली की अनुशंसा करने के लिए कार्यप्रणाली तथा प्रतिचयन डिजाइन को नए सिरे से देखने और एक नये प्रायोगिक सर्वेक्षण के संचालन को देखने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाए।

(पैरा 4.39 से 4.52)

24. निगम क्षेत्र और भुगतान शेष सांख्यिकी में सुधार करने संबंधी अनुशंसाओं के अनुपालना की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाए।

(पैरा 4.53 से 4.55)

नई सांख्यिकी पहलें

25. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनएसएसओ के माध्यम से ठेका श्रम पर सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। एनएससी के कहने पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सर्वेक्षण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए प्रो. पपोला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। एनएससी ने पपोला समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। एनएससी ने महसूस किया कि "ठेका श्रम" की परिभाषा स्पष्ट होना बहुत जरूरी है तथा ठेका श्रम के मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण हो सकते हैं । एनएसएसओ इस क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकालेगा।

(पैरा 5.2 से 5.5)

26. 19वीं आईसीएलएस में अनुशंसित मौजूदा और नए संकेतकों के एक सेट के द्वारा कार्य, रोजगार तथा बेरोजगारी के आकलन का अधिक अवसर है जिसे एनएसपी ने ध्यान से देख लिया है। उनके परिणामों पर विचार-विमर्श करने के लिए, एनएसएसओ एक परामर्श दस्तावेज तैयार करेगा तथा सभी पणधारियों और आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की राय लेने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करेगा।

(पैरा 5.6 से 5.14)

27. हरित राष्ट्रीय लेखांकन संबंधी विशेषज्ञ समूह ने मार्च, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीएसओ (एसएसडी) ने इस रिपोर्ट में अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों का पता लगाया है। एनएससी ने कार्यान्वयन योजना को ध्यान में रखकर, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि प्रथम संचयन विवरणों से संबंधित कार्य को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वित कर सीएसओ (एसएसडी) में कार्यान्वित किया जा सके और सीएसओ (एसएसडी) संसाधन की जरूरतों (चरण-वार) तथा कार्यान्वयन के लिए अन्य उपायों पर विस्तृत विवरण तैयार करे तथा इसे एनएससी के विचारार्थ प्रस्तुत करे।

(पैरा 5.15 से 5.17)

28. एनएससी की एक स्वतंत्र वेबसाइट होनी चाहिए ताकि सरकार के साथ न केवल इसका संबंध बना रहे बल्कि दिखना भी चाहिए कि यह संबंध बना हुआ है। एनएससी के लिए एक पृथक वेबसाइट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डोमेन को "statcom.gov.in" नाम से पंजीकृत कराया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से वेब डिजाइनिंग, होस्टिंग तथा नई पंजीकृत एनएससी भविष्य में वेबसाइट के रखरखाव के कार्य के लिए किसी बाहरी एजेंसी को रखने के लिए कदम उठाएगा।

(पैरा 5.18 से 5.20)

अध्याय-1

प्रस्तावना
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना

1.1 सरकार द्वारा जनवरी, 2000 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में स्थापित आयोग ने देश की सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की और अगस्त, 2001 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि सांख्यिकी पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए, जो देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल तथा अधिकार-प्राप्त निकाय के रूप में कार्य कर सके, सांख्यिकी प्राथमिकताओं और मानकों के विकास, निगरानी और कार्यान्वित तथा इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित कर सके।

1.2 रंगराजन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 85 के तहत एक स्थायी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य तथा सचिव, योजना आयोग इसके पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद आयोग के सचिव, हैं। उनकी दोहरी भूमिका है, क्योंकि वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव भी हैं। अंशकालिक अध्यक्ष/एनएससी के सदस्यों और सीएसआई की सेवा शर्तें भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 10 मई, 2006 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3 उप-खंड (ii) में दी गई हैं। आयोग द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक उप-महानिदेशक तथा निदेशक और अन्य सहायक स्टाफ के साथ एक लघु सचिवालय का सृजन किया गया है।

आयोग की रचना

1.3 उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का समय-समय पर गठन किया गया है और यह 12 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंशकालिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार हैं :

डॉ. प्रणब सेन	-	अध्यक्ष 25.2.2013 से
प्रो. बिश्वनाथ गोलदार	-	सदस्य 20.6.2013 से
प्रो. एस. महेन्द्र देव	-	सदस्य 5.7.2013 से
प्रो. राहुल मुखर्जी	-	सदस्य 20.7.2013 से
श्री रमेश कोल्ली	-	सदस्य 8.7.2013 से

1.4 डॉ. टी सी ए अनंत रिपोर्ट की पूरी अवधि के दौरान भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और आयोग के सचिव थे।

आयोग का कार्य

1.5 भारत सरकार के दिनांक 1 जून, 2005 के उपरोक्त संकल्प में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(क) राष्ट्रीय महत्व तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख सांख्यिकी की पहचान करना;

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियों अथवा कार्यकारी समूह का गठन करना;

(ग) सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकी अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण तथा प्रक्रियाएं तैयार करना और मुख्य सांख्यिकी पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक निर्धारित करना;

(ङ) विभिन्न आंकड़ा सैटों के लिए कैलेंडर जारी करने सहित, प्रमुख सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन तथा प्रसार के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करना;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी और सांख्यिकीय प्रणाली की संचार संबंधी आवश्यकताओं सहित शासकीय सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करना;

(छ) शासकीय सांख्यिकी में जनता के भरोसे में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय कार्यकलापों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय सुझाना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केंद्र, सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकी समन्वय स्थापित करना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों का सांख्यिकीय लेखा परीक्षण करना;

(ट) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी हो, को अनुच्छेद (ग) से (ज) में दिए गए मानकों, कार्यनीतियों तथा अन्य उपायों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने की सिफारिश करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विधान सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की अपेक्षा पर सरकार को सलाह देना; और

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों तथा कार्यप्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली के कार्य की निगरानी और समीक्षा करना तथा कार्य निष्पादन में अधिक वृद्धि हो इसके लिए उपायों की सिफारिश करना।

1.6 उपरोक्त कार्यों के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिनांक 10 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 30 अगस्त, 2006 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की शासी परिषद के सभी कार्य एनएससी को सौंपे गए थे। ये कार्य मुख्य रूप से दौरों के रूप में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी

निदेशालयों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने से संबंधित है। प्रत्येक दौर सामान्यत: एक वर्ष की अवधि का होने के कारण कृषि वर्ष के साथ पड़ता है। एनएसएस के 68वें दौर के आगे से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने उसके द्वारा निर्णीत विषयों पर इस तरह से कार्यकारी समूहों का गठन किया है कि वे प्रत्येक दौर की सर्वेक्षण गतिविधियों का संपूर्ण रूप में निरीक्षण करने में मदद कर सकेंगे।

1.7 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संबंध में कुछ निरीक्षण कार्य भी सौंपे गए हैं। इस प्रयोजनार्थ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-III के खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 232 दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 के द्वारा दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं जिसके अंतर्गत केंद्र के प्रमुख मंत्रालयों के लिए यह अपेक्षित है कि वर्ष के दौरान सांख्यिकी सर्वेक्षण करने के लिए एनएससी की सहमति प्राप्त कर लें। सहमति के अलावा, दिशानिर्देशों में एनएससी के निरीक्षण में विभिन्न सर्वेक्षण संचालित करने और एनएससी के परामर्श से सर्वेक्षणों की मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कार्यप्रणाली, आदि तैयार करने के लिए समितियों ने गठन हेतु एनएससी द्वारा विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश करने का प्रावधान है।

आयोग का कार्य संचालन

1.8 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10 बैठकें आयोजित कीं। बैठकों की तिथियां नीचे दी गई हैं :

बैठक संख्या/विषय	**बैठक की तिथि**	**बैठक का स्थान**
58	20 जुलाई, 2013	नई दिल्ली
59	19 से 20 अगस्त, 2013	नई दिल्ली
नशीली दवाओं के दुरूपयोग संबंधी सर्वेक्षण पर	6 सितम्बर, 2013	नई दिल्ली
चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संबंधी विषय पर	13 सितम्बर, 2013	नई दिल्ली
60	18 से 19 सितम्बर, 2013	नई दिल्ली
61	17 से 18 अक्तूबर, 2013	नई दिल्ली
62	20 से 21 नवम्बर, 2013	नई दिल्ली
63	6 से 7 जनवरी, 2014	नई दिल्ली
64	17 से 18 फरवरी, 2014	नई दिल्ली
65	12 से 13 मार्च, 2014	मुंबई

1.9 सभी दस बैठकों में, आयोग ने उसे भेजे गए विषयों और उसे सौंपे गए कार्यों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया। आयोग ने संबंधित क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रणाली में सुधारों पर संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श तथा विस्तृत विचार-विमर्श भी किया।

आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया गया और उसे तथा सभी सदस्यों को परिचालित किया गया। बाद की बैठक में चर्चा के बाद इसकी पुष्टि की गई। आयोग की अनुशंसाएं, जब कभी की गई, उचित कार्रवाई हेतु संबंधित सरकारी विभागों को भेज दी गई थीं।

व्यावसायिक समितियों की संरचना

1.10 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर उसकी सहायता के लिए व्यावसायिक समितियां गठित करने का अधिकार प्राप्त है। तदनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कई समितियों का गठन किया और उनके माध्यम से कार्य किया। इसका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

1.11 आयोग ने विभिन्न विषय-क्षेत्रों में अपनी सहायता के लिए जुलाई, 2010 में नौ व्यावसायिक समितियां गठित कीं। इनमें से, 7 समितियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की है तथा छह समितियों की रिपोर्टों के आधार पर एनएससी ने वर्ष 2011-12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी अनुशंसाएं दी है। सामाजिक क्षेत्र की सांख्यिकी संबंधी सातवीं समिति की रिपोर्ट पर एनएससी ने अपनी 45वीं बैठक में यह अनुशंसा की कि रिपोर्ट को एक प्रथम प्रारूप के रूप में समझा जाए तथा आंकड़ों की उपलब्धता, गुणवत्ता और आंकड़ा अंतरों के संबंध में और अधिक विवरण देखे जाने की जरूरत है और इसके लिए समिति के कार्य को पूरा करने के लिए सीएसओ एक समूह का गठन कर सकता है। तदनंतर, एनएससी की 54वीं बैठक में इस मामले की समीक्षा की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि इस समूह का गठन करने से पूर्व कुछेक विशेषज्ञों से विषय से संबंधित कागजात आमंत्रित किए जाएं। तदनुसार, सीएसओ (एसएसडी) ने विषय संबंधी दस्तावेजों को मंगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और इस संबंध में हो रही प्रगति की एनएससी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

1.12 शेष दो समितियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

- प्रो. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की सांख्यिकी संबंधी समिति
- डॉ. आर बी बर्मन की अध्यक्षता में कारपोरेट क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों की प्रशासनिक सांख्यिकी संबंधी समिति

1.13 अलघ समिति ने 5 नवम्बर, 2013 को एनएससी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और इस संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं। इसे संबंधित विषय के सरकारी विभागों/संगठनों, कुछ कृषि विश्वविद्यालयों तथा कुछेक विशेषज्ञों को इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि वे रिपोर्ट पर अपने विचार दें। एनएससी ने समिति की अनुशंसाओं तथा तत्संबंधी प्राप्त विचारों को नोट किया है । यह स्वीकार किया गया कि समिति के विचारार्थ विषय बहुत अधिक विस्तृत हैं। यद्यपि समिति में समस्त विचारार्थ विषयों का निराकरण विस्तार से नहीं देखा है परंतु इसने उन मुद्दों के फ्लैग किया है जिन पर ध्यान संबंधी जरूरत

है तथा किसी एक एजेंसी को अनुशंसाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए एनएससी ने तय अवधि में चरणबद्ध ढंग से उचित कार्रवाई हेतु अनुशंसाओं पर विचार करने का निर्णय लिया है।

1.14 बर्मन समिति के संबंध में, इसके कार्य की स्थिति की एनएससी द्वारा समीक्षा की गई थी। इसने एनएससी को सूचित किया था कि सीएसओ द्वारा प्रो. बी एन गोलदार की अध्यक्षता में निजी कारपोरेट क्षेत्र पर एक उप-समिति का गठन किया गया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट मंत्रालय के एमसीए डेटाबेस की जांच करेगी और इसके निष्कर्षों की सूचना देगी। गोलदार समिति से लगभग 6 माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है। इसे देखते हुए, एनएससी ने केवल गोलदार समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत, बर्मन समिति को बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार करने का निर्णय लिया।

1.15 एनएससी ने एनएससी के सदस्य की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित स्थायी समितियों के कार्य की समीक्षा की ताकि प्रत्येक समिति की अध्यक्षता के लिए एक सदस्य को नामित किया जा सके क्योंकि समितियों की अध्यक्षता में सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था।

- रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं और एनएससी की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधी स्थायी समिति
- एनएसएसओ के मामलों पर स्थायी तकनीकी समिति

1.16 रंगराजन आयोग की लंबित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संबंध में, प्राप्त प्रत्युत्तरों की जांच करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है। विवरण अध्याय-2 में दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने प्रथम स्थायी समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को नामित नहीं किया।

1.17 एनएसएसओ के मामलों पर स्थायी तकनीकी समिति के संबंध में, एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत स्थिति टिप्पणी एनएससी द्वारा देख ली गई है। एनएसएस के 72वें दौर की विषयगत कवरेज के संदर्भ में इस समिति को बनाए रखने की जरूरत पर विचार किया गया था। स्थायी तकनीकी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को एनएसएस के 72वें दौर के कार्यकारी समूह के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है। कार्यकारी समूह के विचारणार्थ विषय में यह भी दिया गया है कि स्थायी तकनीकी समिति को सौंपा गया कार्य अधिदेश के तहत 72वें कार्यकारी समूह के कोर ग्रुप द्वारा किया जाता रहेगा। यह भी निर्धारित किया गया कि एनएसएसओ संबंधी स्थायी तकनीकी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समिति के विचाराधीन वर्तमान मामलों के संबंध में 72वें दौर के कार्यकारी समूह के साथ ही समाप्त होगा तथा समिति इन मामलों पर एनएससी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कार्यकारी समूह 18 सितम्बर, 2013 को इन्हीं तर्जों पर गठित किया गया था। इसे देखते हुए, एनएससी ने निर्णय लिया कि एनएसएसओ मामलों पर स्थायी तकनीकी समिति पृथक अस्तित्व नहीं रहेगा।

1.18 कुछ अन्य समितियां है जो एनएससी के आग्रह पर गठित की गई थी, उनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

(1) प्रो. बिश्वनाथ गोलदार की अध्यक्षता में औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति

(2) प्रो. के. सुन्दरम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखाओं पर सलाहकार समिति

(3) प्रो. अतुल शर्मा की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की योजना स्कीम "क्षमता विकास" का मूल्यांकन करने संबंधी समिति

(4) प्रो. टी. एस. पपोला की अध्यक्षता में ठेका श्रम का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु कार्यकारी समूह।

(5) श्री सुमन के. बेरी, पूर्व सदस्य, एनएससी (वर्तमान में डॉ. एस. एल. शेट्टी की अध्यक्षता में) की अध्यक्षता में परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से बचत और निवेश के प्रत्यक्ष अनुमान के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने संबंधी समिति

(6) डॉ. टी. एस. पपोला की अध्यक्षता में मजदूरी दर आंकड़ों के संग्रहणार्थ व्यवसाय श्रेणी की कवरेज को देखने के लिए कार्यकारी समूह

(7) डॉ. दिलीप नचाने की अध्यक्षता में मौसमी तौर पर समायोजित श्रृंखलाओं के संकलन को देखने के लिए विशेषज्ञ समूह

(8) प्रो. एस आर हाशिम की अध्यक्षता में "समय-उपयोग" सर्वेक्षण पर कार्यकारी समूह

1.19 क्रम संख्या (3) से (8) पर उक्त समितियों का एक निर्दिष्ट कार्यकाल है, जबकि शेष दो समितियां सतत प्रकृति की हैं। क्रम संख्या (1) और (2) पर दी गई समितियां स्थायी समितियां हैं और उनका कार्य एक सतत प्रवृत्ति का है। क्रम संख्या (5) से (8) पर निर्दिष्ट समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा एनएससी की तत्संबंधी अनुशंसाएं इस रिपोर्ट के क्रमश: अध्याय-3 और 5 पर दी गई हैं।

आयोग द्वारा प्राप्त संदर्भ

1.20 एनएससी ने दो सांख्यिकीय मुद्दों पर निम्नलिखित संदर्भ प्राप्त किए :

- एनएसएस के 72वें दौर में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और उपभोक्ता विश्वास संबंधी प्रश्नों को शामिल करना
- भारत में प्रायोगिक आधार पर व्यापार उत्पीड़न सर्वेक्षण करना

1.21 "मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं एवं उपभोक्ता विश्वास" पर समझौता के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार अभ्यास के रूप में गैर-शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले अपने नियमित सर्वेक्षण में से एक में " मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं एवं उपभोक्ता विश्वास" से संबंधित कुछ प्रश्नों को शामिल करने के लिए एनएसएसओ से अनुरोध किया है। एनएसएसओ ने इस अनुरोध को अपनी दूसरी बैठक में एनएसएस के 72वें दौर के कार्यकारी समूह के समक्ष रखा। कार्यकारी समूह ने अपेक्षा की कि यह प्रस्ताव एनएससी के समक्ष रखा जाए जिस पर वह यह निर्णय ले सके कि क्या लोगों की प्रत्याशाओं पर इस प्रकार की राय वाली प्रश्नावली

को वर्तमान एनएसएस के 72वें दौर के सर्वेक्षण में समायोजित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर एनएससी द्वारा अपनी 65वीं बैठक में विचार किया गया था। एनएससी ने महसूस किया कि लोगों के विचारों पर आधारित ऐसे सर्वेक्षण एनएसएस दौरों में शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा तथा इस प्रकार, प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित कर दिया गया था।

1.22 भारत में प्रायोगिक आधार पर व्यापार उत्पीड़न सर्वेक्षण सर्वे आयोजित करने के प्रस्ताव पर, सीएसओ (एसएसडी) ने संबंधित अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में एनएससी को बता दिया है।

1.23 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा फरवरी, 2013 में आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक में चर्चा एक मुख्य विषय था "उत्पीड़न जो व्यापार क्षेत्र को प्रभावित करता है। विशेषज्ञ समूह की बैठक में चर्चाओं तथा बाद के अनुवर्ती चर्चा के दौरान, नशीले पदार्थों और अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारत में तकनीकी सहायता प्रदान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की बशर्ते कि भारत अपने देश में व्यापार उत्पीड़न सर्वेक्षण प्रदान करे।

1.24 एनएससी की 59वीं बैठक में सीएसओ (एससीडी) के अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। यह देखा गया कि इस तरह के मुद्दों को पहले भी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उठाया गया था। एनएससी ने इच्छा जताई है कि पहले ब्यूरो और गृह मंत्रालय से इस बारे में परामर्श किया जाए, क्योंकि वे आंकड़ों का मुख्य नूप से प्रयोग करते हैं और एसएसडी परामर्शों के परिणामों के साथ इस मुद्दे पर वापस एनएससी के पास जाए।

आयोग द्वारा प्रयोक्ता परामर्श

1.25 एनएससी ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान दो अवसरों पर प्रयोक्ता परामर्श आयोजित किया। प्रथम परामर्श बैठक एनएसएसओ मामलों पर एक गहन विचार-विमर्श वाला सत्र था तथा दूसरी बैठक में मुंबई में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा छात्रों के साथ परस्पर चर्चा का सत्र था। इसका परस्पर ब्योरा निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है :

1.26 दस वर्षों के एक पूर्ण चक्र के लिए एनएसएस दौरों में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में साधारण बात है। आगामी चक्र के विषयों पर एनएससी द्वारा निर्णय लिए जाने की जरूरत है। विगत की तुलना में, विषय अलग हो सकते हैं क्योंकि एनएसएसओ के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती मांगों के साथ-साथ मौजूदा तंत्र की कमियों पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। एनएससी को एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने की आवश्यकता होगी ताकि वह बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एनएसएसओ कार्यकलापों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में सलाह दे सके। इस समूह के गठन से पूर्व यह महसूस किया गया था कि सरकार के भीतर और बाहर के विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए गहन विचार-विमर्श हेतु एक सत्र आयोजित किया जाए।

1.27 तदनुसार, एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों में चल रहे कार्यकलापों में इसकी संलग्नता, निकट भविष्य के कार्यकलापों/सर्वेक्षण के लिए संसाधन और एनएसएसओ की कार्यप्रणाली को पुन- पंक्तिबद्ध करने और उसके पुनर्विन्यास की आवश्यकता पर विधिवत विचार करते हुए संसाधनों के बेहतर और अधिकतम उपयोग के बारे में 2-3 अगस्त, 2013 के दौरान महालनोविस भवन, कोलकाता में एक गहन विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया गया था।

1.28 सत्र में व्यापक विचार-विमर्श हुआ और अनेक सुझाव सामने आए। इस गहन सत्र से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की मुख्य-मुख्य बातों को एनएसएसओ ने सूचित किया है। एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को एनएससी नोट कर लिया है। यह महसूस किया गया कि खास-खास मुद्दों पर राय प्राप्त करने के लिए और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से एनएसएसओ द्वारा भविष्य में कुछ और सत्र आयोजित किए जाने की जरूरत है।

1.29 एनएससी ने अपनी 65वीं बैठक के दौरान मुंबई में कुछ स्थानीय शिक्षाविदों, छात्रों तथा आंकड़ों के प्रयोक्ताओं के साथ वार्तालाप किया। प्रतिभागियों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए थे, जिनको एनएससी, सीएसआई के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया। सत्र में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें पूंजीगत परिसंपत्तियों का वितरण और उनका परिवारों के प्राप्त होना, मकानों का किराया मूल्य, कृषिगत सामग्रियों के उपयोग की पद्धति, कृषि आंकड़ों की लागत में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं की अनुपलब्धता एनएसएस की सूचीबद्ध अनुसूचियों में आंकड़ों की सुलभता, एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों में खाद्य सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को शामिल करना, परिवार सर्वेक्षणों में प्रवासी कामगारों पर पैनल डेटा की कमी, कुछ मामलों में समान विषय पर क्रमिक एनएसएस दौरों में अवधारणात्मक ढांचे में विचलन, निर्यात आंकड़ों के प्रारंभ पर आंकड़ों की अनुपलब्धता, एएसआई में निर्यात/ व्यापार सूचना शामिल करने की व्यवहार्यता, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा कंपनियों से एकत्र सूचना के संबंध में आंकड़ा समेकन, दैनिक व्यापार विवरणिकाओं में निर्यात कंपनियों की पहचान उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता, एनएडी द्वारा तैयार वर्कशीट (इनपुट आउटपुट तालिकाओं और आपूर्ति उपयोग तालिकाओं संबंधी परिमाणों पर सूचना) की प्रयोक्ताओं के सुलभ कराने की व्यवहार्यता तथा मूल्यवर्धन (सेवा तत्व) में व्यापार संबंधी आंकड़ों का संग्रहण करना शामिल है।

इस रिपोर्ट के बारे में

1.30 सांख्यिकी नीति और संस्थानिक ढांचे पर एनएसपी की अनुशंसाएं अध्याय-2 में दी गई हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यकलापों पर एनएससी की समीक्षाएं और टिप्पणियां अध्याय-3 शामिल की गई हैं तथा कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों तथा संगठनों के बारे में अध्याय-4 में दिया गया है। अध्याय-5 नई सांख्यिकीय पहलों के बारे में बताता है।

आयोग का व्यय

1.31 वेतन और दिहाड़ी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, आवासों को किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग के दैनिक प्रशासन के लिए जरूरतों सहित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के बारे में वार्षिक व्यय को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक मांग को संसद की स्वीकृति से पूरा किया जा रहा है।

1.32 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(2)/ई-कोर्डि/2013 के द्वारा प्रचालन दक्षता को प्रतिबंधित किए बिना वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए मितव्ययिता बरतने के उपाय जारी किए। इन उपायों में गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती और शीर्षस्थ स्तर के अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों के लिए इकॉनामी श्रेणी में यात्रा करने की अपेक्षा शामिल है। एनएससी का व्यय गैर-योजना विधि से पूरा किया जाता है और इसलिए खर्च में किफायत बरतने संबंधी उपाय एनएससी पर भी लागू किए गए।

1.33 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययिता उपायों को प्रभाव में लाने के उद्देश्य से एनएससी और सीएसआई के अशंकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक सदस्यों ने स्वेच्छापूर्वक घरेलू सरकारी दौरे इकॉनामी श्रेणी में करने का निश्चय किया है। एनएससी ने यह भी निर्णय लिया कि एनएससी द्वारा गठित समितियों कार्यकारी और समूहों के इन सभी गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा पात्रता इकॉनामी क्लास तक सीमित होगी जिनके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति एनएससी बजट से की जाती है।

1.34 वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के गैर-योजना बजट के अंतर्गत एनएससी के लिए 95.70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। यह सूचित किया गया था कि वर्ष 2013-14 के दौरान 65.81 लाख रुपए व्यय किए गए।

अध्याय-2

सांख्यिकी नीति तथा संस्थागत ढांचा

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां तथा प्राथमिकताएं विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इस अध्याय में एनएससी ने पूर्व में अनुशंसित राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी नीति की समीक्षा की तथा उसके एक संशोधित रूपांतर की सिफारिश की। इसके अलावा, एनएससी ने कुछेद व्यापक मुद्दों नामतः, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी समन्वय, प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर नियम-पुस्तिका, एनएससी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र, एनएसएस रिपोर्टें जारी करने की प्रक्रिया तथा एनएसएस दौरों की भरी हुई कानूनी अनुसूचियों की छंटनी पर अपनी सुविचारित राय भी दी। ब्योरा निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है :

राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी नीति

2.2 वर्ष 2010-11 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, एनएससी ने शासकीय सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति के प्रारूप की अनुशंसा की। इस नीति में सांख्यिकी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए सांख्यिकी पद्धति और दिशानिर्देशों की एक संहिता शामिल है। इस नीति का उद्देश्य सांख्यिकी प्रणाली को एकीकृत करना, संयुक्त राष्ट्र के शासकीय सांख्यिकी संबंधी मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप, सरकार के भीतर और बाहर के प्रयोक्ताओं तथा नीति निर्माताओं को समय से, विश्वसनीय तथा व्यापक सांख्यिकी सेवा उपलब्ध कराना है। सांख्यिकी समन्वय को सुदृढ़ करने के संदर्भ में, एनएससी ने वर्ष 2006-07 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में नोडल अधिकारियों को मनोनीत करने तथा उनको सौंपी जाने वाली भूमिका की अनुशंसा की।

2.3 एनएससी ने 5-7 जनवरी, 2014 के दौरान आयोजित अपनी बैठक में उक्त अनुशंसाओं की समीक्षा की। यह महसूस किया गया कि एनएससी द्वारा पूर्व में अनुशंसित सांख्यिकी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए सांख्यिकी पद्धति की संहिता तथा दिशानिर्देशों नीति का भाग न बनाए जाएं। इसके बजाय, नीति ऐसे उचित प्रावधारनों की व्यवस्था हो जिससे सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय को सांख्यिकी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए सांख्यिकी पद्धति के कोड और दिशानिर्देश को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त हो। एनएससी ने यह भी महसूस किया कि नीति में कार्यान्वयन तंत्र को शामिल किया जाए।

2.4 नीति के कार्यान्वित करने के लिए एनएससी ने अनुशंसा की है कि सरकार केंद्र के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में कम से कम संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के नोडल अधिकारियों तथा प्रत्येक प्रमुख मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत संस्था में उचित स्तर के एक अधिकार को अधिसूचित करें। नोडल अधिकारियों का नामांकन संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतियों को विकसित करने, सरकार के निर्णय

हेतु विशेष प्रस्ताव लाने में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की सहायता करेगा तथा कार्यनीतियों और निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। कार्यान्वयन कार्यनीतियों को नोडल अधिकारियों के साथ सीएसआई द्वारा ली गई बैठकों में समय-समय पर विकसित किया जाएगा। बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी स्वैच्छिक/आमंत्रण के आधार पर सुनिश्चित की जाए। इससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार के लिए कदम उठाने में सुविधा रहेगी। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने कार्यान्वयन कार्यनीति के रूप में, नोडल अधिकारियों को मनोनीत करने संबंधी अनुशंसा को नीति में मिलाने का निर्णय लिया।

2.5 संयुक्त राष्ट्र के शासकीय सांख्यिकी संबंधी सिद्धांतों को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाने सिद्धांतों को अनुरूप एक ढांचा तैयार करने और नीति के अनुपालन तथा प्रोन्नति के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करने हेतु प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.6 एनएससी ने उक्त परिवर्तनों को समाविष्ट करने के उपरांत अनुलग्नक-1 में दी गई राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी नीति की अनुंशंसा की है। इस नीति में सीएसआई द्वारा वार्षिक रिपोर्टों की प्रस्तुति तथा सीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर पांच वर्ष में एक बार नीति की समीक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं। एनएससी ने अनुशंसा की है कि अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा इस नीति पर विचार किया जाए।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकीय समन्वय

2.7 भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता में अंतरों अथवा सांख्यिकी कार्य की पुनरावृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से सांख्यिकी कार्य का समन्वय तथा इसके लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना;
- सांख्यिकी के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों को निर्धारण तथा उनका रखरखाव, आंकड़ा संग्रहण की अवधारणा, परिभाषाओं तथा कार्य प्रणाली विकसित करना, आंकड़ों का संसाधन और परिणामों का प्रसार; तथा
- सांख्यिकीय कार्यप्रणाली और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना

2.8 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी विंग को उक्त नियमों के अंतर्गत सौंपे गए सभी नोडल सांख्यिकी कार्यों का निष्पादन करना होता है। ये कार्य विंग के निम्नलिखित कार्यालयों/प्रभागों में कार्यान्वित किए जाने होते हैं :

(1) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) :

- **समन्वय और प्रकाशन प्रभाग (सीएपी)**
- **आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी)**
- **सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी)**
- **प्रशिक्षण प्रभाग (एनएसएसटीए)**
- **कम्प्यूटर केंद्र**

(2) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)

2.9 नोडल कार्यों को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने सांख्यिकी विंग के सांख्यिकीय मामलों पर समन्वय कार्यकलापों की समीक्षा की। यह देखा गया कि इस श्रेणी के अंतर्गत कार्य की मदों तथा विंग में कार्यालयों/प्रभागों में कार्य का वितरण के बारे में स्पष्टता न होने के कारण समन्वय कार्य बाधित हो रहा है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

2.10 उपरोक्त मुद्दे के निराकरण के लिए, एनएससी ने अनुशंसा की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी विंग में विभिन्न कार्यालयों/प्रभागों में समन्वय कार्य का वितरण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाए तथा सभी संबंधित को सूचना हेतु अधिसूचित किया जाए। अधिसूचना में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रत्येक कार्यालय/प्रभाग में एक संपर्क अधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाए, जो मुख्य रूप से समन्वयन कार्य के लिए जवाबदेह एक स्रोत व्यक्ति होगा।

2.11 संपर्क अधिकारी की समन्वयन जिम्मेदारियों में समय-समय पर निम्नलिखित विषय, क्षेत्र शामिल किए जाएं :

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानदंड और मानक
- सांख्यिकीय वर्गीकरण
- आंकड़ा एकीकरण
- क्षेत्र में अपेक्षित उत्पादन और सांख्यिकी के प्रसार के बीच समन्वय कना
- प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकन
- सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा करना तथा प्रमुख मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शन/सलाह देना;
- प्रशासनिक सांख्यिकी की समीक्षा करना तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना;
- सरकार द्वारा निर्धारित सांख्यिकी नीतियों तथा प्रोटोकाल की अनुपालना की निगरानी करना;
- आवधिक रिपोर्टों के रूप में सुधार हेतु सीएसआई के ध्यान में कमियां लाना तथा सुझाव देना।

2.12 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अनुशंसित अधिसूचना में संपर्क अधिकारियों के उक्त कार्यों को शामिल करे।

प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर नियम-पुस्तिका

2.13 प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करना एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें अत्यधिक तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एनएसएसओ के अलावा, अन्य प्रमुख मंत्रालय भी समय-समय पर सर्वेक्षण आयोजित करते हैं। सर्वेक्षण पद्धति में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएससी की सिफारिशों पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने "सांख्यिकी सर्वेक्षण संचालन के लिए दिशानिर्देश" अधिसूचित किए है। अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड में अधिसूचना संख्या 232 के रूप में 5 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित हुई थी। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र के प्रमुख मंत्रालयों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर एनएससी का निरीक्षण उपलब्ध कराते हैं।

2.14 एनएससी ने दिशानिर्देशों की समीक्षा की तथा अपेक्षा की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रमुख मंत्रालयों को और अधिक मार्गदर्शन हेतु "प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर नियम-पुस्तिका" प्रकाशित की जाए। यह बताया गया कि एनएसएसओ "व्यापक पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आयोजन में भारतीय अनुभव पर पुस्तिका" नामक एक नियम-पुस्तिका प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। एनएसएसओ द्वारा प्रस्तावित नियम-पुस्तिका के नक्शे की जांच के उपरांत एनएससी ने महसूस किया कि यह एनएसएसओ में कार्य करने वालों के लिए प्रवेश सामग्री के रूप में उचित रहेगा। एनएससी ने महसूस किया कि प्रमुख मंत्रालयों की जरूरत भिन्न हो सकती है, क्योंकि उन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी "सांख्यिकी सर्वेक्षणों को आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश" के उनके सुगम अनुपालन को सुकर बनाने के संबंध में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों संबंधी संपूर्ण विर्वचना प्रक्रिया के बारे में परिचित होने की आवश्यकता होती है। नियम-पुस्तिका में उन्हें गुणवत्ता आश्वासन के विभिन्न आयाम से हथाने की भी मांग की जाए, जो एनएसएसओ कार्य में अव्यक्त अंगीकृत होते हैं।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

2.15 उक्त के आलोक में एनएससी ने अनुशंसा की कि एक पृथक मैन्यूअल इस प्रयोजनार्थ उचित रूपरेखा के भीतर तैयार किया जाए तथा एक समयबद्ध तरीके से परामर्श आधार पर कार्य शुरू करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति अभिज्ञात किया जाए।

आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन

2.16 रंगराजन आयोग ने सरकार को वर्ष 2011 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 623 अनुशंसाएं कीं। मंत्रिमंडल ने 27 फरवरी, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में कार्यान्वयन हेतु इन

अनुशंसाओं को नोट किया तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों द्वारा उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के समन्वयन और निगरानी का कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपा गया।

2.17 12 जुलाई, 2001 से कार्यरत एनएससी ने प्रस्तुत अब तक सरकार से अपनी 7वीं वार्षिक रिपोर्टों में 424 अनुशंसाएं की थीं।

2.18 सीएसओ में समन्वयन एवं प्रकाशन प्रभाग (सीएपी) रंगराजन आयोग तथा एनएससी की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एनएससी ने अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। एजेंसीवार लंबित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का विवरण अनुलग्नक-II पर दिया गया है। यह स्थिति निम्नानुसार है :

अनुशंसाएं	**कुल**	**कार्यान्वित**	**लंबित**
रंगराजन आयोग (2001)	623	156*	467
एनएससी (सात वार्षिक रिपोर्टें)	424	58	366
कुल	**1047**	**214**	**833**

*निरस्त 9 अनुशंसाओं सहित

2.19 सीएसओ (सीएपी) द्वारा सूचित किया गया कि रंगराजन आयोग सर्वाधिक लंबित (अनुशंसाओं के संबंध में, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से उनके द्वारा उत्तर प्राप्त किए गए उत्तरों की स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा संवीक्षा किए जाने की जरूरत है। एनएससी ने महसूस किया कि रंगराजन आयोग की कुछ लंबित अनुशंसाएं तदंतर कार्यालयों तथा विभागों से आगे निकल गई हैं तथा इसे वर्तमान संदर्भ में अनुकरण किए जाने की आवश्यकता हेतु अनुशंसाओं की नई सूची तैयार करने के लिए संपूर्ण समीक्षा किए जाने की जरूरत है। इसके आलोक में, एनएससी ने अनुशंसा की कि अधिकारियों की एक समिति परामर्श प्र क्रिया के माध्यम से तथा उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस कार्य को शुरू करने के लिए अपर-महानिदेशक, सीएसओ (सीएपी) की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित की जाए, तथा अनुशंसाओं की मंत्रालय/विभागवार सूची तैयार की जाए। तदनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया तथा समिति ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

2.20 एनएससी ने अपेक्षा की कि समिति द्वारा तैयार सूची एनएससी के समक्ष रखने से पूर्व पुनरीक्षण हेतु एनएससी के सदस्य श्री रमेश कोल्ली को प्रस्तुत की जाए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्टों को जारी करने की प्रक्रिया

2.21 एनएससी ने वर्ष 2010-11 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एनएसएस रिपोर्टों को जारी करने से पूर्व एनएसएसओ द्वारा अनुकरण किए जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं निर्धारित कीं :

- एनएसएस दौर के लिए गठित कार्यकारी समूह का कार्यकाल रिपोर्टों को जारी करने सहित सर्वेक्षण प्रचालनों के संपूर्ण कार्यक्रम को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। उन विशेषज्ञों जिन्हें टिप्पणियों के लिए एनएसएस रिपोर्टों का प्रारूप भेजा जाएगा, का कार्यकारी समूह द्वारा निर्णय लिया जाए। प्रत्येक विशेषज्ञ को प्रत्येक एनएसएस रिपोर्ट पर टिप्पणियां देने के लिए शुल्क के रूप में 2500 रुपए अदा किए जाएं।
- प्रारूप रिपोर्टें, विशेषज्ञों की टिप्पणियों तथा एनएसएसओ के उत्तर एनएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को भेजे जाएं। एनएससी के सदस्य टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो उन पर एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष, एनएससी को रिपोर्ट करें। एनएससी रिपोर्टों को जारी करने के लिए मंजूरी अथवा अन्य देगी। यदि आवश्यक हो, अध्यक्ष, एनएससी सम्मिलित मुद्दों पर एनएसएसओ (एसडीआरडी) में बैठक करेगा। यदि अनुशंसित सारणीयन तालिका में स्थान न मिलने पर अतिरिक्त तालिका के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त हों, एनएससी का अध्यक्ष निर्णय करेगा कि क्या एनएसएसओ द्वारा एक पूरक रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है। अतिरिक्त तालिकाएं शामिल करने के लिए विशेषज्ञों के सुझाव के कारण किसी रिपोर्ट को जारी करना नहीं रोका जाएगा।

2.22 एनएसएस के 68वां दौर से आगे, एनएससी ने इसके द्वारा निर्णीत विषयों पर कार्यकारी समूह इस तरह से गठित किए हैं, कि वे प्रत्येक दौर की सर्वेक्षण गतिविधियों का समग्र रूप से निरीक्षण कर सकें।

2.23 वर्ष 2010-11 से टारगेट डिफाइंड डिलीवरी आफ आउटपुट प्रणाली मंत्रालयों/विभागों के कार्य-निष्पादन को मानीटर करने के लिए परिणाम ढांचा कार्य दस्तावेज (आरएफडी) के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संस्थापित की गई है। एनएसएस रिपोर्टों को जरिए करने का कार्य को जारी करने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आरएफडी में शामिल किया गया था। एनएससी ने अपेक्षा की है कि एनएसएसओ द्वारा प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत रिपोर्ट को जारी करने हेतु एनएससी की मंजूरी लेने के लिए प्रत्येक मामले में दो माह का समय दिया जाएगा।

2.26 एनएससी ने अपनी 59वीं बैठक में सीएसओ (एसएसडी) के महत्व पर बल दिया जो अपनी रिपोर्टों के लिए एनएसएस इकाई स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है और यह सुझाव दिया कि अनेक एनएसएस रिपोर्टें एसएसडी को स्थानांतरित की जा सकती हैं। आर्थिक सांख्यिकी के संबंध में एनएससी द्वारा अपनी 60वीं बैठक में इसी तरह की अनुशंसा की है, जिसमें रिपोर्टों की सीएसओ (ईएसडी) को स्थानांतरित किए जाने की जरूरत है। ये सिफारिशें यदि कार्यान्वित की गईं तो एसडीआरडी बड़ी संख्या में रिपोर्टें तैयार करने के भार से मुक्त

हो जाएगा और उसके लिए मुख्य रिपोर्टों को समय पर जारी करने एवं अभिनव परिवर्तन तथा अनुसंधान पर अपना ध्यान देना सहज हो जाएगा।

2.27 अगस्त, 2013 में आयोजित एनएसएसओ के कार्यकरण पर गहन विचार-विमर्श सत्र में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त किया गया :

> "चूंकि रिपोर्ट लिखने में काफी समय लगता है, इसलिए एसडीआरडी केवल शामिल किए गए विषयों पर मुख्य रिपोर्ट लिखे तथा अन्य रिपोर्टें इकाई स्तरीय आंकड़ों के आधार पर प्रयोक्ता विभागों द्वारा लिखी जाए। संबंधित कार्यकारी समूह को इन रिपोर्टों को लिखने का काम कार्यकारी समूह के संबंधित सरकारी सदस्यों को सौंपना चाहिए। यहां तक कि अनुसंधान फैलो/ इन्टर्न को भी यह कार्य सौंपे जाने पर भी विचार किया जा सकता है। कार्यकारी समूह से यह भी कहा जा सकता है कि वह रिपोर्ट में दी जाने वाली तालिकाओं की संख्या को कम करे। वे, सर्वेक्षण संबंधी जिन रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जाना है उनकी संख्या को कम करने पर भी अपना विचार रख सकते हैं। एनएसएस सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टें लिखने के लिए आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग तथा सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग को शामिल करने की संभावना खोजना बहुत उपयुक्त है और इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है।"

2.28 उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एनएसएसओ ने 61वीं एनएससी की बैठक में अनुरोध किया कि एनएससी, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करे तथा उपयुक्त निर्देश दे :

- एनएसएसओ द्वारा तैयार तथा जारी की जाने वाली रिपोर्टें
- कार्यकारी समूहों द्वारा सर्वेक्षण साधन और रिपोर्टें तैयार करने के उपरांत एनएससी की भूमिका

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

2.29 एनएससी ने उक्त मुद्दों पर विचार किया तथा निम्नलिखित निर्देश दिए :

(क) कार्यकारी समूह पहले की भांति कार्यप्रणालियों से संबंधित साधनों का ब्योरा एनएससी को प्रस्तुत करेंगे। इनमें प्रतिचयन अभिकल्प, अवधारणाएं और परिभाषाएं तथा जांच अनुसूचियां शामिल होंगी।

(ख) कार्यकारी समूह द्वारा प्रत्येक सर्वेक्षण के संबंध में तैयार की गई सारणीयन योजना और रिपोर्टों की सूची अनुमोदन के लिए एनएससी को प्रस्तुत की जाएगी। कार्यकारी समूह के सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिनमें इन मुद्दों पर एनएससी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ग) एनएसएसओ प्रत्येक दौर में जांच के विषयों में मुख्य परिणामों को शामिल करने वाली सिंहावलोकन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा तथा साथ ही इकाई स्तरीय आंकड़े जारी करेगा। अन्य रिपोर्टों को तैयार करने की जिम्मेदारी के बारे में एनएससी अंतिम

निर्णय लेगा। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित विषय क्षेत्रों के बारे में संबंधित इकाई स्तरीय आंकड़े एनएसएसओ द्वारा उनके साथ साझा किए जाएंगे तथा इन आंकड़ों के आधार पर, उन्हें अपनी स्वयं की रिपोर्टें प्रकाशित करनी चाहिए।

(घ) उक्त प्रक्रिया एनएसएस को 71वें दौरे के आगे से प्रारंभ की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौरों की भरी हुई जांच अनुसूचियों की छंटनी

2.30 कार्यालय स्थान की कमी के कारण, एनएसएसओ को समय-समय पर (भरी हुई) पुरानी पेपर अनुसूचियों की छंटनी करनी है। भरी हुई अनुसूचियां दो प्रकार की हैं – सूचीबद्ध अनुसूचियां तथा विस्तृत जांच अनुसूचियां। विस्तृत जांच अनुसूचियां इकाई स्तरीय आंकड़ों का आधार है तथा सूचीबद्ध अनुसूचियों गुणकों संबंधी सूचना उपलब्ध कराती है। पहले यह निर्णय लिया गया था कि विस्तृत जांच अनुसूचियों को एनएसएस के विशेष दौर की अंतिम रिपोर्ट के प्रकाशन के एक वर्ष बाद छंटनी की जा सकती है तथा इकाई स्तरीय आंकड़े (एनएससी की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12) जारी किए जाएं।

2.31 सूचीबद्ध अनुसूचियों की छंटनी के मुद्दे पर एनएससी की 42वीं बैठक में विचार किया गया था तथा एनएससी ने यह मांग की कि पब्लिक डोमेन में सूचीबद्ध अनुसूचियों में विहित आंकड़ें रखने की व्यवहार्यता संबंधी नोट उन पैरामीटर पर जिन पर इकाई स्तरीय आंकड़ों के प्रसार के द्वारा इस समय उपलब्ध कराया जा रहा है उसे एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत किया जाए। एनएससी की 50वीं बैठक के दौरान मामले पर पुनर्विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि सूचीबद्ध अनुसूचियों में ग्रामीण सुविधाओं पर एकत्रित सूचनाओं की सारणी बनाकर उसे रिपोर्टों में प्रस्तुत किया जाए तथा सूचीबद्ध अनुसूचियों के माध्यम से और अधिक सूचना एकत्र करने के लिए उचित प्रस्तावों पर एनएसएस मामलों की स्थायी तकनीकी समिति में विचार किया जाएगा।

2.32 स्थायी समिति ने 8 अगस्त, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ अनुशंसा की गई कि सूचीबद्ध अनुसूचियों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए तथा परिवारों के चयन को सहज बनाने और ग्रामीण सुविधाओं पर ब्लॉक के माध्यम से एकत्र आंकड़ों के संसाधन के अलावा गुणकों के परिकलन के लिए उपयोग तक सीमित किया जाए तथा 66वें एनएसएस दौर तक सूचीबद्ध अनुसूचियों की छंटनी की जाए। समिति ने आगे अनुशंसा की कि यदि किसी दौर की सूचीबद्ध अनुसूचियों का कोई कार्यप्रणाली अध्ययन अपेक्षित है तो फिर इसे जैसा उपयुक्त हो इलेक्ट्रॉनिक/ भौतिक रूप में रखा जा सकता है।

2.33 एनएसएसओ ने एनएससी की 61वीं बैठक में एनएसएस के 51वें दौर के आगे से लिए भरी हुई सूचीबद्ध अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति के बारे में बताया :

(i) 51वें से 55वें दौर की एनएसएस की सभी सूचीबद्ध अनुसूचियां एनएसएसओ (डीपीडी) के विभिन्न आंकड़ा संसाधन केंद्रों से आंकड़ा प्रविष्टि, संसाधन और सारणीयन के लिए कम्प्यूटर केंद्र भेजी गई।

(ii) कम्प्यूटर केंद्र ने एनएसएस के 54वें दौर की सूचीबद्ध अनुसूचियों की आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया है तथा आंकड़ों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। सर्वेक्षण के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड ने प्रकाशन हेतु रिपोर्ट को उपयोगी नहीं पाया, क्योंकि पहले उपयोग की गई सूचना के अतिरिक्त इसमें परिवारों के चयन में कोई अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

(iii) एनएसएस के 55वें दौर का आंकड़ा प्रविष्टि कार्य कम्प्यूटर सेंटर तथा आंकड़ा संसाधन केंद्र, बंगलौर द्वारा पूरा कर लिया गया है। ये आंकड़े अब डीपीडी की सुरक्षा में हैं तथा इन्हें संसाधित तथा सारणीबद्ध किया जाना है।

(iv) 51वें से 53वें तक के एनएसएस दौरों की सूचीबद्ध अनुसूचियां कम्प्यूटर सेंटर में हैं, और उसने जनशक्ति की कमी के कारण इन अनुसूचियों को लोड करने तथा संसाधित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

(v) एनएसएस के 56वें दौर से आगे की सूचीबद्ध अनुसूचियां एनएसएसओ (डीपीडी) के विभिन्न आंकड़ा संसाधन केंद्रों के पास हैं।

2.34 एनएसएसओ ने उल्लेख किया कि 51वें से 53वें तक के दौरों तथा 56वें से 64वें तक के दौरों की सूचीबद्ध अनुसूचियों के परिरक्षण अथवा संसाधन से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि संबंधित विषयों के संबंध में दोबारा से सर्वेक्षण पहले ही बाद के दौरों में किए जा चुके हैं। यदि उनकी छंटनी नहीं भी की जाती फिर भी स्वाभाविक रूप से टूट-फूट के कारण आंकड़ा संसाधन हेतु पठनीय अथवा उपयोग के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से अनुसूचियां 10 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि सूचीबद्ध अनुसूचियों के सारांश ब्लॉक पर सूचना, जिससे गुणकों का परिकलन किया जाता है, का एनएसएस के सभी दौरों के लिए आंकड़ा-प्रविष्टि और सारणीयन किया गया है। इसके अलावा, 61वें दौरे से आगे, सूचीबद्ध अनुसूची में "ग्रामीण सुविधाएं" का एक नया ब्लॉक जोड़ा गया है। इस ब्लॉक में आंकड़ा-प्रविष्टि तथा नवीनतम दौर तक सारणीयन किया गया है तथा तालिकाएं तैयार की गई हैं।

2.35 उक्त के आलोक में, एनएसएसओ ने अनुरोध किया कि एनएससी निम्नलिखित पर विचार करे और अपना अनुमोदन दे :

1. एनएसएस के 61वें से 65वें तक के दौरों की सूचीबद्ध अनुसूचियों की स्कैन की गई इमेज को रखने के उपरांत एनएसएस के 65वें दौर तक सभी सूचीबद्ध अनुसूचियों की छंटनी की जाए;
2. एनएसएस के 66वें दौर तथा भावी दौरों की सूचीबद्ध अनुसूचियों की स्कैन की गई इमेज रखना तथा तदुपरांत, उन दौरों से संबंधित सभी एनएसएस रिपोर्टों को जारी करने के उपरांत विस्तृत जांच अनुसूचियों सहित सूचीबद्ध अनुसूचियों की छंटनी करना।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

2.36 एनएससी ने अपनी 61वीं बैठक में उल्लिखित स्थिति के आलोक में एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावों पर विचार किया तथा निम्नलिखित निर्देश दिए :

(क) जहां व्यवहार्य हो, भरी हुई सूचीबद्ध अनुसूचियों की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में (पुन: प्राप्त करने को सहज बनाने हेतु उचित क्रमणिका के साथ) रखी जाएं तथा पेपर अनुसूचियों की छंटनी की जाए। भविष्य में, समस्त भरी हुई सूचीबद्ध अनुसूचियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने के तुरंत बाद उनकी छंटनी की जाए।

(ख) जब तक आंकड़ों की अपेक्षित पुन: जांच के प्रश्न न उठाए जाएं पब्लिक डोमेन में इकाई स्तरीय आंकड़ों को रखने के उपरांत दो वर्ष बाद विस्तृत जांच अनुसूचियों की छंटनी की जाए।

नई व्यावसायिक समितियां

2.37 एनएससी ने तीन विषयगत क्षेत्रों का पता लगाया है, जिनमें योजना आयोग तथा एनएससी को सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार करने हेतु अपने समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रयोजनार्थ एनएससी द्वारा निर्धारित किए गए तीन विषयगत क्षेत्र हैं – शैक्षणिक सांख्यिकी, श्रम सांख्यिकी तथा वित्तीय सांख्यिकी। एनएससी ने महसूस किया कि इन तीन विषयगत क्षेत्रों में व्यावसायिक समितियों का गठन करने की जरूरत है। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा तथा सह-अध्यक्षता एनएससी के एक सदस्य द्वारा की जाएगी। प्रत्येक समिति को तकनीकी कार्य में सहायतार्थ संस्थागत परामर्शी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

2.38 एनएससी के अध्यक्ष ने समितियों की अध्यक्षता करने के लिए योजना आयोग के संबंधित सदस्यों से अनुरोध करते हुए उन्हें पत्र लिखे। सह-अध्यक्षता के संबंध में, एनएससी के नामित सदस्य हैं :

(क) शैक्षणिक सांख्यिकी - श्री रमेश कोल्ली
(ख) श्रम सांख्यिकी - प्रो. बी एन गोलदार
(ग) वित्तीय सांख्यिकी – प्रो; एस महेन्द्र देव

2.39 सीएसओ (एसएसडी), सीएसओ (ईएसडी) तथा सीएसओ (एनएडी) क्रमश: उपरोक्त समितियों को सचिवालयी सहयता प्रदान करेंगे।

2.40 प्रत्येक समिति अपनी संरचना और कार्यकलापों के संबंध में केंद्र में स्थित संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करेगी, इस क्षेत्र में आंकड़ों के प्रयोक्ताओं और अन्य विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाएगी, इसे सौंपे गए विषय क्षेत्र पर उपलब्ध सामग्री एकत्र करेगी, आंकड़ा अंतरों और आंकड़ा कमियों का पता लगाएगी तथा समन्वयन तंत्रों को सुदृढ़ बनाने सहित इस प्रणाली में समस्याओं को सुलझाने के तौर-तरीकों के बारे में सुझाव

देगी आशा है कि इस प्रक्रिया से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में ज्ञान और संस्थागत मेमोरी पुन: स्थापित होगी।

2.41 समिति की रिपोर्टों पर एनएससी द्वारा विचार किया जाएगा तथा एनएससी प्रत्येक उपरोक्त विषय क्षेत्रों पर मंत्रालय-वार विशिष्ट अनुशंसाएं करेगी। ये अनुशंसाएं विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के समक्ष रखी जाएंगी।

2.42 समितियों का गठन करने तथा संस्थानिक परामर्शदाताओं के चयन के लिए आगे और रूपात्मकताओं पर अध्यक्ष, एनएससी के अनुमोदन से कार्य किया जा रहा है। समितियां यथा समय गठित की जाएंगी।

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी नीति

प्रस्तावना

1. शासकीय सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तैयार करने व उनकी निगरानी में सहायतार्थ तथा देश में विविध गैर-सरकारी इकाइयां निर्णय ले सकें इसके लिए समाज और अर्थव्यवस्था की सही, अद्यतन, व्यापक और अर्थपूर्ण अनुभवजन्य तस्वीर पेश करना है। यह माना जाता है कि शासकीय सांख्यिकी सार्वजनिक वस्तु है और उन्हें कुछ मौलिक सिद्धांतों का अवश्य पालन करना चाहिए, जैसे व्यावसायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जवाबदेही और आंकड़ों के संग्रहण संकलन और प्रसार की पद्धतियों में पारदर्शिता। ये सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र शासकीय सांख्यिकी मौलिक सिद्धांतों में अंतर्निहित है :

सिद्धांत 1. एक जनतांत्रिक समाज की सूचना प्रणाली में सरकारी आंकड़े एक अपरिहार्य तत्व है जो आर्थिक, जनांकिकी, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के बारे में सरकार, अर्थव्यवस्था और जनता की सूचना प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके लिए सरकारी आंकड़े जो व्यावहारिक उपयोगिता की परीक्षा में खरे उतरते हैं उन्हें नागरिकों के सार्वजनिक सूचना के अधिकार का सम्मान करने के लिए सरकारी सांख्यिकी एजेंसियों द्वारा संकलित किया जाना है और निष्पक्ष तौर पर उपलब्ध कराया जाना है।

सिद्धांत 2. शासकीय सांख्यिकी में विश्वास कायम रखने के लिए सांख्यिकी एजेंसियों को सख्ती से व्यावसायिक विचारों के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता है जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन, भंडारण और प्रस्तुतीकरण के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर वैज्ञानिक सिद्धांत और व्यावसायिक नीति शामिल है।

सिद्धांत 3. आंकड़ों की सही व्याख्या को सहज बनाने हेतु, सांख्यिकी एजेंसियों को सांख्यिकी के स्रोतों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं संबंधी वैज्ञानिक मानकों के अनुसार सूचना प्रस्तुत करनी है।

सिद्धांत 4. सांख्यिकी एजेंसियों को सांख्यिकी की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और दुरूपयोग पर टिप्पणी करने का हक है।

सिद्धांत 5. सांख्यिकी प्रयोजनों हेतु आंकड़े सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जाएं, चाहे वे सांख्यिकी सर्वेक्षणों से हों अथवा प्रशासनिक रिकार्डों से हों। सांख्यिकी एजेंसियों को गुणवत्ता, समयपरकता, लागतों तथा उत्तरदाताओं पर बोझ को देखते हुए स्रोत को चुनना है।

सिद्धांत 6. सांख्यिकी संकलन के लिए सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा एकत्र वैयक्तिक आंकड़ों को चाहे वे प्राकृतिक अथवा कानूनी व्यक्तियों से संबंधित हों, को बिल्कुल गोपनीय रखना है तथा उन्हें केवल सांख्यिकीय प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना है।

सिद्धांत 7. कानून, विनियम और उपायों जिनके तहत सांख्यिकी प्रणालियों का प्रचालन होता है, को सार्वजनिक किया जाना होता है।

सिद्धांत 8. सांख्यिकीय प्रणाली में सततता और दक्षता प्राप्त करने हेतु देशों के भीतर सांख्यिकी एजेंसियों में समन्वय अनिवार्य है।

सिद्धांत 9. प्रत्येक देश में अंतरराष्ट्रीय अवधारणाओं, वर्गीकरणों तथा पद्धतियों का सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा उपयोग सभी शासकीय स्तरों पर सततता और दक्षता को बढ़ावा देता है।

सिद्धांत 10. सांख्यिकी में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग सभी देशों में शासकीय सांख्यिकी की प्रणालियों में सुधार लाने में योगदान देता है।

उद्देश्य

2. भारत में शासकीय सांख्यिकी प्रणाली शक्तियों के बंटवारे की संवैधानिक योजना के अनुसार देश के समग्र शासन और प्रशासनिक संरचना के भीतर कार्य करती है। केंद्र में यह मंत्रालयों और विभागों में समरूप से विकेंद्रित है। जबकि प्रत्येक मंत्रालय का कार्यक्षेत्र केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच उर्ध्वस्थ रूप में विकेंद्रित है। हाल के वर्षों में, निजी आंकड़ा स्रोत शासकीय आंकड़ों के लिए अधिक महत्वपूर्ण संपूरक बन गए हैं।

3. ऐसी विकेंद्रीकृत सांख्यिकी प्रणाली में, सिद्धांतों के एक जैसे सैट का अनुपालन जनता के विश्वास को बनाने के लिए अनिवार्य है और यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विभिन्न घटक भाग एक ढांचे के अंदर अपने कार्य करें जो इन सिद्धांतों के अनुरूप हों। यह नीति शासकीय सांख्यिकी के संयुक्त राष्ट्र मौलिक सिद्धांतों को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अंगीकार करती है तथा उनके अनुरूप एक ढांचा तैयार करती है। इसमें अनुपालन को प्रोत्साहन देने और उसका मूल्यांकन करने की व्यवस्था है।

ढांचा

4. उपरोक्त उद्देश्य को प्रभाव में लाने के लिए केंद्र सरकार इस नीति को निरूपित करती है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल शामिल हैं :

(क) मूल सांख्यिकी;
(ख) आंकड़ा गुणवत्ता;
(ग) सांख्यिकीय पद्धति का कोड;
(घ) सांख्यिकी नियम-पुस्तिका;
(ङ) आंकड़ा प्रलेखन;
(च) सांख्यिकीय समन्वय;

(छ) आंकड़ा संग्रहण में दक्षता;

(ज) आंकड़ा प्रसार;

(झ) क्षमता विकास;

(ञ) संस्थागत और कानूनी ढांचा;

(ट) आंकड़ा आवश्यकताओं का मूल्यांकन;

(ठ) संबंधित मंत्रालयों द्वारा सांख्यिकी अध्ययन/रिपोर्टें;

(ड) राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को सुदृढ़ करना;

(ढ) अंतरराष्ट्रीय सहयोग;

क. कोर सांख्यिकी

5. राष्ट्रीय महत्व की सांख्यिकी, जिसे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, को कोर सांख्यिकी के रूप में नामोदिष्ट किया जाना है और उसकी प्रोन्नति तथा विनियमन के लिए पहचान की जाएगी। इन्हें एकत्र करना तथा सरकारों के लिए सभी स्तरों पर उनका संग्रहण और प्रसार अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के निर्देशन में केंद्र सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय :

(i) समय-समय पर "कोर सांख्यिकी" की पहचान करेगा ओर उसे अधिसूचित करेगा।

(ii) कोर सांख्यिकी या राष्ट्रीय गुणवत्तापरक मानक विकसित करेगा जैसे, मानक सांख्यिकी अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण और प्रणालियां, विभिन्न आंकड़ा सैटों के लिए कैलेंडर जारी करने सहित संग्रहण, सारणीयन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय कार्यानीतियां तैयार करेगा और कोर सांख्यिकी के संबंध में गुणवत्ता, विश्वसनीयता, समयबद्धता और जनता में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए मानकों को लागू करने में शामिल विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच सांख्यिकी समन्वय सुनिश्चित करेगा।

(iii) राष्ट्रीय गुणवत्तापरक मानक केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उन सभी एजेंसियों पर बाध्य होंगे जो सभी कोर सांख्यिकी के लिए अपेक्षित आंकड़े तैयार करने में लगी हुई हैं।

ख. आंकड़ा गुणवत्ता

6. शासकीय सांख्यिकी में जनता का विश्वास आंकड़ों की सुविचारित गुणवत्ता और सुसंगति पर निर्भर करता है। आंकड़ों की गुणवत्ता, निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ा संग्रहण और संकलन अच्छी पद्धतियों; सुसंगत और पारदर्शी प्रक्रियाएं; तथा स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा आवधिक समीक्षा का परिणाम हैं।

7. सांख्यिकी उत्पादों में कमी का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए सांख्यिकी आडिट के रूप में बाह्य और स्वतंत्र वैधीकरण के द्वारा गुणवत्ता आश्वासन आवश्यक है। एनएससी :

(i) आंतरिक रूप से शासकीय सांख्यिकी के सभी उत्पादकों द्वारा कार्यान्वयन हेतु शासकीय सांख्यिकी पर राष्ट्रीय गुणवत्तापरक आश्वासन ढांचा विकसित करेगा।

(ii) संग्रहण, संसाधन और प्रसार को शामिल करते हुए सभी प्रमुख सांख्यिकीय उत्पादों पर स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर सांख्यिकीय आडिट का संचालन करेगा और आडिट से प्राप्त निष्कर्षों और उसके परिणामस्वरूप प्रणाली में किए गए सुधारों को पब्लिक डोमेन में रखेगा।

ग. सांख्यिकीय पद्धति का कोड

8. सरकार के भीतर तथा बाहर और व्यापक स्तर पर जनता में प्रयोक्ताओं की जायज आशाओं को पूरा करने के लिए अच्छी मानक पद्धतियों को स्थापित करने की आवश्यकता है। सांख्यिकी मंत्रालय एनएससी के परामर्श से समय-समय पर सांख्यिकी पद्धति का एक कोड अधिसूचित करेगा। इस कोड़ का निम्नलिखित द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा :

(i) केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग;

(ii) सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा उनके कारणत्व; और

(iii) कोर सांख्यिकी तथा सांख्यिकी कार्यकलापों के संबंध में सभी राज्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निधि दी जाती है।

9. सांख्यिकी मंत्रालय, सक्रिय प्रोत्साहन उपायों के जरिए अन्य शासकीय सांख्यिकी के उत्पादकों तथा सांख्यिकी के निजी उत्पादकों में सांख्यिकी पद्धति कोड के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा।

घ. सांख्यिकी नियम-पुस्तिका

10. समरूपता, सुसंगतता और तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण, मानदंड ओर प्रोटोकाल निर्धारित किए जाने अपेक्षित हैं। सांख्यिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय/विभाग, यदि कोई हो, के सहयोग से सांख्यिकी प्रक्रियाओं, प्रोटोकाल और व्यावसायिक नीति सहित भिन्न-भिन्न विषयों पर, समय-समय पर, सांख्यिकी नियम-पुस्तिकाएं प्रकाशित करेगा।

11. सभी नए सांख्यिकीय उत्पादों को पब्लिक डोमेन में रखे जाने के लिए पर्याप्त प्रलेखन के साथ प्रकाशित किया जाएगा। एनएससी के परामर्श से सांख्यिकी मंत्रालय अपेक्षित न्यूनतम प्रलेखन निर्धारित करेगा।

12. नियमित प्रकृति के सभी नए सांख्यिकी उत्पादों के लिए एनएससी के परामर्श से सांख्यिकी मंत्रालय, अपेक्षित न्यूनतम प्रलेखन निर्धारित करेगा तथा नियम-पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा, जिन्हें शीघ्रतिशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।

13. मौजूदा सांख्यिकी उत्पादों के संबंध में पिछली नियम-पुस्तिकाओं के कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्रतिशीघ्र सभी प्रयास किए जाएंगे।

ड. आंकड़ा प्रलेखन

14. सांख्यिकी मंत्रालय एनएससी के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करने के लिए समय-समय पर एक आंकड़ा प्रलेखन नीति अधिसूचित करेगा।

(क) मेटाडाटा
(ख) प्रयोक्ताओं हेतु आंकड़ा संरचना और अनुदेश
(ग) सांख्यिकी मामलों पर केंद्र में तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त तकनीकी समितियों का आउटपुट
(घ) कार्यप्रणालीगत अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, प्रभार अध्ययन, टाइप अध्ययन, अथवा तकनीकी समितियां द्वारा की गई अनुशंसाओं से उत्पन्न किसी अन्य अध्ययन पर तकनीकी मोनोग्राफ
(ङ) आंकड़ों की गलत व्याख्या के उदाहरण तथा सरकार द्वारा उस बारे में दिया गया स्पष्टीकरण

च. सांख्यिकीय समन्वय

15. सरकारी आंकड़ों की व्यवहार्यता को बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पणधारियों के आंकड़ा आवश्यकताएं अनावश्यक रूप से दोहराए बिना अथवा तंत्र के कुछ भागों पर ज्यादा बोझ डाले बिना पूरी कर दी जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय आवश्यक है। सांख्यिकी मंत्रालय जिसके प्रमुख भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/एजेंसियों में ऐसा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है।

16. सांख्यिकी मंत्रालय, एनएससी के परामर्श से निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया विकसित करेगा :

(क) पुनरावृत्ति दूर करने और आंकड़ा अंतरों को भरने के लिए सरकार की आंकड़े उत्पन्न करने वाली एजेंसियों से परामर्श;
(ख) आंकड़ों की गोपनीयता/सुरक्षा से समझौता किए बिना आंकड़ों को सहज रूप में साझा करना;
(ग) अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों, प्रतिचयन फ्रेमों आदि में तालमेल के द्वारा माध्यम से संगतता सुनिश्चित करना;

17. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय/एजेंसियां इन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने में सांख्यिकी मंत्रालय को पूरी सहायता देंगी। कोई असहमति होने की स्थिति में मामले को एनएससी भेजा जाएगा।

18. सांख्यिकी मंत्रालय, योजना आवश्यक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर पर विकास के विश्वसनीय संकेतक उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों" की एजेंसियों द्वारा एकत्र आंकड़ों की पूलिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा। यह अन्य क्षेत्रों जहां सरकार के दोनों स्तर सक्रिय हैं, में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र सरकार के आंकड़ों की पूलिंग की व्यवहार्यता की भी जांच करेगा। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करने हेतु भी उपाय करेगा।

छ. आंकड़ा संग्रहण की दक्षता

19. प्रशासनिक आंकड़ों के जेनरेशन अथवा इनके अल्प-उपयोग तक न पहुंचने की कमी, लागत और समयोचितता के रूप में शासकीय सांख्यिकी में अकुशलता का एक प्रमुख कारण है। सांख्यिकी मंत्रालय, एनएससी के परामर्श से सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक आंकड़ा सैटों की उपयोगिता में सुधार करने हेतु आवश्यक उपायों की जांच करेगा। यह प्रशासनिक आंकड़ा सैटों को साझा करने में गोपनीयता की चिंताओं का निराकरण करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां इस प्रयास में पूर्ण सहयोग करेगी। एनएससी इस संबंध में कोई अंतर-मंत्रालयी विवाद होने पर एनएससी मध्यस्थता करेगा।

ज. आंकड़ा प्रसार

20. केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी और सुलभता नीति की घोषणा की है, जो दिनांक 17 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र (साप्ताहिक), भाग-1 के खंड-1, संदर्भ संख्या 501आईजीआई/2011, अंक संख्या 11 में प्रकाशित की गई। सांख्यिकी मंत्रालय, एनएससी के परामर्श से शासकीय सांख्यिकी की श्रेणियों जिनके लिए इस नीति का अनुपालन अनिवार्य होगा तथा उन मानकों को अधिसूचित करेगा, जिनका उनकी उपयोगिता बढ़ाने अंतरों का पता लगाने के लिए ऐसी सांख्यिकी के एकीकरण हेतु पालन किया जाना चाहिए।

झ. क्षमता विकास

21. शासकीय सांख्यिकी प्रणाली को समय-समय पर सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु अपने कार्मिकों की तकनीकी क्षमता और ज्ञान आधार का सतत रूप से उन्नयन करने की जरूरत है। सांख्यिकी मंत्रालय समय-समय पर शासकीय सांख्यिकी प्रणाली की मानव संसाधन जरूरतों के मूल्यांकन हेतु एक तंत्र स्थापित करना :-

(i) शासकीय सांख्यिकी प्रणाली में प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के एकसमान पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शासकीय सांख्यिकी तैयार करने में लगी सरकार तथा इसकी एजेंसियों के सभी स्थानों को नेटवर्क के अंतर्गत लाएगा;

(ii) शासकीय सांख्यिकी के सार्वजनिक हित के स्वरूप को प्रभावित किए बिना, जहां आवश्यक होगा, सांख्यिकी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के द्वारा

मौजूदा मानव संसाधन में वृद्धि करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ दिशानिर्देश निर्धारित करेगा;

(iii) सांख्यिकी अधिकारियों/स्टाफ के लिए प्रवेश और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा और साथ ही सांख्यिकी सिद्धांत और व्यवहार में उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए अध्ययन अवकाश अथवा विश्राम अवकाश का भी प्रावधान करेगा;

(iv) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय राजस्व सेवा जैसी संगठित सेवाओं सहित सरकार के गैर-सांख्यिकीय विषयों से संबंधित अधिकारियों और स्टॉफ को प्रशासन में सांख्यिकी के उपयोग पर प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित करेगा प्रशिक्षण देगा;

(v) विभिन्न आईटी पैकेजों तथा आईटी अनुप्रयोगों पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों, आयोजित करेगा और इसके फलस्वरूप सांख्यिकी और स्टॉफ को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

ञ. संस्थागत और कानूनी ढांचा

22. किसी भी विषय पर आंकड़ों का संग्रहण आमतौर पर संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग का दायित्व है संघ, राज्य अथवा समवर्ती सूचियों में अपनी स्थिति के अनुसार इस विषय के लिए उत्तरदायी है, ऐसे आंकड़े का संग्रहण अधिकांशत: विभिन्न अधिनियमों और नीतियों में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें सरकारी एजेंसियों को आंकड़ों की प्रस्तुति स्वैच्छिक होती है तथा उत्तरवर्ती होने का कानूनी मंजूरी अथवा कानूनी सुरक्षा नहीं है। सरकारी एजेंसियों द्वारा आंकड़ा संग्रहण को व्यवस्थित करने के तथा उत्तरदाताओं की सुरक्षा के लिए, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) का सामान्यत: उन सभी मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां किसी खास अधिनियम में कोई विशेष सांविधिक प्रावधान नहीं है। सभी अपवादिक मामलों में, केंद्र में संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग लिखित में इसके कारणों को रिकार्ड करेगा और इसकी सूचना एनएससी को देगा।

23. सांख्यिकी मंत्रालय, जिसके प्रमुख भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) हैं, देश में सांख्यिकी प्रणाली के योजनाबद्ध विकास तथा सरकार में सभी सांख्यिकी कार्यकलापों में समन्वय हेतु एक नोडल एजेंसी है। मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इस हैसियत से, सांख्यिकी मंत्रालय किसी भी सरकारी एजेंसी को सभी मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो इस अधिनियम के तहत आंकड़े एकत्र करना चाहती हैं।

24. एनएससी, जिसे सरकार द्वारा गठित किया गया तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के भीतर रखा गया एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार से अलग होकर एक गैर-मंत्रालयी इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और इसके लिए सीधे संसद के प्रति जवाबदेह है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं : एक कार्य है निरीक्षण तथा दूसरा शासकीय

सांख्यिकी कार्यकलापों का मूल्यांकन। एनएससी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से संसद के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, तंत्र में सांख्यिकी मंत्रालय तथा अन्य कार्यालयों के पदाधिकारियों के लिए कार्यान्वयन के लिए एनएससी की अनुशंसाओं पर कार्यविधि करना आवश्यक है, एनएससी को संसद के उचित अधिनियम के माध्यम से सांविधिक महत्व प्रदान किया जाएगा।

25. इस समय, अनेक जनगणनाएं हैं, जो बिना किसी कानूनी समर्थन के की जाती हैं। जनगणनाएं जो इस समय जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के अंतर्गत नहीं की जा रही उन्हें सांविधिक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

26. एनएससी, उनके लिए अपेक्षित सांख्यिकी कार्यकलापों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की संस्थागत क्षमता का समय-समय पर मूल्यांकन करेगा तथा सरकार को उचित अनुशंसाएं करेगा।

ट. आंकड़ा आवश्यकताओं का मूल्यांकन

27. भारतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए देश तथा विदेश में विविध पणधारियों की बड़े पैमाने पर आंकड़ा आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की निरंतर जरूरत है। अभी इस प्रकार का मूल्यांकन करने की कोई ढांचागत प्रणाली नहीं है तथा यह कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तदर्थ आधार पर किया जाता है। चूंकि शासकीय सांख्यिकी प्रणाली द्वारा किस प्रकार के आंकड़े तैयार किए जाने की आवश्यकता है इस बारे में सरकारी एजेंसियों और पणधारियों के बड़े समुदाय के बीच परस्पर हितों का झगड़ा होन की संभावना हो सकती है, इसलिए एनएससी नियमित प्रक्रियाएं स्थापित करेगा जिनके द्वारा विभिन्न पणधारियों की आंकड़ा आवश्यकताएं प्राप्त की जाती हैं और एनएससी निर्णय करेगा कि कौन सी जरूरतों को शासकीय सांख्यिकी प्रणाली के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार का मूल्यांकन संसद को प्रस्तुत की जाने वाली एनएससी की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग होगा।

ठ. संबंधित मंत्रालयों द्वारा सांख्यिकी अध्ययन

28. केंद्र के संबंधित मंत्रालय/विभाग, जनगणनाओं, प्रतिदर्श सर्वेक्षणों, मामला अध्ययनों, कार्यप्रणाली अध्ययनों तथा प्रशासनिक आंकड़ों जैसे विभिन्न सांख्यिकीय कार्यकलापों के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर समय-समय पर अध्ययन/रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं। ये कार्यकलाप व्यावसायिक तरीके से पूरे किए जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकाल का विकास करने की आवश्यकता है। ये कार्यकलाप व्यावसायिक तरीके से कार्यान्वित किए जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एनएससी के परामर्श से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों (मुख्य रूप से प्रतिदर्श सर्वेक्षणों) के संबंध में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु दिशानिर्देशों अधिसूचित किए हैं। ये दिशानिर्देश 5 दिसम्बर, 2011 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खंड-4 अंक संख्या 232 में प्रकाशित किए गए थे। मंत्रालय शेष कार्यकलापों के संबंध में इसी तरह के दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा।

29. संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा इस प्रकार के सांख्यिकी क्रियाकलापों पर रिपोर्टों को जारी करने से पूर्व एनएससी की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ड. राज्य सांख्यिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

30. चूंकि कुछ सांख्यिकी विषय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आते हैं, अत: यह महत्वपूर्ण है कि वे भी अपनी सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार करें। सांख्यिकी मंत्रालय :

(i) सभी सांख्यिकीय मामलों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करेगा।

(ii) सभी कोर सांख्यिकी हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(iii) राज्यों को उन आंकड़ों के बारे में सलाह देगा जो राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण हैा ताकि उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा समयपरकता सुनिश्चित हो सके।

(iv) राज्यों को उनके द्वारा एकत्र आंकड़ों को एकीकृत करने तथा विशेषकर, पंचायती राज तथा नगरपालिका संस्थाओं के स्तर पर आंकड़ा आधार का सृजन करने और उन्हें राज्य सांख्यिकी प्रणाली के साथ एकीकृत समेकित करने के बारे में सलाह देगा।

(v) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में राज्य सांख्यिकी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु, यदि आवश्यक हो, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का विकास तथा कार्यान्वयन करेगा।

(vi) आंकड़ा संसाधन तथा आंकड़ा एकीकरण सहित सभी सरकारी सांख्यिकी मामले में राज्य स्तर के सांख्यिकीय अधिकारियों/स्टाफ को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा।

ढ. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

31. अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियों और कन्वेंशनों में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत, बड़े पैमाने पर विविध प्रकार के संकेतकों से संबंधित सांख्यिकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सांख्यिकी सूचना के विषय में देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं व्यवहार्य हैं और उन्हें पूरे उत्साह के साथ पूरा किया जाता है, सांख्यिकी मंत्रालय निरपवाद रूप से सभी उन मामलों से संबद्ध रहेगा, जहां इस प्रकार की सांख्यिकी सूचना अपेक्षित होगी।

32. सरकारी सांख्यिकी के नए और उभरते क्षेत्रों में, यह वांछनीय है कि भारतीय सांख्यिकी एजेंसियां, भारतीय संदर्भ में उपयुक्त सांख्यिकीय मानकों का विकास करने के लिए अन्य

देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उनके समकक्ष के साथ सहयोग करें। एनएससी ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों का विकास करने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय और संबंधित नोडल मंत्रालय के साथ ध्यानपूर्वक से कार्य करेगा।

33. सांख्यिकी मंत्रालय भारत में तथा अन्य देशों में सांख्यिकी मामलों पर क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य देशों के साथ भी सहयोग स्थापित करेगा।

नीति का कार्यान्वयन

34. केंद्र सरकार का प्रत्येक मंत्रालय और विभाग उससे संबंधित सभी सांख्यिकी कार्यकलापों के लिए कम से कम संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के अधिकारी को "नोडल अधिकारी" के रूप में घोषित करेगा। मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण/देखरेख के अंतर्गत पर्याप्त सांख्यिकी कार्यों वाले प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा स्वायत्त संस्था में उचित स्तर के एक नोडल अधिकारी अधिसूचित करेगा। यह नोडल अधिकारी ऐसे प्रपत्र में संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा इस नीति के अनुपालन संबंधी विवरण सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयावधि में सांख्यिकी मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। नोडल अधिकारी -

(क) इस नीति को कार्यान्वित करने के संबंध में विशेष कार्यनीतियां विकसित करने में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की भी सहायता करेगा;

(ख) सरकार के विचारार्थ और निर्णय हेतु अचित स्तर पर, जहां कहीं आवश्यक होगा विशेष प्रस्ताव लाएगा;

(ग) उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में किए गए निर्णयों, जैसा भी मामला हो और विकसित कार्यनीतियों, जैसा भी हो, के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा; तथा

(घ) कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद को सामविष्ट रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

35. यह नीति निम्नलिखित अधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी :

(क) भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई)

(ख) मंत्रालय द्वारा नामित सांख्यिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

(ग) नोडल अधिकारी

36. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् द्वारा उक्त अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी तथा सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

37. भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नीति के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत करेगा। वार्षिक रिपोर्टें पब्लिक डोमेन पर रखी जाएंगी।

38. राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके उचित स्तर के नोडल अधिकारियों को नामित करके पैरा 35 और 36 पर उल्लिखित परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इससे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का केंद्र द्वारा समय-समय पर विकसित और कार्यान्वित प्रक्रियाओं को जानने और अपनी संबंधित सांख्यिकी प्रणाली में पहल करने में सुविधा होगी।

नीति की समीक्षा

39. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर, एनएससी के परामर्श से इस नीति की पांच वर्षों में एक बार समीक्षा की जाएगी और यदि संशोधन आवश्यक होंगे तो नीति में शामिल किए जाएंगे।

अनुलग्नक-II

अनुशंसाओं की लंबित स्थिति पर दो विवरण

विवरण-1 : रंगराजन आयोग अनुशंसाओं की मंत्रालय-वार लंबित स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुशंसाओं की लंबित संख्या*
1	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	214
2	कृषि और सहकारिता	40
3	मानव संसाधन विकास	40
4	भारतीय रिजर्व बैंक	37
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	27
6	गृह मंत्रालय	24
7	श्रम और रोजगार	22
8	औद्योगिक नीति एवं उन्नयन	14
9	वाणिज्य	12
10	आर्थिक कार्य विभाग	11
11	पर्यावरण एवं वन	10
12	आवास, शहारी विकास और गरीबी उपशमन	10
13	कारपोरेट मंत्रालय	9
14	राजस्व	9
15	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	8
16	सड़क परिवन एवं राजमार्ग	8
17	वित्तीय सेवाएं	7
18	जहाजरानी	7
19	व्यय	6
20	विद्युत	6
21	ग्रामीण विकास	6
22	पशुपालन, डेरी एवं मत्स्यपालन	5
23	नागर विमानन	50
24	डाक	5
25	महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	4
26	रेलवे	4
27	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4
28	दूरसंचार	4
29	जल संसाधन	4

30	नीति आयोग	2
31	महिला और बाल विकास	2
32	परमाणु ऊर्जा	1
33	कोयला	1
34	नई और नवीकरणीय ऊर्जा	1
35	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1
36	अंतरिक्ष	1
37	पर्यटन	1
38	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	143

*कुछेक अनुशंसाओं के मामले में, कार्यान्वयन के लिए एक से अधिक कार्यालय जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, अंतिम कॉलम का योग 467 से अधिक है (लंबित अनुशंसाओं की संख्या)

विवरण-2 लंबित एनएससी अनुशंसाओं का मंत्रालय/विभाग-वार ब्योरा

मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1	41	11	69	176	29	327
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन		8					8
कोयला		9					9
श्रम और रोजगार						1	1
वाणिज्य					1	1	2
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		4					4
कृषि एवं सहकारिता				3		1	4
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन				5			5
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम						1	1
जनजातीय कार्य मंत्रालय						1	1
व्यय						3	3
समस्त राज्य		14		27			41
दक्षिणी राज्य		20					20
लक्षद्वीप				3			3
कर्नाटक						1	1
कुल	**1**	**96**	**11**	**107**	**177**	**38**	**430**

*कुछेक अनुशंसाओं के मामले में, कार्यान्वयन के लिए एक से अधिक कार्यालय जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, योग 366 लंबित अनुशंसाओं की संख्या) से अधिक है।

अध्याय-3

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

3.1 एनएससी ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नोडल समन्वय भूमिका की समीक्षा की तथा इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में अपनी अनुशंसाएं दी। इस अध्याय में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कुछ सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा का ब्योरा दिया गया है।

3.2 एनएससी द्वारा समीक्षा को सुसाध्य बनाने के लिए सीएसओ के निम्नलिखित प्रभागों से पूर्व-निर्दिष्ट पहलुओं पर जानकारियां प्राप्त की गई। निम्नलिखित प्रभागों के संबंध में समीक्षा के निष्कर्ष तथा एनएससी की अनुशंसाएं नीचे अनुच्छेदों में दी गई हैं :

- सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी)
- आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी)
- प्रशिक्षण प्रभाग
- राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी)
- एनएडी में मूल्य और जीवन निर्वाह(पीसीएल) एकक
- संगणक केंद्र
- समन्वय और प्रकाशन प्रभाग

सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी)

3.3 सीएसओ (एसएसडी) द्वारा प्रस्तुत नोट पर एनएससी ने अपनी 59वीं बैठक में विचार किया था। अपर-महानिदेशक, सीएसओ (एएसडी) ने प्रभाग के कार्यकलापों पर बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया।

3.4 सामाजिक सांख्यिकी, जनसंख्या और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पोषण, शिक्षा, जेंडर, बच्चों, मानव विकास, निशक्तता, श्रम और रोजगार, आवास, संस्कृति, पर्यावरण आदि से संबंधित आंकड़े सम्मिलित करती है। सीएसओ में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी) कोई प्राथमिक आंकड़े एकत्र नहीं करता है, परंतु रिपोर्टें तथा प्रकाशन प्रकाशित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र पर विभिन्न स्रोत एजेंसियों द्वारा जारी आंकड़ों का उपयोग करता है। यह प्रभाग सामाजिक सांख्यिकी से संबंधित सभी मामलों पर केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों के साथ समन्वय करके कार्य करता है। इस प्रकार, एसएसडी के कार्यकलाप सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्रों में सांख्यिकी का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की सांख्यिकी खोज, आंकड़ा आधारों का विकास, सांख्यिकी के प्रचार, आंकड़ा अंतरों को भरने के लिए नए सांख्यिकी साधनों/सर्वेक्षणों का विकास करना, स्थानीय स्तर की सांख्यिकी में सुधार करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना आदि की प्रकृति के हैं।

3.5 एसएसडी अपनी तीन कार्यात्मक इकाइयों से प्रत्येक इकाई में विषयों के तीन निम्न सैटों का संचालन करता है :

(क) पर्यावरण सांख्यिकी, विपदा सांख्यिकी, जलवायु परिवर्तन सांख्यिकी, प्राकृतिक संसाधन लेखांकन, हरित राष्ट्रीय लेखा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा सहायता अनुदान के द्वारा सांख्यिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान स्कीम, स्वास्थ्य/पोषण सांख्यिकी

(ख) एमडीजी की निगरानी, बाल सांख्यिकी, निशक्तता सांख्यिकी, बजट और योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में समन्वय

(ग) स्थानीय स्तर के विकास हेतु बुनियादी सांख्यिकी, अनौपचारिक क्षेत्र पर दिल्ली समूह, समय उपयोग सर्वेक्षण, जेंडर सांख्यिकी, अपराध सांख्यिकी, सार्क विकास लक्ष्य/सार्क सामाजिक चार्टर की निगरानी, निर्धनता, मानव विकास सूचकांक, समाज संस्थाओं का जेंडर सूचकांक, सामाजिक धार्मिक श्रेणियों और डेवइन्फो के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक।

3.6 एसएसडी ने देश में सांख्यिकी संगठनों को दिशानिर्देश देने के लिए 17 विषयों पर सांख्यिकी नियम-पुस्तिकाएं तैयार की हैं। एसएसडी ने "अनौपचारिकता आकलन : अनौपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक रोजगार" संबंधी एक सांख्यिकी नियम-पुस्तिका" नामक पुस्तक तैयार करने में दिल्ली समूह की सहायता की है तथा इसे आईएलओ को सौंपा है। एसएसडी वर्ष 2005 से एमडीजी तथा सार्क सामाजिक चार्टर पर कंट्री रिपोर्टें प्रकाशित करता रहा है। यह प्रभाग देव इन्फो इंडिया वर्जन 1.0 (वर्ष 2006), "देव इन्फो" नामक तीन रूपांतर नामत: इंडिया वर्जन 2.0 (वर्ष 2008) तथा देव इन्फो इंडिया वर्जन 3.0 (वर्ष 2011) जारी करने के लिए उत्तरदायी रहा है।

3.7 एसएसडी, समय के उपयोग पर सर्वेक्षणों के संबंध में प्रो. एस आर हासिम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह की सहायता करता रहा है। यह प्रभाग, गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्तरीय सांख्यिकी का संकलन करने के लिए एक प्रायोगिक स्कीम पर कार्य करता रहा है।

3.8 "वीमैन एंड मैन इन इंडिया" (2012) तथा "कम्पेंडियम आफ एनवायरमेंट स्टैलिस्टिक्स" पर्यावरण सांख्यिकी का सार संग्रहण (2012) एसएसडी के नियमित वार्षिक प्रकाशन हैं। इनके अलावा, एसएसडी द्वारा तदर्थ प्रकाशन भी समय-समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं – "भारत में वृद्धों की स्थिति का विश्लेषण" 2011, "भारत में अशक्तता – एक सांख्यिकी रूपरेखा" 2011, तथा "भारत में बच्चे" 2012 – एक सांख्यिकी मूल्यांकन। यह प्रभाग जलवायु सांख्यिकी और आपदा सांख्यिकी – दो नए प्रकाशनों पर कार्य कर रहा है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.9 एसएसडी द्वारा अपनी 59वीं बैठक में दी गई सामग्री के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं :

(क) एसएसडी, संबंधित मंत्रालयों को सामाजिक क्षेत्र के सांख्यिकी उत्पादों के संबंध में सांख्यिकी मानक और कार्यप्रणाली प्रदान करे तथा मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी करे।

(ख) एसएसडी, संबंधित मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध सामाजिक क्षेत्र पर डेटा सेटों का अध्ययन करे तथा आंकड़ा एकीकरण का प्रयास करे।

(ग) देव इन्फो के माध्यम से आंकड़ा प्रचार-प्रसार की संभावना खोली जाए।

(घ) एसएसडी अनुसंधान अध्ययनों का वित्तपोषण करने, सम्मेलनों/संगोष्ठियों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता, भारतीय सांख्यिकीविदों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने पेपर प्रस्तुत करने हेतु यात्रा अनुदान सहायता, ऑन-द-स्पॉट निबंध लेखन प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने, पुरस्कार तथा सांख्यिकी ओलम्पियाड जैसे क्रियाकलापों पर पर्याप्त समय व्यतीत करे। बेहतर होगा, यदि इन क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रभाग अथवा सीएसओ (सीएपी) द्वारा संचालित किया जाए।

(ङ) एसएसडी प्रकाशनों का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों की रिपोर्टों से केवल तालिकाएं संकलित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्दिष्ट डेटा सेट के स्रोत रखने वाला मेटा डेटा उपलब्ध करना, आंकड़ों की गुणवत्ता पर मूल्यांकन, इसकी कवरेज, तथा इनके उपयोग पर मार्गदर्शन देना भी होना चाहिए।

(च) राज्य एमडीजी के लिए एक ढांचा विकसित करने में एसएसडी के प्रयासों की सराहना की गई। तथापि, यह महसूस किया गया कि राज्य स्तरीय एमडीजी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित नहीं किए जाने चाहिएं। एसएसडी को सलाह दी गई थी कि वह इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाए ताकि उसकी सलाह पर राज्य एसएसडी ढांचे के अनुसार राज्य स्तरीय रिपोर्टें तैयार करें। एसएसडी, संबंधित सूचकांकों की परिगणना करने में सहायता प्रदान करेगा।

(छ) एनएससी ने एसएसडी द्वारा अपनी रिपोर्टों के लिए एनएसएस इकाई स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के महत्व पर जोर दिया। यह सुझाव दिया गया था कि अनेक एनएसएस रिपोर्टें को एसएसडी को स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ज) प्राथमिक स्थलों के साथ इलेक्ट्रानिक लिंक के जरिए सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक की आंकड़ा तालिकाओं को अद्यतन करने की व्यवहार्यता को खोजा जाए।

(झ) एसएसडी को आरजीआई के सहयोग से इंटर सेंसल वर्षों के लिए जनसंख्या की पिछली श्रृंखलाओं को तैयार करना चाहिए।

(ञ) एसएसडी को आरजीआई तथा एनएसएस आंकड़ों से 0-6 वर्ष की आयुवर्ग समूह के लिंग अनुपात तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए।

(ट) यह समीचीन नहीं समझा गया कि एसएसडी कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि के लिए नोडल प्रभाग बने, क्योंकि ये मंत्रालय सामाजिक क्षेत्र की सांख्यिकी का संचालन नहीं करते। ईएसडी संबंधित मंत्रालयों से समन्वय करे।

आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग

3.10 एनएससी ने अपनी 60वीं बैठक में सीएसओ (ईएसडी) द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार किया था। सीएसओ (ईएसडी) के अपर-महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों ने प्रभाग के कार्यकलाप पर एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

3.11 सीएसओ का आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी) औद्योगिक क्षेत्र पर प्रमुख संकेतकों को तैयार करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक सांख्यिकी तैयार करने वाला विषयगत मामला प्रभाग है। ईएसडी के चल रहे कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं :

(i) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
(ii) औद्योगिक उत्पादन के मासिक अखिल भारत सूचकांक
(iii) आर्थिक गणना (आवधिक)
(iv) ऊर्जा सांख्यिकी का संकलन
(v) अवसंरचना सांख्यिकी का संकलन
(vi) राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरणों का रखरखाव और उनकी नियमित समीक्षा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उत्पाद तथा सभी अन्य सांख्यिकी वर्गीकरणों का समन्वय

3.12 ईएसडी, सेवा क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण, सेवा उत्पादन सूचकांक, सेवा व्यापार, अवसंरचना विकास सूचकांक तथा आईसीटी सांख्यिकी की कार्यप्रणाली विकसित करने के कार्य में संलग्न है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.13 ईएसडी द्वारा भेजी गई सामग्री तथा अपनी 60वीं बैठक में की गई चर्चा के आधार पर एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(1) ईएसडी, संबंधित मंत्रालयों को आर्थिक सांख्यिकी उत्पादों के संबंध में सांख्यिकी मानक और कार्यप्रणाली सुलभ कराए तथा मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी करे।
(2) ईएसडी, संबंधित मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध आर्थिक सांख्यिकी पर आंकड़ा सेटों का अध्ययन करे तथा आंकड़ा समेकन का प्रयास करे।
(3) देव इन्फो के माध्यम से आंकड़ों के प्रचार-प्रसार की संभावना का पता लगाया जाए।

(4) ईएसडी प्रकाशनों का उद्देश्य न केवल संबंधित मंत्रालयों की रिपोर्टों/प्रशासनिक स्रोतों से आंकड़े तथा तालिकाएं संकलित करना होना चाहिए, बल्कि, अन्य बातों के साथ-साथ, रेखांकित डेटा सेट के स्रोत, आंकड़ों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, इसकी कवरेज तथा उपयोग पर मार्गदर्शन भी करना चाहिए।

(5) व्यापार क्षेत्र की आंकड़ा अपेक्षाओं पर सीएसओ (एनएडी) द्वारा तैयार फारमेटों को रूपांतरण हेतु देखा जाए।

(6) "ऊर्जा सांख्यिकी" संबंधी रिपोर्ट जारी करने समय की देश को कम किया। प्रकाशनों को जारी करते समय अन्य स्रोतों में उपलब्ध नवीनतम डेटा बेसों के लिंक उपलब्ध कराए जाएं।

(7) एएसआई के अंतर्गत सीपीसी में उत्पादों पर आंकड़े एकत्र करने के अलावा, ईएसडी को आईटीसी एचएस कोड संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे अधिकांश फैक्ट्रियों से आंकड़े तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। यह उपाय फैक्ट्री प्रबंधों को अपनी रिटर्नों का स्वयं फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा अतिरिक्त वैधीकरण हेतु उपलब्ध कराएगा।

(8) चूंकि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अंतर्गत आयोजित क्या संचालन किया जाता है, इसलिए एएसआई आंकड़ों का प्रसार और साझा करने का काम इस तरीके से एएसआई किया जाएगा।

(9) एएसआई आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक वेब पोर्टल प्रारंभ करने के लिए सीएसओ द्वारा किए गए प्रयासों की काफी सराहना की गई है। सीएसओ को श्रम ब्यूरो के साथ संपर्क करना चाहिए ताकि परिणामों के वैधीकरण और उन्हें जारी करने का काम साथ-साथ हो जाए।

(10) सीएमआईई की भांति ईएसडी को भी वित्तीय परिणामों पर प्रति तिमाही एक तथ्य शीट प्रकाशित करने की रीतियां तैयार करनी चाहिएं।

(11) ईएसडी को आईआईपी के संबंध में वर्तमान परिमाण सूचकांक के स्थान पर वॉल्यूम सूचकांक को अपनाने के तौर-तरीकों पर कार्य करना चाहिए।

(12) वर्तमान में आईआईपी जरूरतों के मामले में अपनाए जा रहे उपयोग-आधारित वर्गीकरण की पुन: जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ उत्पाद पूंजी ओर उपभोक्ता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आ सकते हैं।

(13) ईएसडी, उत्पादन आंकड़ों के वैधीकरण और सारणीयन पर सीबीईसी का मार्गदर्शन करे।

(14) आईसीटी संकेतकों संबंधी आंकड़े 71वें एनएसएस दौर में परिवार सर्वेक्षण के द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं। ईएसडी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से अन्य सर्वेक्षणों, गणनाओं और प्रशासनिक स्रोतों से गैर-परिवार क्षेत्र के लिए ऐसे आंकड़े एकत्र करने के मुद्दे की जांच करेगा तथा आंकड़ों के एकीकरण का प्रयास करेगा।

(15) अवसंरचना सांख्यिकी के संबंध में, यह देखा गया कि अवसंरचना विकास के राष्ट्रीय स्तर का वार्षिक सूचकांक संकलित किया जा रहा है। यह महसूस किया गया कि यह सूचकांक इस समय किसी भी काम के लिए उपयोग में

नहीं लाया जा रहा है। राज्य स्तर के वार्षिक सूचकांक का संकलन और अधिक उपयोगी रहेगा।

(16) सांख्यिकी वर्गीकरणों के मुद्दे पर, ईएसडी को अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणों के अनुरूप, सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्गीकरणों के निर्धारण तथा उनके कार्यान्वयन में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

(17) आर्थिक गणना में स्व-खाते वाले उद्यमों की कम रिपोर्टिंग के बारे में जो आम राय है उस पर ईएसडी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

(18) आर्थिक गणना के आधार पर तैयार सूची फ्रेमों को स्थानीय प्राधिकरणों तथा पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ साझा करने की व्यवहार्यता की सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अंतर्गत जांच की जानी चाहिए।

(19) "बिजनेस रजिस्टर" की अवधारणा में और अधिक स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि यह लगता है कि सीएसओ (ईएसडी) तथा सीएसओ (एनएडी) अलग-अलग तरीकों से इस मामले को देख रहे हैं।

(20) एनएससी ने अपनी रिपोर्टों के लिए एनएसएस इकाई स्तरीय आंकड़ों का ईएसडी द्वारा विश्लेषण किए जाने के महत्व पर जोर दिया। यह सुझाव दिया गया कि आर्थिक सांख्यिकी पर अनेक एनएसएस रिपोर्टें ईएसडी को भेजी जा सकती हैं।

(21) सेवा क्षेत्रों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रायोगिक आधार पर संचालित किया गया था। प्रायोगिक कार्य के भाग के रूप में सेवा कर रिटर्नों से प्रशासनिक आंकड़ें एकत्र करने की संभावना को भी ढूंढा जाए। इसके अनुभव के आधार पर सर्वेक्षण को एक नए उत्पाद के रूप में प्रारंभ करने के बाद में एक पूर्ण प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किया जाए।

(22) यह उचित महसूस किया गया कि ईएसडी, कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि के लिए नोडल प्रभाग हो।

प्रशिक्षण प्रभाग

3.14 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर एनएससी ने अपनी 61वीं बैठक में विचार किया। अपर-महानिदेशक, सीएसओ (प्रशिक्षण) ने प्रभाग के कार्यकलापों पर एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया।

3.15 प्रशिक्षण प्रभाग, सांख्यिकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण नीति का विकास करने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर शासकीय सांख्यिकी में क्षमताओं का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण संचालित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। प्रशिक्षण कार्यकलापों के अलावा, यह प्रभाग मंत्रालय की इंटर्नशिप स्कीम के कार्यान्वयन, विभिन्न सांख्यिकी संकेतकों/विषयों पर नियम-पुस्तिकाएं तैयार करने शासकीय सांख्यिकी के क्षेत्र में विकसित तथा विकासशील देशों के साथ भागीदारी बनाने, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करने आदि के लिए उत्तरदायी है। प्रशिक्षण प्रभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण

अकादमी (नास्ता) शासकीय सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास का पोषण करने वाला एक प्रमुख संस्थान है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.16 सीएसओ (प्रशिक्षण) द्वारा भेजी गई सामग्री तथा 61वीं बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर एनएससी ने यह महसूस किया कि इस अधिदेश के अंतर्गत अनेक जिम्मेदारियां प्रभाग द्वारा पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नहीं की जाती है। तदनुसार, एनएससी द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गई :

(1) प्रशिक्षण प्रभाग को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों, नए उभरते क्षेत्रों तथा सरकार के भीतर तथा बाहर प्रयोक्ताओं की सांख्यिकी उत्पादों की मांगों को बाकायदा ध्यान में रखते हुए, केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय सांख्यिकी प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में प्रशिक्षण की जरूरतों का व्यापक रूप से मूल्यांकन करे।

(2) प्रशिक्षण प्रभाग, सभी प्रकार के सांख्यिकी उत्पादों के संबंध में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर क्षमताओं के निर्माणार्थ प्रशिक्षण नीति का एक प्रारूप तैयार करे तथा उसे एनएससी को प्रस्तुत करे।

(3) पूर्ववर्ती प्रकाशन "दा गाइड टु आफीशियल स्टैटिस्टिक्स" की तर्ज पर शासकीय सांख्यिकी संबंधी नियम-पुस्तिका प्रकाशित की जाए।

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच में ज्ञान-प्राप्ति के ई-मोड के जरिए विकेंद्रीकृत तरीके से वृद्धि की जाए। इनमें ई-मैनुअल/मोनोग्राफ, आडियो/वीडियो सीडी जारी करना वास्तविक कक्षा कमरों का प्रबंध करना, शासकीय वेबसाइट के माध्यम से वेबकास्ट तथा इग्नू के माध्यम से प्रसारण को शामिल किया जा सकता है।

(5) विश्वविद्यालयों में शिक्षण संकाय को शासकीय सांख्यिकी पर प्रशिक्षण के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई प्रोत्साहन तंत्र हो सकता है। इससे और अधिक भागीदारी होगी। इस प्रकार, यह मामला यूजीसी के साथ उठाया जाए।

(6) नास्ता में कार्यरत संकाय तथा प्रशिक्षु अपने आपको अनुसंधान कार्यकलापों में शामिल करें।

(7) आईएसएस परिवीक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें इकाई स्तर के आंकड़ों का प्रयोग तथा रिपोर्ट लिखना शामिल किया जाए।

(8) प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फीडबैक प्रशिक्षुओं के साथ-साथ संबंधित संगठनों से भी प्राप्त किया जाए।

(9) प्रशिक्षण प्रभाग को अनुसंधान कार्यकलापों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य देशों के साथ कार्य करने की प्रक्रिया सुदृढ़ और व्यापक बनाना चाहिए।

राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी)

3.17 सीएसओ (एनएडी) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर एनएससी ने अपनी 62वीं बैठक में विचार किया। इस बैठक में, उप-महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) ने प्रभाग के कार्यकलापों पर एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया।

3.18 सीएसओ का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा तथा संबंधित समुच्चयों की तैयारी में संलग्न रहा है। प्रभाग के प्रमुख सांख्यिकी उत्पाद इस प्रकार हैं :

(i) दो वार्षिक प्रकाशन निकालना एक का शीर्षक है "नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स" जिसमें ये आंकड़े निहित हैं; और दूसरे का शीर्षक है "सीक्वेंस आफ नेशनल अकाउंट्स" जिसमें इन आंकड़ों को राष्ट्रीय लेखा प्रणाली द्वारा निर्धारित ढांचे में प्रस्तुत किया गया है;

(ii) योजना आयोग, वित्त आयोग तथा वित्त मंत्रालय के उपयोग के लिए वर्तमान मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक अनुमानों को तैयार करना;

(iii) दो माह की समय-सीमा में राष्ट्रीय आय के त्रैमासिक अनुमान जारी करना तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो माह पूर्व अग्रिम अनुमान जारी करना;

(iv) पांच वर्षों में एक बार इनपुट-आउटपुट तालिकाएं जारी करना; और

(v) दो वर्षों में एक बार कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों (राज्यवार) के उत्पादन का मूल्य जारी करना।

3.19 राज्य लेखाओं के संकलन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों की है। एनएडी, इस संकलन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन और जानकारियां उपलब्ध कराता है। नीति-निर्माताओं तथा अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए, एनएडी, राज्य घरेलू उत्पादों के अनुमान समेकित करता है तथा इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक वर्ष में दो बार प्रकाशित करता है। एनएडी ने जिला आय अनुमानों का संकलन करने में राज्यों का मार्गदर्शन भी किया गया है। उपग्रह लेखाओं का संकलन प्रतिनिधि मंत्रालय के डोमेन में है। एनएडी, इस प्रयोजनार्थ तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है और साथ ही आवश्यक आंकड़ा सहायता भी प्रदान करता है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.20 एनएडी द्वारा प्रस्तुत सामग्री तथा 62वीं बैठक में की गई चर्चाओं के आधार पर, एनएससी ने एनएडी के कार्यकरण में सुधार के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं की है :

(1) अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लेखा फैक्टर लागत की बजाय बुनियादी मूल्यों पर प्रस्तुत किए जाएं।

(2) कृषि क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय लेखाओं तथा राज्य लेखाओं में काफी अंतर देखा गया है। सीएसओ (एनएडी) को इस मामले का हल निकलने के लिए कृषि मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

(3) यह देखा गया कि सेवा क्षेत्र के संबंध में नागर विमानन और रेलवे पर कुछ संकेतक उपलब्ध हैं तथा सेवा उत्पादन पर कोई सूचकांक न रखना एक कमी रही है। सीएसओ सेवा क्षेत्र पर एक बेंचमार्क सर्वेक्षण की योजना बनाए तथा साथ ही सर्वेक्षण आंकड़ा आधार का प्रयोग करते हुए क्षेत्र संबंधी सूचकांकों के संकलन की योजना भी बनाए।

(4) अपर-महानिदेशक, एनएडी ने प्रस्तुतीकरण के दौरान सूचित किया कि उन्होंने एसएनए 2008 की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय लेखाओं पर प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए आईएमएफ के साथ मामले को उठाया था। एनएससी ने एसएनए 2008 में प्रमुख परिवर्तनों को देखते हुए, सुझाव दिया कि प्रस्तावित प्रशिक्षण के अतिरिक्त, आईएमएफ से भारत में राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में कमजोरियों का पता लगाने के लिए मानकों तथा कोड़ों की अनुपाएलन पर रिपोर्ट के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु एक मिशन भेजने के लिए संपर्क किया जाए। इसके उपरांत, कमजोर क्षेत्रों पर आईएमएफ की सहायता से केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं।

(5) सीएसओ (एनएडी), विशेषकर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में एनएसएसटीए के सहयोग से अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करे।

(6) सीएसओ (एनएडी), राष्ट्रीय तुलनपत्र के संकलन का भी प्रयास करे। उनका उद्देश्य एसएनए 2008 में यथा निर्धारित लेखाओं के पूरे क्रम का संकलन करना होना चाहिए। उन्हें आपूर्ति उपयोग तालिकाओं का भी संकलन करना चाहिए।

(7) पीएफसीई तथा एनएसएस सीईएस अनुमानों के बीच अंतर पर पत्र को नवीनतम आंकड़ों के साथ अद्यतन किया गया है तथा उसे प्रो. ए. के. अधिकारी की अध्यक्षता में 68वें दौर का कार्यकारी समूह को प्रस्तुत किया गया। सीएसओ (एनएडी), कार्यकारी समूह के विचारों के साथ एनएससी के समक्ष पेपर प्रस्तुत करे। यह देखा गया कि दो डेटा सेटों में सेवाओं के संबंध में सामंजस्य होना कठिन है। इस प्रकार, एनएडी तथा साथ ही एनएसएसओ दोनों में वैयक्तिक उपभोग (अर्थात प्रयोजन से वैयक्तिक उपभोग का वर्गीकरण) पर अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का पालन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। उमयनिष्ठ वर्गीकरण से दो आंकड़ा सेटों के बीच बेहतर तुलना को सुसाध्य बनाएगा।

(8) सीएसओ (एनएडी) अपने अनुमानों में सुधार लाने के लिए अब तक अछूते वैकल्पिक आंकड़ा स्रोतों को देखें। कपंनियों के संबंध में आयकर आंकड़ा आधार की एमसीए के साथ-साथ जांच की जाए। सेवाओं के संबंध में,

आयकर तथा सेवा कर विवरणियों से प्राप्त आंकड़ों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(9) सीएसओ (एनएडी) को राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में प्रयुक्त दरों तथा अनुपातों को अद्यतन करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। उन्हें एनएसएसओ, संबंधित मंत्रालयों, राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों तथा उन्हें समय-समय पर अद्यतन करने हेतु टाइप अध्ययन संचालन में विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ निरंतर कार्य करना चाहिए।

मूल्य तथा जीवन निर्वाह (पीसीएल) इकाई

3.21 अपर-महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) तथा एनएडी में मूल्य और जीवन निर्वाह इकाई के अधिकारियों ने अपनी 63वीं बैठक में एनएससी के समक्ष इकाई के कार्यकलापों पर प्रस्तुतीकरण दिया। भेजी गई टिप्पणी तथा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर, एनएससी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में लिया :

(क) पीसीएल इकाई राज्य स्तर तथा अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण/ शहरी/ संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकंक (सीपीआई) संकलित करती है। उप-समूह स्तरीय सूचकांक अखिल भारतीय स्तर पर जारी किए जाते हैं तथा समूह सूचकांक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जारी किए जाते हैं।

(ख) पीसीएल इकाई, विश्व बैंक द्वारा क्रय-शक्ति समानता के संकलनार्थ अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी) के अंतर्गत मूल्य आंकड़ों के संग्रहण के लिए एशियन विकास बैंक तथा एनएसएसओ के मध्य अंतरापृष्ठ (इंटफेस) के रूप में भी कार्य करती है।

(ग) सीपीआई, आधार वर्ष 2010 के साथ जनवरी 2011 से जारी की जा रही हैं, जिसमें 1181 गांवों तथा 310 कस्बों से मूल्य आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़े डाक विभाग द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के संबंध में, आंकड़े एनएसएसओ तथा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा लक्षद्वीप के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। आंकड़ा प्रवाह को वेब पोर्टल के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) चूंकि सीपीआई प्रत्येक माह की 12 तारीख को जारी करना होता है, इसलिए पिछले माह के लिए संग्रहित आंकड़े माह के तीसरे दिन उपलब्ध कराए जाने होते हैं। शहरी आंकड़ों का लगभग 95 प्रतिशत इस तारीख तक अपलोड किए जाते हैं, जबकि ग्रामीण मामले में, यह लगभग 90 प्रतिशत है।

(ङ.) सूचित आंकड़ों में कमियों का ब्योरा पोर्टलों में ऑन लाइन उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसे सही करने के लिए कदम उठाने हेतु पर्यवेक्षकों को सचेत किया जा सके। यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में इस सूचना को उपयोग संबंधित पर्यवेक्षकों द्वारा कभी कभार ही किया जाता है।

(च) वैधीकरण के समय देखी गई असंगतताओं के कारण, सूचकांकों के संकलन के समय ग्रामीण क्षेत्र में सूचित मूल्यों (अधिकांशत: गैर खाद्य मदों पर) का लगभग 8 प्रतिशत नजरअंदाज किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में संग्रहित आंकड़ों में मदों की अपर्याप्त कवरेज के कारण अधिक मूल्य थोपा जाता है। यह सुझाव दिया गया कि यदि एनएसएसओ द्वारा सीपीआई (एएस/आरएल) के लिए एकत्र किए जा रहे ग्रामीण मूल्य आंकड़े पीसीएल ईकाई को उपलब्ध कराए जाते हैं, तो डाक विभाग के माध्यम से संग्रहित ग्रामीण मूल्य आंकड़ों के क्रास वैधीकरण को सुसाध्य बनाएगा।

(छ) इस बात का उल्लेख किया गया कि ग्रामीण मूल्य आंकड़ा संग्रहण के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाना आवश्यक है क्योंकि आंकड़ा संग्रहण की वर्तमान प्रणाली साढे तीन वर्ष के बाद भी स्थिर नहीं हुई है।

(ज) शहरी मूल्य आंकड़े डीईएस, अरूणाचल प्रदेश से बहुत विलंब से प्राप्त होते हैं।

(झ) पीसीएल इकाई, आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि से संबंधित एनएसएस के 68वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों का उपयोग करके आधार में संशोधन करके 2012 करने की योजना बना रहा है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.22 प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित सिफारिश की हैं :

(1) पीसीएल इकाई, अकादमिक प्रयोग की अनुमति के लिए सीपीआई आंकड़ा संग्रहण से इकाई स्तरीय आंकड़ों को जारी करने का प्रयास करेगी।

(2) एनएसएसओ, सीपीआई ग्रामीण आंकड़ों के क्रास-वैधीकरण को सुसाध्य बनाने के लिए सीपीआई (एएल/आरएल) आंकड़ों को पीसीएल इकाई को सुलभ कराए।

(3) पीसीएल इकाई, अपेक्षित कामचलाऊ प्रबंधों और संवर्धनों के साथ आईसीपी तथा सीपीआई आंकड़ों के आधार पर सामग्रियों की एक उचित बास्केट बनाकर स्थानिक सूचकांकों का संकलन करने की व्यवहार्यता की जांच करे।

संगणक केंद्र

3.23 संगणक केंद्र के सांख्यिकी क्रियाकलापों की एनएससी द्वारा अपनी 63वीं बैठक में समीक्षा की गई। उप-महानिदेशक, संगणक केंद्र ने इस बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुत टिप्पणी तथा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर एनएससी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में लिया :

(क) इस समय, संगणक केंद्र बहुत से कार्यकलापों में व्यस्त है, जैसे आंकड़ा प्रसार, सूक्ष्म आंकड़ों की सूची तैयार करना तथा उनका अभिलेख तैयार करना, आईटी पर प्रशिक्षण देना, आंकड़ा संसाधन (आर्थिक गणना एवं सीपीआई आंकड़े), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट का

रखरखाव तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए अनुप्रयोग विकास।

(ख) संगणक केंद्र, साइबर सुरक्षा मुद्दों, आईपीवी 6 कार्यान्वयन, एनडीएसएपी के अंतर्गत तथा एनएसडीआई के लिए आंकड़ा नियंत्रक कार्यों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक नोडल कार्यालय है।

(ग) संगणक केंद्र के सर्वर हर दिन चौबीसों घंटे चलते हैं तथा दो अनुप्रयोग नामत: माइक्रो डेटा आर्काइव तथा देव इन्फो संगणक केंद्र के सर्वरों पर उपस्थित हैं।

(घ) संगणक केंद्र, आंकड़ा प्रयोक्ताओं को बहतर सांख्यिकी सेवाएं देने के लिए एक यंत्र के रूप में वेबसाइट को फिर से डिजाइन करने की योजना बना रहा है। यह सभी शासकीय सूक्ष्म आंकड़ों की एक केंद्रीयकृत सूची तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों और राज्यों से इकाई स्तर के आंकड़ों का समावेश करके मेटा डेटा दस्तावेज का एक भंडार तैयार करने पर भी विचार कर रहा है।

(ड.) संगणक केंद्र, अनुसंधानकर्ताओं को सुगमता से आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान संस्थाओं में आंकड़ा केंद्रों की स्थापना करने की संभावना का पता लगा रहा है।

(च) संगणक केंद्र, यहां तक कि गंभीर संसाधन बाधाओं का सामना कर रहा है मौजूदा कार्य को करने में भी इस पहलू पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर केंद्र को एक आंकड़ा भंडारण और विस्तार कार्यालय में बदलने के संदर्भ में।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.24 एनएससी ने प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया तथा निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(क) विभिन्न विषयों पर अंतत: नि:शुल्क ऑन लाइन आंकड़े सुलभ कराने के लिए एक विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि इसके प्रयोग को बढ़ावा मिले। ऐसा होने तक, आंकड़ा केंद्रों की स्थापना के वर्तमान प्रस्ताव की आईसीएसएसआर तथा यूजीसी के परामर्श संभावना खोजी जाए।

(ख) बेहतर आंकड़ा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए शासकीय सांख्यिकी के उत्पादन में संलग्न सभी एजेंसियों के प्रस्तावित नेटवर्क के लिए संगणक केंद्र को एक केंद्र तथा समन्वयकर्ता जंक्शन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(ग) जनशक्ति योजना का कार्य किया जाना है और उसे जारी कार्यकलापों और भावी दृष्टिकोण के अनुार कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) संगणक केंद्र को अपने प्रसार पोर्टल में और अधिक आंकड़े लाने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अपने समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

(ङ.) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें आंकड़े/रिपोर्टें अलग-अलग स्तरों पर प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को सचेत करने की जरूरत है।

(च) संगणक केंद्र, प्रशासनिक सांख्यिकी की क्षमता के दोहन की व्यवहार्यता की जांच करे तथा इस प्रयोजनार्थ, संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ संबंधित उत्पादकों के साथ बातचीत प्रारंभ करे।

समन्वय और प्रकाशन प्रभाग (सीएपी)

3.25 सीएसओ (सीएपी) के प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

(क) रंगाराजन आयोग तथा एनएससी की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का समन्वय;

(ख) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रशासन का संचालन करना;

(ग) सामान्य सांख्यिकी समन्वय; तथा

(घ) योजना स्कीम समन्वयन।

3.26 योजना स्कीम समन्वय के संबंध में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान "क्षमता विकास" योजना स्कीम कार्यान्वित करता रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सीएसओ तथा एनएसएसओ में क्षमता की वृद्धि करना है। एनएससी की अनुशंसाओं के आधार पर तथा व्यय विभाग (योजना वित्त-II प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)पीएफ II /2011, दिनांक 14.12.2011 में विहित अनुदेशों के आलोक में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने "क्षमता विकास" की अपनी योजना स्कीम का मूल्यांकन करने के लिए प्रो. अतुल शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

3.27 अतुल शर्मा समिति ने सिफारिश की कि योजना स्कीम अपने सभी संघटकों के साथ 12वीं योजना (2012-17) में जारी रहेगी। समिति की रिपोर्ट इसकी 59वीं बैठक में एनएससी के समक्ष रखी गई। एडीजी, सीएसओ (सीएपी) ने इस बैठक में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। 60वीं एनएससी बैठक में सीएसओ (सीएपी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई संबंधी स्थिति नोट की भी एनएससी द्वारा जांच की गई। सीएसओ (सीएपी) के अन्य सांख्यिकी कार्यकलापों की एनएससी द्वारा अपनी 63वीं बैठक में समीक्षा की गई।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.28 सीएसओ (सीएपी) के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की :

(i) अतुल शर्मा समिति द्वारा अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की अधिक विस्तृत रिपोर्ट प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

(ii) सीएसओ (एसएसडी) से स्थानांतरित की जाने वाली इस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए कार्यकलापों पर सीएसओ (सीएपी) द्वारा कार्रवाई की जाए।

(iii) रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट समीक्षा के लिए एनएससी को प्रस्तुत की जाए।

(iv) एनएससी की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में की गई अनुशंसाओं पर अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद तथा विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के समक्ष रखी जाए। यह कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा के लिए एनएससी को भी प्रस्तुत की जाए।

(v) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के कार्यकरण पर सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा के लिए एनएससी को भेजी जाए।

3.29 आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान, एनएससी ने एनएसएसओ द्वारा संचालित किए जा रहे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एनएसएसओ (एफओडी) की कृषि सांख्यिकी विंग (एएस) के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा की। इसका ब्योरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है :

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) में कृषि सांख्यिकी (एएस) विंग

3.30 एनएसएसओ (एफओडी) के एएस विंग को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र और फसल के संबंध में समय पर और विश्वसनीय अनुमान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सर्वेक्षण तकनीकों का विकास करने में राज्यों की सहायता करने, फसल सांख्यिकी (आईसीएस) स्कीम के सुधार के माध्यम से क्षेत्र परिगणना, क्षेत्र समाहार तथा फसल कटाई के प्रयोगों पर प्राथमिक फील्ड कार्य का पर्यवेक्षण करने तथा राज्य फील्ड कार्य करने के लिए पर्यवेक्षण कार्य करने तथा राज्य फील्ड कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्यत: कुल 10,000 प्रतिदर्श गांव आईसीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जिनमें से 5000 गांव एनएसएसओ द्वारा शामिल किए जाते हैं तथा शेष 5000 गांव राज्य सरकारों द्वारा शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 30,000 फसल कटाई के प्रयोगों का एनएसएसओ तथा राज्य एजेंसियों द्वारा मैचिंग प्रतिचयन आधार पर सर्वेक्षण के लिए चयन किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि किस सीमा तक तकनीक तथा कार्यप्रणाली का फील्ड में वास्तविक रूप से अनुपालन किया जाता है तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में क्या सुझाव दिए जाते हैं।

3.31 ग्रामीण लेखाकारों द्वारा गिरदावरी कार्यों के माध्यम से पूरे किए गए खसरा रजिस्टर तथा पर्यवेक्षक की प्रविष्टियों के बीच विसंगतियों का मूल्यांकन किया जाता है। समाहारों की संभाव्य त्रुटियों की जांच करते समय पर्यवेक्षक गांव की फसल सार की भी जांच करते हैं, जिन्हें पटवारियों द्वारा तैयार किया जाता है। स्थायी रूप से बसे राज्यों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जहां ईएआरएएस प्रतिदर्श गांवों का उप-प्रतिदर्श उसी कार्यप्रणाली का अनुपालन कर पर्यवेक्षित किया जाता है। फसल कटाई प्रयोगों का पर्यवेक्षण

साथ-साथ किया जाता है। इन प्रयोगों के संचालन में देखी गई विसंगतियां रिकार्ड की जाती हैं तथा इन कार्यप्रणाली अध्ययनों में प्रयुक्त करने हेतु पर्यवेक्षित प्रयोगों के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु और अग्रिम फसल पूर्वानुमानों हेतु फसल पैदावार अनुमानों का विकास करने के लिए फील्ड में सही किए जाते हैं।

3.32 कृषि सांख्यिकी विंग, आंकड़ा संसाधन के सर्वेक्षण डिजाइन तैयार करने के प्राथमिक चरण तथा रिपोर्टों के प्रकाशन से आईसीएस स्कीम के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। यह कृषि मौसम के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष, क्षेत्र परिगणना के पर्यवेक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले गांवों तथा प्रत्येक मौसम में पर्यवेक्षित किए जाने वाले फसल कटाई के प्रयोगों की फसलवार संख्या के संबंध में वार्षिक कार्य का कार्यक्रम तैयार करता है। फील्ड कार्य पूरा करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्दिष्ट समय-सूची दी जाती है। एनएसएसओ तथा राज्य एजेंसियों द्वारा फील्ड कार्य के समापन के उपरांत दोनों एजेंसियों की जांच की अनुसूचियों का कृषि सांख्यिकी विंग में विश्लेषण तथा संसाधन किया जाता है। आंकड़ों को संसाधन से पहले अनुसूचियों की मैनुअल जांच तथा कोडिंग होती है। आंकड़ों को संसाधित और सारणीबद्ध किया जाता है।

3.33 आईसीएस स्कीम के अंतर्गत एकत्रित आंकड़ों से, एएस विंग :

(क) फसल पूर्वानुमानों में कृषि मंत्रालय द्वारा प्रयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण फसलों के पैदावार अनुमान तैयार करता है तथा राज्यों से प्राप्त फसल दरों को क्रास चैक करता है।

(ख) "फसल सांख्यिकी के सुधार हेतु स्कीम के माध्यम से फसल सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा" नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना, जिस पर, जहां कहीं व्यवहार्य हो, सुधार करने के लिए प्रत्येक राज्य में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष "मुख्य फसलों पर फसल अनुमान सर्वेक्षण के समेकित परिणाम" नामक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, जो कृषि मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्र और उत्पादन पर सरकारी अनुमानों और सर्वेक्षण अनुमानों के बीच अंतरों को प्रकाशित करता है।

3.34 सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े, उनके सांख्यिकी उत्पाद तथा आईसीएस स्कीम के अंतर्गत तैयार रिपोर्टें स्कीम के प्रारंभ से पब्लिक डोमेन में नहीं रखे गए हैं। तथापि, उन्हें केवल आईएएसआरआई तथा तकनीकी समितियों द्वारा कार्यप्रणाली अध्ययनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। आईसीएस स्कीम के अंतर्गत सर्वेक्षण, इसके मूल तथ्य प्राप्ति उद्देश्य और बहुत छोटे प्रतिदर्श आकार के कारण, किसी भी विशेषता वाले सांख्यिकी रूप से वैध स्वतंत्र अनुमान के लिए इसके आंकड़ों के उपयोग को सीमित करता है। ये रिपोर्टें केवल संबंधित एजेंसियों के लिए उपयोगी टिप्पणियां भी देती हैं।

3.35 प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति ने पाया कि आईसीएस स्कीम, जो बिना व्यवधान के 40 वर्षों से चल रही हैं, निष्कर्षों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्कीम के उचित कार्यान्वयन में कमी हुई है।

3.36 उप-महानिदेशक, एनएसएसओ (एफओडी), एएस विंग, फरीदाबाद ने 64वीं एनएसी बैठक में विंग की सांख्यिकी गतिविधियों पर एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। भारत में फसल सांख्यिकी में परिमाणात्मक सुधार लाने तथा आईसीएस स्कीम के अंतर्गत टीआरएस/ईएआरएएस तथा जीसीईएस स्कीमों का मूल्यांकन करने के लिए विंग का सृजन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया गया कि अशक्तता के प्रकार और सीमा में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं देखा गया तथा कृषि सांख्यिकी कार्य में ग्रामीण पदाधिकारियों का सहयोग तथा संलग्नता काफी वर्षों से कम रहा।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.37 64वीं एनएससी बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों तथा सूचित स्थिति के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(1) कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों में बहुत अंतर हैं, जिनका काफी वर्षों से पूरी तरह से निराकरण नहीं किया गया है, जबकि बिना अधिक सफलता के आईसीएस स्कीम पर प्रतिवर्ष संसाधन व्यय किए जा रहे हैं। इस तरह से, आईसीएस स्कीम का प्रचालन आवधिक रूप से अर्थात पांच वर्ष में एक बार किया जाए।

(2) एनएसएसओ, कृषि मंत्रालय, सीएसओ, योजना आयोग तथा आईएएसआरआई के परामर्श से गैर-मुख्य फसलों संबंधी सांख्यिकी, कृषि जनकारियों, बागबानी, कृषि बाजारों तथा पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों से लघु सिंचाई जैसे विषय क्षेत्रों में अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए शेष अवधि के दौरान एएस विंग के कार्य में विविधता लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्तावों को एनएससी के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यकलापों की समीक्षा

3.38 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एनएससी, एनएसएसओ की तत्कालीन शासी परिषद के कार्य करता रहा है। इन कार्यों में प्रत्येक दौर में कवरेज के लिए विषयों का निर्णय करना, कार्यप्रणाली तैयार करना और आंकड़ों के संसाधन का निरीक्षण करना तथा एनएससी द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई स्तरीय आंकड़ों को जारी करना शामिल है। एनएससी इन कार्यों को करने में सहायता करने के लिए कार्यकारी समूहों का गठन करती रही है।

3.39 आलोच्य अवधि रिपोर्ट के दौरान, एनएसएसओ ने एनएसएस का 66वां दौर (जुलाई, 2009 - जून, 2010), 68वां दौर (जुलाई, 2011-जून, 2012) तथा 69वां दौर (जुलाई, 2012-दिसम्बर, 2012) के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित आठ रिपोर्टें जारी कीं :

एनएसएस का 66वां दौर (जुलाई, 2009-जून, 2010)

1. भारत के धार्मिक समूहों में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति

2. भारत के शहरों तथा कस्बों में रोजगार तथा बेराजगारी की स्थिति

एनएसएस का 68वां दौर (जुलाई, 2011-जून, 2012)

1. भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी के मुख्य संकेतक
2. भारत में परिवार उपभोक्ता व्यय के संकेतक
3. भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति, 2011-12
4. उपभोक्ता व्यय का स्तर तथा पैटर्न

एनएसएस का 69वां दौर (जुलाई, 2012-दिसम्बर, 2012)

1. भारत में पेयजल, स्वच्छता, साफ सफाई तथा घरों की स्थिति के मुख्य संकेतक
2. भारत में शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के मुख्य संकेतक

3.40 एनएसएसओ ने आलोच्य अवधि रिपोर्ट के दौरान निम्नलिखित अनुसूचियों के संबंध में इकाई स्तर के आंकड़े भी प्रस्तुत किए :

एनएसएस का 68वां दौर (जुलाई, 2011-जून, 2012)

(i) अनुसूची 1.0 : उपभोक्ता व्यय - प्रकार 1(समान मिश्रित संदर्भ अवधि)
(ii) अनुसूची 1.0 : उपभोक्ता व्यय - प्रकार 2(अशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि)
(iii) अनुसूची 1.0 : रोजगार तथा बेरोजगारी

एनएसएस का 69वां दौर (जुलाई, 2012-दिसम्बर, 2012)

(i) अनुसूची 0.21 : झुग्गी बस्तियों का विवरण
(ii) अनुसूची 1.2 : पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई तथा घरों की स्थिति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 71वें दौर की कार्यप्रणाली

3.41 एनएससी ने पहले ही निर्णय लिया कि 71वां एनएसएस दौर (सर्वेक्षण अवधि - जनवरी, 2014 - जून, 2014) सामाजिक उपभोग जिसमें "स्वास्थ्य और रूग्णता" तथा "शिक्षा" शामिल हैं, विषय के प्रति समर्पित होगा तथा सर्वेक्षण कार्यप्रणाली तैयार करने तथा सर्वेक्षण कार्यकलापों के संपूर्ण स्वास्थ्य के निरीक्षण के लिए प्रो. राजीव करन्दिकर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह नियुक्त किया गया। कार्यकारी समूह द्वारा विकसित सर्वेक्षण साधन एनएसएसओ द्वारा एनएससी की 61वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए।

3.42 एनएसओ द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय प्रतिदर्श में लगभग 8300 एफएसयू का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक एफएसयू में, अनुसूची 25.0 (स्वास्थ्य तथा रूगणता) में आंकड़ा संग्रहण करने हेतु 8 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा इतने ही परिवारों का अनुसूची 25.2 (शिक्षा और आईटी साक्षरता) में आंकड़े संग्रहण करने हेतु सर्वेक्षण किया जाएगा।

3.43 निम्नलिखित पहलुओं पर आंकड़े स्वास्थ्य और रूगणता सर्वेक्षण में एकत्र किए जाने का प्रस्ताव है :

- रूग्णता की प्रचलन दर
- सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग की सीमा
- मेडिकल संस्थाओं में दाखिल रोगी के रूप में प्राप्त चिकित्सा और उस पर किया गया व्यय
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से प्राप्त उपचार पर हुआ व्यय
- चिकित्सा के वैकल्पिक स्कूलों (आयुष) की भूमिका का मूल्यांकन
- बच्चों के जन्म के लिए निजी और सार्वजनिक अस्पतालों के उपयोग की सीमा, किया गया व्यय
- बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की प्रसव-पूर्व तथा प्रसव-उपरांत देखभाल की की सीमा
- 60++ वर्ष से अधिक आयु वाली आबादी की स्थिति के कतिपय पहलुओं संबंधी सूचना।

3.44 71वें दौर में कार्यकारी समूह द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तन (समावेशन/ अपवर्जन) इस प्रकार हैं :

- 71वें दौर में, 60वें दौर में प्रयुक्त बीमारियों की सूची को एक और अधिक व्यापक सूची (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आपूरित) से बदला दिया गया है।
- एलोपैथिक पद्धति/आयुष द्वारा किए गए स्वास्थ्य व्यय को दो मूल्यों में बांट कर उपलब्ध कराया गया है।
- सामान्य बाल जन्म जैसी गैर-बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर हुए व्यय के अभिग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है।
- सिंगल शाट प्रश्न का प्रयोग करते हुए "यूजवल एमपीसीई आफ दा हाउसहोल्डस" एकत्र किया जाएगा।
- बच्चों के प्रतिरक्षण से संबंधित प्रश्न छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि वे अन्य आंकड़ा स्रोतों से बेहतर उपलब्ध होते हैं।
- पहले की तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्पताल में दाखिले के प्रत्येक मामले में बीमारियों संबंधी आंकड़े 365 दिन की संदर्भ अवधि के लिए एकत्र किए जाएंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति की अन्य बीमारी के प्रत्येक दौर पर आंकड़े 15 दिन की संदर्भ अवधि के लिए एकत्र किए जाएंगे।

3.45 स्वास्थ्य और रूग्णता संबंधी कुछ नए मामले जो सामने आए हैं और जिन तरीकों से कार्यकारी समूह द्वारा उनका निराकरण किया गया है इस बारे में विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है :

(क) छात्र जो परिवार से दूर रह रहे हैं परंतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर हैं, ऐसे छात्रों द्वारा व्यय बेहतर नैटिंग के लिए यह सोचा गया कि जो छात्र परिवार से दूर रह रहे हैं (होस्टल में रह रहे हैं) एकल सदस्य परिवार के रूप में मानकर शिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य पर हुए समस्त व्यय छात्र के परिवार से अभिग्रहण करना कठिन होगा। अत: यह सुझाव दिया गया कि ऐसे एकल सदस्य परिवारों (अर्थात घर से दूर हॉस्टल में रहने वाले छात्र) को सूची से बाहर रखा जाए और पैतृक परिवार की सूची बनाते समय उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसे 71वें दौर में कार्यान्वित किया गया; यद्यपि यह पूर्ववर्ती दौरों की "परिवार" की अवधारणाओं तथा परिभाषाओं से थोड़ा भिन्न होगा।

यह ध्यान दिया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के मामले में, उत्पन्न अनुमान "प्रति परिवार" प्रकार के नहीं हैं (अगर ऐसा होता तो परिवार की परिभाषा महत्वपूर्ण होती, क्योंकि यह परिवारों की अनुमानित संख्या तथा औसत परिवार आकार को प्रभावित करती है)। ना ही इन सर्वेक्षणों से परिवारों पर व्यय के वितरण का अनुमान दिया गया है (इसके विपरीत अर्थात उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, जहां एकल सदस्य छात्र परिवारों की उपस्थिति, परिवारों तथा व्यक्तियों दोनों पर प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के वितरण को प्रभावित करती है)।

दूसरी ओर, 71वें दौर का सर्वेक्षण, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों तथा पिछले शिक्षा सर्वेक्षण के विपरीत, जनवरी-जून सर्वेक्षण है। बहुत से हॉस्टलों में छुट्टियां अप्रैल-जून के दौरान होती हैं। इसका मतलब है सर्वेक्षण अवधि का एक बड़ा भाग छुट्टी का समय है, तथा इसलिए हॉस्टलों में दूर के रहने वाले छात्रों का पर्याप्त रूप से अभिग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, आमतौर पर हॉस्टलों में सुरक्षा की दृष्टि से आमतौर पर बाहरी लोगों का आना प्रतिबंधित होता है तथा अन्वेषकों का कुछ हॉस्टलों, विशेषकर महिला हॉस्टलों, में प्रवेश वर्जित किया जा सकता है।

चिन्ताएं व्यक्त की गईं कि माता-पिता हॉस्टलों में उनके बच्चों द्वारा किए गए व्यय का मदवार विवरण उपलब्ध कराने में असमर्थ हो सकते हैं। एआईटीओटी में देखा गया कि यदि बताए गए व्यय का मदवार ब्योरा लगभग अनुमान के काफी करीब भी है फिर भी सर्वेक्षण का मुख्य प्रयोजन तभी हल होगा, जब कुल व्यय उपलब्ध हो। शिक्षा सर्वेक्षण में, शिक्षा के उच्च स्तरों पर, विशेषकर व्यावसायिक/व्यवसाय संबंधी शिक्षा, जहां छात्र अधिकांश

समय हॉस्टलों में रहते हैं तथा प्रति छात्र व्यय बहुत ज्यादा होता है, से प्रतिदर्श आकार अपर्याप्तताएं सदैव बहुत अधिक महसूस की गई हैं।

(ख) केवल परिवार के "आउट आफ पॉकेट" व्यय को एकत्र किया जाता है जैसाकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपेक्षित है। बीमा कंपनी या नियोक्ता द्वारा सीधा अस्पताल या चिकित्सा सेवा प्रदाता को की गई अदायगी को पूरी तरह से बाहर रखा जाना है।

(ग) पिछले 365 दिनों के दौरान बीमारी पर किए गए व्यय संबंधी सूचना एकत्र की जानी है (उपभोग दृष्टिकोण) न कि पिछले 365 दिनों के दौरान प्राप्त उपचार पर हुए व्यय संबंधी सूचना।

3.46 शिक्षा और आईटी साक्षरता सर्वेक्षण पर 71वें दौर में एकत्र किए जाने वाले प्रस्तावित आंकड़े मुख्यत: निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित हैं :

- शैक्षिक अवसंरचना संबंधी सूचना
- शिक्षा प्रणाली में 5-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी
- शिक्षा पर किया गया निजी व्यय
- शैक्षणिक अपव्यय तथा उनके कारणों की जांच करना
- 14 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आईटी साक्षरता।

3.47 शिक्षा तथा आईटी साक्षरता संबंधी कुछ नए मामले जो सामने आये हैं और उनका किस प्रकार निराकरण किया गया है इसका ब्योरा नीचे दिया गया है :

- यह जानने के लिए कि परिवार से दूर रहने वाले कितने छात्रों को इस सर्वेक्षण में प्राप्त किया गया, एक नया कालम "क्या छात्र हॉस्टल का निवासी है" (हां-1, नहीं-2) के नाम से दोनों अनुसूचियों के जनांकीकि ब्लॉक में शामिल किया गया है।
- परिवार के सदस्यों की शिक्षा पर वर्तमान अकादमिक सत्र के दौरान किए गए तथा/अथवा किए जाने वाले सारे व्यय पर, व्यय के स्रोत पर ध्यान दिए बिना, विचार किया जाना है, अर्थात चाहे व्यय प्रतिदर्श परिवार द्वारा किया गया और/ अथवा किया जाना हो अथवा नहीं। यदि, छात्र के लिए सर्वेक्षण की तारीख को अकादमिक सत्र अभी प्रारंभ होना है और आगामी अकादमिक सत्र के बारे में सूचना प्राप्त करना संभव नहीं है तो पिछले अकादमिक सत्र के संदर्भ से व्यय की सूचना एकत्र की जा सकती है।
- तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के मामलों की बेहतर नैटिंग हेतु एक पृथक दूसरे चरण के स्तर "तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे कम से कम एक छात्र (5-29 वर्ष की आयु) वाले परिवार" को शामिल किया गया है।
- शिक्षा के व्यय तथा स्कोलरशिप/वृत्तिकाओं पर नियोक्ता (सरकार अथवा अन्य) द्वारा की गई प्रतिपूर्ति राशि तथा छात्रवृत्ति/वृतिकाओं को अलग से एकत्र किया जाना है।

- भुगतान, जो प्रवेश की पूर्व शर्त है, किया जाना है।
- विदेश में अध्ययन वाले छात्रों पर व्यय को एकत्र नहीं किया जाएगा।
- *"क्या परिवार के पास कम्प्यूटर है?" तथा "क्या परिवार के पास इंटरनेट सुलभ है?"* प्रत्येक परिवार के लिए एकत्र किया जाना है।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आईटी साक्षरता 4 प्रश्नों के द्वारा तय की जाएगी :
  क्या वह कम्प्यूटर को चलाने योग्य है शब्द संसाधन अथवा टाइपिंग के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग कर सकता है/वांछित सूचना खोजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है/ई-मेल भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है?

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.48 एनएसएस के 71वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली निम्नलिखित निर्देशों के साथ एनएससी द्वारा अनुमोदित की गई है :

(1) एनएसएस के 71वें दौर के लिए अधिसूचित विषय कवरेज को "स्वास्थ्य तथा रूग्णता" के स्थान पर "स्वास्थ्य" दर्शाने के लिए आशोधित किया जाए। यह प्रयोक्ताओं में इस संभव विचार को दूर करने के लिए आवश्यक है कि सर्वेक्षण अपने सभी आयामों में "रूग्णता" का मूल्यांकन करेगा।

(2) हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों के संबंध में, उनकी सूचना उनके आम निवास पर एकत्र की जाए। इसी तरह से, स्वास्थ्य विशेषताओं के संबंध में, हॉस्टल में रहने के कारण अस्थायी रूप से दूर रहने वाले मामलों में सूचना को उनके सामान्य परिवार व्यय में शामिल किया जाए। तथापि, बच्चे के जन्म के संबंध में जहां बेटी (अथवा बहू) को परम्परा के अनुसार अन्य परिवार (अधिकांशत: मामलों में उसके माता-पिता के परिवार) में जाना है ऐसे में परिवार के घर से किए गए व्यय की सूचना एकत्र की जाए।

(3) सभी मामलों में, जहां "परिवार" की आम एनएसएस परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति परिवार के सदस्य नहीं हैं उनके संबंध में सूचना एकत्र की जाती है, राष्ट्रीय/राज्य लेखा प्रयोजनों के लिए संबंधित राज्य अथवा जिले के अंतर्गत ऐसे व्ययों के तदनंतर सघ्न रूप से पुन: समूहीकरण के लिए स्थान (राज्य कोड और जिला कोड) के संबंध में अतिरिक्त सूचना एकत्र की जाए। इसी प्रयोजन हेतु प्रत्येक चयनित परिवार के सदस्यों के संबंध में अन्य राज्यों/जिलों में अस्पताल में दाखिल होने के प्रत्येक मामले पर हुए व्यय के संबंध में इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना भी एकत्र की जाए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 72वें तथा 73वें दौर के लिए विषय कवरेज

3.49 एनएसएस के 71वें दौर तथा एनएसएस के 74वें दौर तक विषय कवरेज का पहले ही निर्णय ले लिया गया था। एनएसएस का 74वां दौर रोजगार एवं बेरोजगारी तथा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी पंचवर्षीय सर्वेक्षण के प्रति समर्पित रहेगा। इस दृष्टि से, एनएससी ने एनएसएस के 72वें एवं 73वें दौरों के लिए विषय शामिल किया जाने पर विचार-विमर्श करने

के लिए इसे उचित समझा। इस पर यदि निर्णय ले लिया जाता है तो एनएसएस के 74वें दौर तक मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, जिसके लिए विषय के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया गया था।

3.50 एनएसएस के 72वें दौर के विषय शामिल करने का मुद्दा इसकी 59वीं बैठक (अगस्त, 2013) में एनएससी के समक्ष आया। एनएससी ने इस प्रयोजनार्थ अनेक संभावनाओं तथा अपेक्षाओं पर विचार किया था। यह देखा गया कि छठी आर्थिक गणना का ढांचा 72वें दौर के योजना चरण के दौरान तैयार नहीं होगा जिससे कि दौर में गणना के अनुवर्ती सर्वेक्षण में सुविधा हो। सभी संबंधित बातों पर विचार करते हुए, एनएससी ने निर्णय लिया कि 72वां दौर (सर्वेक्षण अवधि : जुलाई, 2014 - जून, 2015) पर्यटन, परिवार में टिकाऊ सामान/सेवाओं के उपभोग को शामिल करने के लिए अनुसूचियों का विकास करेगा और प्रोफसर शिबदास बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में एनएसएसओ मामलों पर स्थायी तकनीकी समिति लघु अनुसूचियों के लिए कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करेगी।

3.51 एनएसएस के 72वें दौर का कार्यकारी समूह पिछले दौरों की भांति सर्वेक्षण कार्यप्रणाली तैयार करने तथा दौर के कार्यकलापों का समग्र रूप से निरीक्षण करने के लिए कार्य करेगा। तकनीकी समिति तथा कार्यकारी समूह के बीच कार्य की समानताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि कार्यकारी समूह की अध्यक्षता प्रो. शिबदास बंद्योपाध्याय द्वारा की जाएगी तथा इससे तकनीकी समिति के दो सदस्य होंगे अर्थात सदस्य के रूप में प्रो. राजीव करान्दिकर और डा. चंदन मुखर्जी। इसके अलावा, आईएसआई (एसओएसयू) के प्रो. दिगांता मुखर्जी कार्यकारी समूह में अन्य गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे।

3.52 यह भी निर्णय लिया गया था कि तकनीकी समिति को सौंपा गया कार्य अधिदेश के भीतर कार्यकारी समूह द्वारा किया जाता रहेगा। कार्यकारी समूह सत्र में हुए गहन विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए भावी एनएसएस दौरों में उपयोग के लिए मास्टर प्रतिदर्श तैयार करने की व्यवहार्यता पर एनएससी को एक रिपोर्ट भी देगा।

3.53 उपरोक्त बातों के आधार पर 18 सितम्बर, 2013 को एक कार्यकारी समूह गठित किया गया था और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। अपर-महानिदेशक, एनएसएसओ (एसडीआरडी) को कार्यकारी समूह का सदस्य सचिव बनाया गया था। प्रो. राहुल मुखर्जी, सदस्य, एनएससी को समूह का विशेष आमंत्रित व्यक्ति बनाया गया। कार्यकारी समूह के सदस्य सचिव, कार्यकारी समूह के अध्यक्ष के अनुमोदन से विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए एनएससी को मासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं।

3.54 एनएसएस के 73वें दौर (सर्वेक्षण अवधि : जुलाई, 2015 - जून, 2016) के लिए विषय शामिल करने के संबंध में, एनएसएसओ का अनुरोध एनएससी की 65वीं बैठक (मार्च, 2014) में इसके समक्ष आया। इस समय तक, छठी आर्थिक गणना आंकड़ों को तैयार करने के संबंध में काफी प्रगति हो गई थी। चूंकि आर्थिक गणना के तीन से चार अनुवर्ती सर्वेक्षण विगत में एनएसएस के प्रत्येक 10 वर्षीय चक्र में संचालित किए गए थे और चूंकि अंतिम अनुवर्ती सर्वेक्षण वर्ष 2010-11 में संचालित किया गया था, इसलिए एनएससी ने महसूस

किया कि एनएसएस के 73वें दौर के दौरान छठी आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण संचालित करना एक विकल्प समझा जा सकता था। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए एनएसएसओ को सीएसओ के साथ परामर्श करके एनएससी के विचारार्थ कवरेज पर एक विस्तृत टिप्पणी, अवधारणा संबंधी ढांचा तथा सर्वेक्षण की अन्य जरूरतें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। टिप्पणी में यह भी शामिल किया जाए कि किस प्रकार बिजनेस रजिस्टर, जिसे 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में सीएसओ (एनएडी) द्वारा तैयार किया जा रहा है, प्रस्तावित सर्वेक्षण में एक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

3.55 उपरोक्त मुद्दों पर एनएससी द्वारा की गई अनुशंसाओं का सार इस प्रकार है :

(1) एनएसएस का 72वां दौर पर्यटन, परिवार में टिकाऊ सामानों/सेवाओं के उपभोग को शामिल करने तथा लघु अनुसूचियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए अनुसूचियों का विकास करेगा। गठित कार्यकारी समूह अन्य बातों के साथ-साथ कार्यप्रणाली तैयार करेगा। कार्यकारी समूह भावी एनएसएस दौरों में उपयोग हेतु मास्टर प्रतिदर्श तैयार करने की व्यवहार्यता पर एनएससी को एक रिपोर्ट भी देगा।

(2) एनएसएस के 73वें दौर के विषय शामिल करने के संबंध में छठी आर्थिक गणना के अनुवर्ती सर्वेक्षण का संचालन एक विकल्प समझा जा सकता है। एनएसएसओ, सर्वेक्षण के लिए कवरेज, अवधारणात्मक ढांचा कार्य तथा अन्य जरूरतों पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करे।

अध्याय-4

कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कुछ सांख्यिकीय क्रियाकलापों की समीक्षा

4.1 आलोच्य अवधि के दौरान केंद्र में कुछ मौजूदा सांख्यिकी प्रणालियों की एनएससी द्वारा समीक्षा की गई है। इसका विस्तृत ब्यौरा निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

4.2 एनएससी ने अपनी 63वीं बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सामाजिक क्रियाकलापों की समीक्षा आरंभ की। इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 4(63)/2013-एनएससी के द्वारा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह अपने सांख्यिकी क्रियाकलापों अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संगठनों सहित) पर एक विस्तृत टिप्पणी भेजे। इस टिप्पणी में शामिल किए जाने वाले बिंदु मंत्रालय को संबोधित पत्र में सुझाए गए हैं।

4.3 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 63वीं बैठक की तिथि से पूर्व एनएससी के सदस्यों को पहले परिचालन के लिए कोई टिप्पणी नहीं भेजी। तथापि, मंत्रालय के अधिकारियों ने श्रम ब्यूरो और डीजीईटी के क्रियाकलापों के संबंध में, बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बैठक के दौरान इन संगठनों पर नोट भी प्रस्तुत किए हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा भेजे गये टिप्पणी में कुछेक अनुलग्नकों का हवाला दिया गया है, परंतु कोई अनुलग्नक नहीं दिए गए। मंत्रालय के अधीन अन्य संगठनों के संबंध में कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।

4.4 श्रम ब्यूरो तथा डीजीईटी के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर, एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में लिया है :

(क) श्रम ब्यूरो, विभिन्न श्रम कानूनों (11 संविधियां) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/मुख्य श्रम आयुक्तों (केंद्रीय क्षेत्र) से सांवधिक तथा स्वैच्छिक विवरणियों के द्वारा प्राप्त आंकड़े एकत्र करता है तथा उनका प्रसार करता है। 2010 के इस डेटा पर रिपोर्टें वर्ष 2013 में प्रकाशित की गई। इसलिए, आमतौर पर आंकड़े देरी से प्राप्त होने के कारण प्रकाशनों को निकालने में विलंब होता है।

(ख) श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से एनएसएसओ (एफओडी) के माध्यम से "कामकाजी श्रेणी के परिवार की आय तथा व्यय" पर सर्वेक्षण संचालित करता है। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 में आयोजित किया गया था। इन आंकड़ों का उपयोग औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधन हेतु किया जाता है।

(ग) ब्यूरो, आधार वर्ष 2001 के साथ औद्योगिक कामगारों के मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का संकलन तथा इन्हें जारी करता रहा है। आधार पर संशोधन का कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत,

केंद्रों की संख्या 88 तक बढ़ाई जाएगी और दो नए क्षेत्र, नामत: "हथकरघा" और निर्माण शामिल किए जाएंगे।

(घ) ब्यूरो आधार वर्ष 1986-87 के साथ कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता रहा है।

(ड.) ब्यूरो, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्रित श्रम सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

(च) ब्यूरो, रोजगार-बेरोजगारी पर वार्षिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण संचालित करता रहा है। अब तक, तीन सर्वेक्षण संचालित किए गए हैं तथा इनकी रिपोर्टें जारी की गई हैं। चौथा सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा, ब्यूरो, त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण (क्षेत्र-विशिष्ट उद्योग सर्वेक्षण) संचालित करता है।

(छ) ब्यूरो, व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण आवधिक रूप से आयोजित करता है। सर्वेक्षण आंकड़े, मजदूरी दर सूचकांक संख्याओं के लिए आधार को अद्यतन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस समय, 1963-65 आधार के साथ मजदूरी दर सूचकांक संकलित किया जा रहा है।

(ज) गैर-योजना पक्ष पर श्रम ब्यूरो में बहुत से पद खाली हैं।

(झ) डीजीईटी का 956 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है जिसमें नौकरी चाहने वाले 4 करोड़ से अधिक होता पंजीकृत हैं। परंतु, इस प्रणाली के माध्यम से वार्षिक केवल चार लाख लोगों की प्लेसमेंट होती है। तंत्र को और अधिक कारगर बनाने के लिए रोजगार कार्यालय मिशन मोड के अंतर्गत इसे कम्प्यूटरीकृत किए जाने की योजना है।

(ञ) मंत्रालय इसे आईएससीओ-2008 श्रृंखला के अनुरूप करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (एनसीओ-2004) में संशोधन करने का प्रस्ताव रख रहा है।

(ट) ईआर-I और ईआर-II फार्म में विवरणियां रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। इन फार्मों का उपयोग अधिनियम तथा गैर-अधिनियम के उद्यमों दोनों से सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है।

(ठ) डीजीईटी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की गणना भी करता है।

(ड) डीजीईटी ने रोजगार कार्यालय सांख्यिकी (नवीनतम दिसम्बर, 2012 में), वार्षिक रोजगार समीक्षा (नवीनतम मार्च, 2011 में) तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (नवीनतम दिसम्बर, 2004 में) पर गणना के वार्षिक प्रकाशन निकाले।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.5 63वीं बैठक में विचार-विमर्शों तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(1) यह वास्तविकता है कि व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण में स्टॉफ की कमी के कारण विलंब हुआ है, जो चिन्ता का विषय है। यह सर्वेक्षण कवरेज के तहत क्षेत्रों में व्यावसायिक तथा कौशल उपयोगिता पर एक बहुत उपयोगी स्रोत है तथा एनएससी ने इच्छा व्यक्त की कि श्रम ब्यूरो तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय इस कार्य को महत्व देने के लिए कदम उठाए। यदि स्टाफ की कमी एक मुद्दा है तो एनएससी ने सुझाव दिया कि त्वरित रोजगार सर्वेक्षण बंद किए जाएं। तथापि, इन्हें तब तक बंद न किया जाए जब तक एनएसएसओ द्वारा जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की योजना बनाई जा रही है वह कार्यकरण में न आ जाए।

(2) श्रम ब्यूरो तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, संबंधित सूचना प्रदाताओं द्वारा ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल का सृजन करने पर विचार करे।

(3) सामान्यत: श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा विशेषत: श्रम ब्यूरो को राष्ट्रीय आंकड़ा साझा करने और सुलभता नीति का अनुपालन करते हुए पब्लिक डोमेन में पृथक्कीकरण इकाई स्तरीय आंकड़ों के प्रसार की योजना बनानी चाहिए। विशेषत:, सर्वेक्षण आधारित आंकड़ों को उसी प्रकार जारी किया जाए जिस प्रकार अब तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अपने आंकड़े जारी करता रहा है।

(4) सूचकांकों के आधार में संशोधनों को पहले से नियोजित किया जाए ताकि, उन्हें पांच वर्ष में एक बार प्रभावी बनाया जा सके। मजदूरी दर सूचकांक तथा सीपीआई (एएल/आरएल) के लिए आधार में संशोधन का काम तुरंत किया जाए।

(5) सीपीआई (आईडब्ल्यू) के ढांचे में शामिल करने के लिए निर्माण क्षेत्र हेतु, चक्रीय डिजाइन पर विचार किया जाए।

(6) श्रम ब्यूरो में गैर-योजना के अंतर्गत बहुत अधिक खाली पदों पर तुरंत ध्यान देना अपेक्षित है, क्योंकि इस प्रवृत्ति को बनाए रखने से ब्यूरो के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(7) एनसीओ 2004 के प्रयोग की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर प्रशासनिक सांख्यिकी के क्षेत्र में संबंधित कार्यकर्ताओं को वर्गीकरण के उपयोग पर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। श्रम और रोजगार मंत्रालय नए उभरते व्यवसायों, समाप्त होते व्यवसायों तथा उनके भौगोलिक वितरण संबंधी पहलुओं पर आंकड़े प्रकाशित करे। यह विभिन्न व्यवसायों में क्षमता निर्माण की योजना में मंत्रालय तथा अन्य प्रयोक्ताओं की सहायता करेगा।

(8) श्रम और रोजगार मंत्रालय, सरकार (सभी स्तरों पर) में सभी कर्मचारियों गणना को आधार पर शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संपर्क करे।

(9) श्रम और रोजगार मंत्रालय, परिवार सर्वेक्षणों के बजाय उद्यम सर्वेक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित करे तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अंतर्गत सर्वेक्षण आयोजित किए जाएं।

(10) सचिव (श्रम) को संबोधित दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 के अ.शा. पत्र सं.4(63)/2013-एनएससी के अंतर्गत किए गए अनुरोध के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यकलापों पर संपूर्ण सूचना एनएससी द्वारा समीक्षा के लिए सचिव के अनुमोदन से भेजी जाए। इस तथ्य का कि सामग्री सचिव द्वारा अनुमोदित है, उसका पत्राचार में उल्लेख आवश्यक है। सामग्री प्राप्त होने पर, एनएससी, यदि आवश्यक होगा तो आगे विचार-विमर्श के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाएगा।

4.6 श्रम ब्यूरो ने दिनांक 9.1.2014 के अ.शा. पत्र सं.23(3)/2013-सीपीआई-आईडब्ल्यू (एनएस) के तहत सीपीआई-आईडब्ल्यू में संशोधन कार्य के भाग के रूप में, कामकाजी वर्ग के परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में प्रकाशनार्थ दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 232 के तहत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सांख्यिकी सर्वेक्षण संचालित करने संबंधी दिशानिर्देशों के आलोक में, एनएससी द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.7 एनएससी ने निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्ताव को अपनी सहमति दी :

(1) यदि एनएसएसओ अथवा सीएसओ के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो सर्वेक्षण संचालित किया जाए और नोडल अधिकारी (सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के अंतर्गत) यह प्रमाणित करता हैं कि प्रस्तावित सर्वेक्षण यदि संचालित किया जाता है तो उसमें अनावश्यक ही चीजों को दोहराया नहीं जाएगा।

(2) एनएसएसओ को किसी नियमित सर्वेक्षण के साथ डब्ल्यूसीएफआई एवं ईएस एकीकृत करना संभव नहीं होगा। अत:, एक पृथक सर्वेक्षण की योजना बनाई जाए। यदि एनएसएसओ के माध्यम से पृथक सर्वेक्षण संचालित किया जाना है तो एनएसएसओ को अपेक्षित पर्याप्त संसाधन जनशक्ति तथा वित्त दोनों उपलब्ध कराए जाएं।

(3) श्रम ब्यूरो के किसी अधिकारी की सर्वेक्षण के संचालन पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा एनएससी सचिवालय के साथ चर्चा तथा समन्वय करने के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाए।

(4) श्रम ब्यूरो, टीएसी-एसपीसीएल के परामर्श से प्रस्तावित सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली तैयार करें, जिसमें अनुपालन किए जाने वाली अवधारणाएं, परिभाषाएं और वर्गीकरण, प्रतिचयन डिजाइन, आंकड़ा संग्रहण की विधि, संसाधन

सारणीयन तथा आंकड़ों का प्रसार शामिल। तैयार की गई कार्यप्रणाली को ठीक प्रकार से लिखित रूप में सहमति के लिए एनएससी को प्रस्तुत किया जाए और एनएससी के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार सर्वेक्षण संचालित किया जाएगा ।

(5) "सांख्यिकी सर्वेक्षण संचालित करने संबंधी दिशानिर्देशों" के पैरा (3) के अंतर्गत दी गई अन्य शर्तों का पालन किया जाए।

4.8 एनएससी के निर्देशों के बारे में दिनांक 19 फरवरी, 2014 के अ.शा. पत्र सं.4(63)/2014-एनएससी के द्वारा श्रम ब्यूरो को सूचित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा श्रम ब्यूरो (ग्रामीण मूल्य संग्रहण स्कीम)

4.9 एनएसएसओ ने एनएससी को सूचित किया कि इस समय ग्रामीण मूल्य संग्रहण स्कीम के अंतर्गत उनके द्वारा एकत्र किए जा रहे आंकड़ों का प्रयोग श्रम ब्यूरो द्वारा 1986-87 आधार वर्ष के साथ सीपीआई (एएल/आरएल) के संकलनार्थ किया जा रहा है तथा सूचकांक के आधार में संशोधन अपेक्षित है क्योंकि ढांचा पुराना हो गया है। वर्ष 1983 में एनएसएस के 38वें दौर पर आधारित वेटिंग डायग्राम प्राप्त किया गया था1 एनएसएसओ के अधिकारियों ने आरपीसी स्कीम के अंतर्गत आंकड़ा संग्रहण में सामने आ रही समस्याओं को उजागर करते हुए एनएससी की 64वीं बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया। एनएसएसओ ने यह भी सुझाव दिया था कि श्रम ब्यूरो, सीपीआई (एएल/आरएल) के स्थान पर सीएसओ के सीपीआई (ग्रामीण) का उपयोग करे।

4.10 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए आधार वर्ष के संशोधन के मामले पर एनएससी द्वारा पहले भी विचार किया गया था। एनएससी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 में, निम्न प्रकार से अनुशंसा की :

> *"एनएससी को सूचित किया गया कि सीपीआई (ग्रामीण) तथा सीपीआई (एएल/आरएल) के भारण आरेख (वेटिंग डायग्राम) एनएसएसओ के पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) परिणामों से प्राप्त होते है और इन दोनों श्रृंखलाओं में एनएसएस के 68वें दौर के सीईएस परिणामों के आधार पर संशोधन का समय आ गया है। दूसरे शब्दों में, इन सीपीआई श्रृंखलाओं का मद संघटन सीईएस के अंतर्गत शामिल मदों के साझा सेट से प्राप्त किया जाएगा, जिनसे इन दोनों श्रृंखलाओं में मदों के लिए कुछ साझा विनिर्देश प्राप्त होंगे। दोनों श्रृंखलाओं के लिए मूल्य माह में एक बार एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार, एनएससी ने सीपीआई (ग्रामीण) के लिए चयनित गांवों में से सीपीआई (एएल/आरएल) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले गांवों को चुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य संग्रहण के एकीकरण की अनुशंसा की।"*

4.11 एनएससी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुशंसा की हैं कि उपभोक्ता सूचकांकों के लिए आधार वर्ष के रूप में 2011-12 को चुनना एजेंसियों के लिए उपयुक्त रहेगा।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.12 एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत समस्याओं जो सीपीआई (एएल/आरएल) के प्रतिनिधियों पर प्रश्न खड़ा करती हैं, के आलोक में एनएससी ने अनुशंसा की कि :

(1) समयबद्ध तरीके से सूचकांक के आधार को संशोधित करने तथा आर पी सी स्कीम के अंतर्गत वर्तमान आंकड़ा संग्रहण को रोकने के लिए यथाशीघ्र उपयुक्त कदम उठाए जाएं;

(2) एनएसएसओ, कार्यप्रणाली में संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए टीएसी-एसपीसीएल के समक्ष उपयुक्त प्रस्ताव रखने हेतु श्रम ब्यूरो के साथ संपर्क करे; और

(3) वर्तमान सीपीआई (एएल/आरएल) के प्रयोक्ताओं, विशेषकर वे राज्य जो न्यूनतम मजदूरी नीतियां तैयार करने में सूचकांक का प्रयोग करते हैं, को मौजूदा सूचकांक को रोकने के लिए अग्रिम नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है।

भारत के महापंजीयक का कार्यालय (प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली)

4.13 भारत के महापंजीयक का कार्यालय (ओआरजीआई) "प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)" नामक जनांकीकि सर्वेक्षण नियमित रूप से संचालित (एसआरएस) कर रहा है। ओआरजीआई से अनुरोध किया गया था कि एनएससी के अवलोकनार्थ वह एसआरएस पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलू शामिल हों :

(क) सर्वेक्षण के लिए सांख्यिकी मानक निर्धारित तथा उनके कार्यान्वयन को मानीटर करना

(ख) फील्ड एजेंसियों से आंकड़ा प्रवाह तथा आंकड़ों की गुणवत्ता और समयपरकता का मूल्यांकन

(ग) सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए सांख्यिकी समन्वय प्रक्रिया

(घ) आंकड़ा प्रसार नीति तथा सरकार की आंकड़ा साझा करने संबंधी नीति के कार्यान्वयन की पद्धति

(ड.) सर्वेक्षण आंकड़ों और रिपोर्टों के प्रयोक्ताओं की सूची

(च) सर्वेक्षण में देखे गए गतिरोध/बाधाएं, यदि कोई हों

(छ) कार्यान्वयन के लिए आयोगों/समितियों की लंबित अनुशंसाएं

(ज) वर्तमान में कार्य कर रही समितियों (सूची दी जाए) का ब्योरा।

4.14 भारत के महापंजीयक तथा उनके कार्यालय के अन्य अधिकारियों ने उनके द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे जनांकिकी सर्वेक्षण, एसआरएस पर एनएससी की 63वीं बैठक में उसके समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। महापंजीयक ने एनएससी के समक्ष जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के पंजीकरण में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की जा रही नई पहलों को भी प्रस्तुत किया।

4.15 ओआरजीआई द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी तथा प्रस्तुतीकरणों के आधार पर एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में लिया :

(क) एसआरएस, इस समय 1.47 मिलियन परिवारों तथा लगभग 7.5 मिलियन जनसंख्या को कवर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदर्श इकाई एक गांव अथवा एक गांव का खंड है (बड़े गांव के मामले में), जबकि शहरी क्षेत्रों में, यह एक गणना परिगणना ब्लॉक है। इस समय, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई 7597 इकाइयों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रतिदर्श इकाई का औसत आकार 190 परिवार हैं।

(ख) एसआरएस ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर, जन्म तथा मृत्यु दरों का वार्षिक अनुमान उपलब्ध कराता है। यह कुल जननक्षमता दर, मातृ मृत्यु-दर और जननक्षमता के अन्य उपाय तथा मृत्यु दर के घटकों का आकलन करने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है। मौखिक शव-परीक्षा के माध्यम से मृत्यु के कारणों को तय करने के आंकड़े एसआरएस-2004 से एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) एसआरएस दो स्वतंत्र कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रमों के सतत और पूर्व प्रभावी रिकार्डिंग वाली एक दोहरी सूचना प्रणाली है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त फील्ड जांच उपलब्ध कराई गई है।

(घ) एसआरएस प्रतिचयन ढांचा 10 वर्षों में एक बार संशोधित किया जाता है। अब संशोधन करने का समय आ गया है तथा वर्ष 2014 से आगे प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या बढ़कर 8861 हो जाएगी।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.16 उपरोक्त जानकारियों के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं :

(1) एसआरएस एक पैनल होने के नाते अत्यधिक समृद्ध जनांकिकी आंकड़ा स्रोत है। एसआरएस के अंतर्गत भावी सर्वेक्षणों के इकाई स्तरीय आंकड़े राष्ट्रीय आंकड़ा साझा करने तथा सुलभता नीति के अनुसार जारी किए जाने चाहिएं। 2003 से 2013 तक के पहले चक्र के आंकड़ों का अंकीकरण किया जाए तथा उन्हें प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि अनुसंधान में इनका उपयोग बहुत अधिक संभव है।

(2) एनएससी ने एसआरएस से एक सिविल पंजीकरण आधारित सांख्यिकी प्रणाली में लाने के लिए एक तंत्र का विकास करने की आवश्यकता का

उल्लेख किया। इस तथ्य को देखते हुए कि अनेक राज्यों ने जन्म के सिविल पंजीकरण के उच्च स्तर को प्राप्त किया है, इसके लिए ट्रांजिशन योजना विकसित करना, ओआरजीआई के लिए उपयोगी होगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सिविल पंजीकरण की स्थिति के मूल्यांकन को उपलब्ध कराने हेतु एसआरएस अनुसूची में उपयुक्त आशोधनों को शामिल किया जाए।

कृषि मंत्रालय

4.17 कृषि तथा सहकारिता विभाग (डीएसी) के अधिकारियों ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एनएससी के समक्ष इसकी 64वीं बैठक में पांच प्रस्तुतीकरण दिए। आईएएसआरआई के डा. यू. सी. सूद ने बैठक में आईएएसआरआई के कार्यकलापों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। वैद्यनाथन समिति, जिसमें एक राष्ट्रीय फसल सांख्यिकी केंद्र (एनसीएससी) की स्थापना शामिल है, की अनुशंसाओं के संबंध में, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार की है जिसमें एक नए केंद्र अर्थात एनसीएससी की स्थापना के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति ने अपना समर्थन नहीं दिया है तथा व्यय वित्त समिति ने "कृषि सांख्यिकी का सुधार" नामक स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध निधि में से एक प्रायोगिक कार्यक्रम की अनुशंसा की।

4.18 फसल क्षेत्र तथा फसल पैदावार पर कृषि सांख्यिकी के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सूचित किया गया कि राज्यों द्वारा रिपोर्टिंग में विलंब हुआ है, क्रमिक अग्रिम तथा अंतिम अनुमानों में बड़े अंतर देखे जा रहे थे, एसएएसए से प्राप्त जिलावार अनुमानों और राज्य स्तरीय अनुमानों में कोई मेल नहीं है, फसल कटाई प्रयोगों के परिणामों की गुणवत्ता/विश्वसनीयता संदेहास्पद थी तथा पैदावार दरों में बड़े अंतरराज्यीय अंतरों के अलावा, राज्यों के भीतर अनुमानों में अंतर एजेंसी विचलन तथा वर्ष-दर-वर्ष बड़े विचलन हुए हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :

(क) चूंकि प्राथमिक कार्यकर्ता (पटवारी आदि) कृषि सांख्यिकी कार्य के लिए पर्याप्त समय देने में असमर्थ हैं; ग्रामीण स्तर पर फील्ड कार्य के लिए एसएएसए द्वारा एकमात्र ठेका कामगारों को लगाया जाए।

(ख) कृषि विभाग के अधिकारियों का कोर ग्रुप/समन्वय समिति, भूमि रिकार्ड तथा राज्य सचिव (कृषि) एपीसी के नेतृत्व में डीईएस को केंद्र सरकार को आंकड़े भेजने से पूर्व क्षेत्र/उत्पादन संबंधी आंकड़ों को अंतिम रूप देने के लिए अन्य राज्य एजेंसियों के साथ बैठक और समन्वय करना चाहिए।

(ग) कोर ग्रुप के शर्करा, बागबानी विभागों तथा अन्य कृषि इनपुट संबंधित विभागों (अर्थात, सिंचाई, विद्युत, मौसम, रिमोट सेंसिंग तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों आदि) के साथ क्षेत्र और उत्पादन के अनुमानों को अंतिम रूप देने में उनके फीड बैक के लिए भी संपर्क में रहना चाहिए।

4.19 डीएसी से प्राप्त कृषि सांख्यिकी का प्रयोग राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में सीएसओ द्वारा किया जाता है। राज्यों से डीएसी को आंकड़े जाते हैं। चूंकि राज्य एसडीपी के संकलन

में कृषि सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में प्रत्येक राज्य संबंधी आंकड़े एसडीपी के संकलन में प्रत्येक राज्य द्वारा प्रयुक्त किए गए आंकड़ों के समान होंगे। यह प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि राज्य डीएससी द्वारा अंतिम अनुमानों को जारी करने के उपरांत अपने आंकड़ों में सुधार करते हैं। राज्यों तथा डीएसी के उत्पादन आंकड़ों में व्यापक विचलन सूचित किए जाते हैं। डीएसी के भीतर भी आंकड़ों के मेल-मिलाप में समस्याएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि डीईएस द्वारा भेजे गए अन्य फसलों (प्रमुख फसलों से अनाज) के लिए क्षेत्र/उत्पादन आंकड़े एलयूएस में उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप नहीं हैं।

4.20 कृषि अध्ययनों की लागत के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया गया कि प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम वर्ष 1970-71 से चालू है, यह स्कीम 16 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 19 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है, अध्ययन के लिए फसलों का चयन 3 वर्षों में एक बार बदला जाता है, फार्म विश्लेषण पैकेज (एफएआरएमपी), एक डीओएस आधारित सॉफ्टवेयर (वर्ष 1992 में विकसित) आंकड़ा प्रविष्टि, वैधीकरण, सारणीयन तथा आकलन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सीएसीपी को लागत अनुमानों की प्रस्तुति के लिए लगभग 2 वर्ष की समय-सीमा रखी गई है, कृषि सर्वेक्षण की लागत में कार्यप्रणाली संबंधी मामले इस समय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था एवं नीति अनुसंधान केंद्र की अध्यक्षता में एक समिति की जांच के अधीन हैं।

4.21 कृषि वस्तुओं के मूल्यों (थोक बिक्री, खुदरा तथा फार्म पैदावार मूल्य) पर आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया गया कि राज्य सरकारें आंकड़े एकत्र करती हैं तथा मूल्य संबंधी आंकड़े कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को सीधे डाक द्वारा भेजती हैं, जिसमें विलंब होने के कारण अधिकांश राज्यों ने इन्हें भेजना बंद कर दिया है तथा कुछ राज्य आंकड़े भेजने में नियमित नहीं है तथा तंत्र अनियमित और विलंबित रिपोर्टिंग की वजह से पीड़ित रहा है। एनएससी के समक्ष दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि डीईएस, एग्मार्क नेट तथा अन्य जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा संग्रहित आंकड़ों में पुनरावृत्ति नहीं है, वर्तमान कृषि विपणन परिदृश्य की तर्ज पर बाजारों तथा वस्तुओं की सूची पर पुनर्विचार करने तथा इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, और मूल्य संबंधी आंकड़ों में गुणवत्ता, इकाइयों तथा समय में समानता का अभाव है, जिससे तुलनात्मकता पर प्रश्न खड़े होते हैं।

4.22 कृषि गणना के संबंध में, राज्य सरकारों द्वारा दी गई कम प्राथमिकता पटवारियों की अन्य कार्यों में पहले से व्यस्तता जिससे इस कार्य में विलंब हुआ तथा मानदेय की कम दरों के कारण फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि गणना कार्य में दिखाई गई कम रूचि, जैसी अनेक समस्याओं के एनएससी के ध्यान में लाया गया था। जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उनमें राज्यों द्वारा कार्य में प्रशिक्षित कर्मचारियों का कार्य की अन्य मदों में परिवर्तन तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में संस्वीकृत पदों का न भरा जाना भी देखा गया। सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बैठक में बताया गया। यह सुझाव दिया गया कि कृषि गणना आयुक्त के पद को कृषि गणना स्कीम के समग्र

सुधार के लिए राज्यों के पास कारगर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपर सचिव के स्तर पर उन्नत किया जाए। यह भी बताया गया कि कृषि मंत्रालय इससे सहमत है तथा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय से नवम्बर, 2001 में इस पद को एचएजी में उन्नत करने तथा आईएसएस में इसे काडर में शामिल करने का अनुरोध किया गया।

4.23 एनएससी द्वारा बागबानी सांख्यिकी की प्रणाली की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान, ऋण दिया गया कि प्रमुख समस्याएं आंकड़ा संग्रहण में बहु एजेंसियों द्वारा की गई कार्यप्रणालीगत भिन्नताओं, राज्यों द्वारा विलंबों और चूकों तथा वैधीकरण के उपयुक्त संस्थानिक तंत्रों के अभाव के कारण हैं। यह सूचित किया गया कि आईएएसआरआई द्वारा विकसित वैकल्पिक कार्यप्रणाली का पूरे देश में विस्तार करने से पूर्व पांच राज्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.24 उपरोक्त विषयों पर एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(i) डीएसी राज्य एजेंसियों में बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र और उत्पादन अनुमान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पैरा 4.18 में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

(ii) डीएसी न केवल प्रमुख फसलों को शामिल करने बल्कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी फसलों को शामिल करने के लिए अपने सांख्यिकी क्रियाकलापों के क्षेत्र को बढ़ाए। इस प्रयोजनार्थ, डीएसी को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि सांख्यिकी तैयार करने के लिए समस्त कृषि योग्य भूमि को ध्यान में रखा जाता है, विभाग में समन्वय सुदृढ़ीकरण की भी जरूरत है।

(iii) डीएसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा आईएएसआरआई के परामर्श से कार्य करे तथा अपने कार्य क्षेत्र के भीतर समग्र कृषि सांख्यिकी को एक ठोस योजना के अंतर्गत लाए, योजना में राष्ट्रीय आंकड़ा साझा करने और सुलभता नीति के अनुपालनार्थ सभी उपायों के प्रलेखीकरण और इकाई स्तर के आंकड़ों के प्रचार, राज्यों तथा केंद्र द्वारा संशोधन के प्रणालीकरण तथा आंकड़ों के समाधान, कृषि से गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित की जा रही भूमि पर आंकड़े, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भूमि उपयोग सांख्यिकी में सुधार करने के लिए कदम, आंकड़ों को तैयार करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त वर्गीकरणों की सामंजस्यता, खाद्य तुलनपत्र, मूल्य चेन, कृषि उत्पादन का उपयोग तथा व्यापार, उत्पादन के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए भरोसेमंद सांख्यिकी तैयार करना शामिल करना चाहिए।

(iv) कृषि अध्ययनों की लागत के संबंध में, इसके कार्यक्षेत्र को और अधिक फसलों तथा अधिक राज्यों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाए, प्रतिचयन

और गैर-प्रतिचयन त्रुटियों को कम करने के लिए आईएएसआरआई द्वारा इसके प्रतिचयन डिजाइन की समीक्षा की जाए तथा एफएआरएमएपी को और अधिक अनुकूल वेब समर्थित प्रणाली से बदला जाए।

(v) कृषि सर्वेक्षण की लागत संबंधी आंकड़ों की योजनाकारों तथा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने की बहुत संभावना है। इस प्रकार सर्वेक्षण के इकाई स्तरीय आंकड़े राष्ट्रीय आंकड़ा शेयरिंग और सुलभता नीति के अनुपालनार्थ उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

(vi) डीएसी, कृषि अध्ययन की लागत को लेने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करे, जो राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण है तथा जिन्हें केंद्र के सर्वेक्षणों में समायोजित नहीं किया जा सकता।

(vii) मूल्य आंकड़ों में समस्याओं को केंद्र तथा राज्य एजेंसियों में बेहतर समन्वय के द्वारा हल किया जा सकता है तथा आंकड़ा संग्रहण, प्रवाह तथा मूल्यों आंकड़ों के संसाधन के लिए आईटी-समर्थित प्रणालियों का प्रयोग करके डीएसी इस दिशा में कदम उठाए तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों को कार्यप्रणालीगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराए। थोक बिक्री, खुदरा और फार्म उपज मूल्यों संबंधी आंकड़ों का पर्याप्त समय-सीमा में नियमित प्रचार किया जाए।

(viii) कृषि गणनाओं के पृथक्कीकृत इकाई स्तरीय आंकड़ों का राष्ट्रीय आंकड़ा शेयरिंग और सुलभता नीति के अनुपालनार्थ प्रचार किया जाए।

(ix) डीएजी, आंकड़ा संग्रहण और वैधीकरण तंत्रों के सुदृढ़ीकरण में राज्यों की सहायता करने के लिए तथा प्रत्येक राज्य द्वारा पदनामित किए जाने वाले नोडल अधिकारियों के माध्यम से समन्वय सुदृढ़ीकरण हेतु मार्गदर्शी प्रयोग के निष्कर्ष को उपरांत बागबानी सांख्यिकी संबंधी एक समान कार्यप्रणाली प्रारंभ करने के लिए कदम उठाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)

4.25 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नीति निर्माताओं द्वारा साक्ष्य आधारित निर्णय करने हेतु प्रयुक्त एकमात्र महत्वपूर्ण आंकड़ा स्रोत है। चौथा एनएफएचएस (एनएफएचएस- 4) डीओएचएफडब्ल्यू द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों की श्रृंखलाओं में चौथा है। एनएफएचएस-4 को एनएफएचएस-3 के आंकड़ों को अद्यतन करने के एक कदम के रूप में देखा जा सकता है।

4.26 अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) एनएफएचएस-4 सहित सभी एनएफएचएस श्रृंखलाओं की नोडल एजेंसी रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति ने एनएफएचएस-4 हेतु सर्वेक्षण कार्यप्रणाली तैयार की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एनएससी को एनएफएचएस-4 पर प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव से उठने वाले मुद्दों पर चर्चा करने हेतु 12 सितम्बर, 2013 को एनएससी की बैठक आयोजित की।

4.27 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा आईआईपीएस के डॉ. एफ. राम ने 13 सितम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिए गए प्रस्तुतीकरण तथा बैठक में की गई चर्चाओं के आधार पर, एनएससी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एनएफएचएस-4 की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं नोट की गईं।

(1) एनएफएचएस-4 वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित किया जाएगा। सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में संचालन समिति ने 19.08.2013 को अपनी बैठक में एनएफएचएस-4 प्रस्ताव अनुमोदित किया। डा. एन.एस. शास्त्री, एनएसएसओ के पूर्व महानिदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति सर्वेक्षण के तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन करता रहा है।

(2) एनएफएचएस-4 में एनएफएचएस-3 जैसे समानताएं हैं। एनएफएचएस-4 के कार्य क्षेत्र का एनएफएचएस-3 की तुलना में अधिक विस्तार किया गया है।

(3) एनएफएचएस-4, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 11 समूहों के लिए (15-49 वर्ष की आयु) तथा पुरुषों (15-54 वर्ष की आयु) के लिए एचआईवी मौजूदगी पर सूचना उपलब्ध कराएगा।

(4) एनएफएचएस-4 में महिला (15-49 वर्ष आयु की), पुरुष (15-54 आयु वर्ग के) तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की खून की कमी की जांच तथा ऊंचाई और भार मापना शामिल किया जाएगा।

(5) क्लिनिकल, मानवमितिय और जैव-रासायनिक जांच के प्रक्षेत्र में जिला स्तर पर सूचना दिए जाने के अनुमानों सहित रक्त ग्लुकोज और उच्च रक्तचाप मापन को शामिल करने के लिए एनएफएचएस-4 में आगे विस्तार किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्यक्षेत्र अन्य विषय श्रेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है।

(6) एनएफएचएस-4, 30-70 प्रतिशत के मध्य शहरीकरण का स्तर रखने वाले 157 जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक अनुमानों से सभी 640 जिलों के जिला स्तर पर अधिकांश संकेतकों का अनुमान उपलब्ध कराएगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए, एनएफएचएस-4 का प्रतिदर्श आकार एनएफएचएस-3 में से लगभग एक लाख परिवारों से अधिक अर्थात लगभग 5.68 लाख परिवार होने की संभावना है।

(7) एनएफएचएस को केवल (राज्य स्तर पर यौनिक व्यवहार, एचआईवी/एड्स ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार तथा घरेलू हिंसा संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जबकि अधिकांश अन्य संकेतकों की सूचना जिला स्तर दी जाएगी। परिवारों के 15 प्रतिशत का उप-प्रतिदर्श का जिला मॉडयूलों के अलावा राज्य मॉडयूल के कार्यान्वयन के लिए चयन किया जाएगा। परिवारों के 15 प्रतिशत में, एक लंबी प्रश्नावली का प्रचार किया जाएगा जिसमें राज्य मॉडयूल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रश्नों सहित जिला स्तर के अनुमानों हेतु सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है।

(8) राज्य माड्यूल के कार्यान्वयन के लिए प्रतिदर्श आकार तुलनात्मकता को सुसाध्य बनाने के लिए एनएफएचएस-3 में राज्य स्तरीय प्रतिदर्श आकार के लगभग समकक्ष होगा।

(9) लगभग 12-15 फील्ड एजेंसियों (एफए) का कम्प्यूटर सहायता प्राप्त व्यैक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई) के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण के कार्यान्वयन के लिए चयन किया जाएगा।

4.28 एनएससी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 232 के तहत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित "सांख्यिकी सर्वेक्षणों को संचालित करने संबंधी दिशानिर्देशों" के आलोक में उक्त उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा उल्लेख किया गया कि किसी परिवार में प्रत्येक अनुसूची का प्रचार करने के लिए अपेक्षित समय लगभग 1½ घंटे होगा तथा बायो मार्कर्स संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए एनएफएचएस-4 में और अधिक समय अपेक्षित होगा। एनएफएचएस-4 में योजनाबद्ध फील्ड कार्य के चरण को भी एनएससी द्वारा नोट किया गया।

4.29 एनएससी ने इस संभावना के बारे में चिंता जताई कि एनएफएचएस-4 के कार्य क्षेत्र में विस्तार के द्वारा लागू किए गए प्रतिदर्श आकार तथा जटिलताओं में चार गुना से अधिक वृद्धि के कारण गैर-प्रतिचयन त्रुटियों में वृद्धि हो सकती है। इस पहलू पर विचार करते हुए, सभी अन्य संबंधित कारकों के बारे में एनएससी ने डीओएचएफडब्ल्यू को इस प्रकार सलाह दी :

(1) एनएससी ने देखा कि राज्य माड्यूल का क्षेत्र और आकार ऐसा है कि एनएफएचएस-3 के साथ तुलनीय बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके आलोक में तथा यह मानते हुए कि गैर-प्रतिचयन त्रुटियों पर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण और फील्ड कार्य को चरणबद्ध करना महत्वपूर्ण हैं, एनएससी ने जिला माड्यूल से पहले राज्य मॉड्यूल के समापन को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी।

(2) पहले राज्य माड्यूल को प्रारंभ करना एनएफएचएस-3 के साथ तुलनीयता को पूरा करना सुनिश्चित करेगा तथा साथ ही जिला माड्यूल में गैर-प्रतिचयन त्रुटियों को कम करना सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को चरणबद्ध करने के कार्य को सहज बनाएगा। इसके साथ, एनएससी ने महसूस किया कि एनएफएचएस-3 तथा एनएफएचएस-4 में संभव गैर-तुलनीयता के अवसर को न्यूनतम करेगा। फिर भी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्पष्ट सभी अपेक्षाओं के आंकड़े उपलब्ध होंगे। यह राज्य मॉड्यूल के आधार पर परिणामों को शीघ्र जारी करने को भी सुसाध्य बनाएगा।

(3) इसकी शुरूआत में ही प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक दल को रखने की आवश्यकता होगी, ताकि उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जा

सके तथा प्राथमिकता के आधार पर राज्य माड्यूल पूरा करवाया जा सके। अतिरिक्त दलों के साथ इसकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और बाद में उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद में उन्हें कार्य पर रखने से पहले

(4) फील्ड कार्य कड़े पर्यवेक्षण के अंतर्ग होना चाहिए तथा भरी गई सूचना की पूरी तरह से जांच कारवाई जानी चाहिए।

(5) एनएसी की उपरोक्त उल्लिखित सलाह को उचित कार्रवाई हेतु तकनीकी सलाहकार समिति के ध्यान में लाया जाए। समिति के उत्तर के बारे में एनएससी को सूचित किया जाए।

4.30 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने उनके द्वारा गठित टीएसी के समक्ष एनएससी की उपरोक्त सलाह रखी। टीएसी ने 30 सितम्बर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में एनएससी की सलाह पर विचार किया। टीएसी की अनुशंसाएं/टिप्पणियां सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित की गई हैं तथा इन्हें टीएसी की बैठक के कार्यवृत्त के साथ 11 अक्तूबर, 2013 के अपने पत्र के तहत एनएससी को भेजा गया। कार्यवृत्त में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं का सारांश दिया गया है :

(1) एनएफएचएस-3 के अभ्यास के बाद एनएफएचएस-4 दो चरणों में संचालित किया जाएगा।

(2) पूर्ण एनएफएचएस-4 प्रतिदर्श, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के अनुमानों को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स आदि जैसे केवल कुछ संकेतकों के लिए, अनुमानों को कुल प्रतिदर्श परिवारों के 15 प्रतिशत में प्रचार करने के लिए अतिरिक्त प्रश्नों पर आधारित होंगे। अत: यह प्रतिदर्श के एक भाग को पहले तथा शेष प्रतिदर्श को बाद में शामिल करने के लिए प्रचालन की दृष्टि से कठिन तथा अव्यावहारिक होगा।

(3) लगभग सभी टीएसी सदस्यों ने स्पष्ट रूप में बताया कि एनएफएचएस-4 के इसी सर्वेक्षण से अनुमानों के दो सेट उपलब्ध कराने चाहिएं। एनएफएचएस-4 आंकड़े जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा यदि कोई घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स आदि पर अतिरिक्त सूचना एकत्र करने के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत प्रतिदर्श परिवारों पर आधारित अनुमान तैयार करना चाहता है तो वह अथवा वह (स्त्री) ऐसा कर सकता/सकती है।

(4) टीएसी, गैर प्रतिचयन त्रुटि का नियंत्रण करने के बारे में एनएससी की चिंता को समझती है तथा यह अनुशंसा करती है कि फील्ड कार्य, त्वरित फीडबैक आदि की स्थान पर ही जांच के माध्यम से गैर-प्रतिचयन त्रुटियों की जांच के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं।

(5) कम्प्यूटर सहायता प्राप्त वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई) का प्रयोग आंकड़ा प्रविष्टि, स्कीम पैटर्न, भिन्न-भिन्न मदों पर सूचना में अनिश्चतता के कारण होने वाली त्रुटियों के नियंत्रण में सहायता करेगा। सीएपीआई साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक फील्ड एजेंसी के लिए आंकड़ा गुणवत्ता तालिकाएं उपलब्ध कराकर आंकड़ा गुणवत्ता की वास्तविक निगरानी की भी अनुमति देगा।

एजेंसियों/टीमों को नियमित फीडबैक आंकड़ों की गुणवत्ता के सुधार सहायता करेगा। यह "एनएफएचएस-4 की एक खास विशेषता होगी।

4.31 दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 के उक्त पत्र के जवाब में सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को संबोधित दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 को अपने पत्र के तहत एएससी अध्यक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों पर चिंता व्यक्त की :

(1) टीएसी विचार-विमर्शों का सारा अभिप्राय यह सुझाव देना लगता है कि प्रतिदर्श का आकार तथा पर्यवेक्षण का तरीका गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का नियंत्रण करने में पर्याप्त रहेगा तथा सर्वेक्षणों की पिछली श्रृंखलाओं के साथ तुलना संबंधी मामलों को हल करेगा।

(2) इस अवसर के प्रतिदर्श में तथा साथी संगठनों की एक बहुत बड़ी संख्या का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण कार्यप्रणाली में छोटे सर्वेक्षणों, जो अधिक समन्वित तरीके से कार्यान्वित किए जाते हैं, की तुलना में अपरिहार्य रूप से अधिक गैर-प्रतिचयन त्रुटियां रहेंगी। ऐसी स्थिति में, जबकि समान गैर-प्रतिचयन त्रुटियों के बारे में कुछ करना पूरी तरह से व्यवहार्य नहीं हो सकता, कम से कम प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि ऐसे गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का अनुमान लगाया जा सके और उसके उचित संशोधन किया जा सके। अंतर प्रवेशन प्रतिदर्श कार्यप्रणाली ऐसा करने का एक मार्ग है। इस कार्यप्रणाली पर भी विचार तक नहीं किया गया और वह तरीके से सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है अर्थात जिला-दर-जिला, संभवत: यह व्यवहार्य नहीं है।

(3) ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि टीएसी को यह विदित होना चाहिए कि सर्वेक्षण अनुसूचियां, जो पूर्ण रूप से मानकीकृत नहीं हैं, अनिवार्यत: सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के उत्तर में भिन्नता प्रस्तुत करेंगी। एनएफएचएस-4 में, प्रतिदर्श (राज्य प्रतिदर्श) का 15 प्रतिशत शेष 88 प्रतिशत से काफी बड़ी अनुसूची होगी। यदि इन अनुसूचियों से आंकड़े दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो अनुमानों का गंभीर सम्मिश्रण हो सकता है। दूसरी तरफ, यह 15 प्रतिशत के जैसा है, जिसकी एनएफएचएस के पूर्ववर्ती तीन दौरों से तुलना की जाएगी। शेष 85 प्रतिशत बायोमीट्रिक को छोड़कर कड़ाई से तुलनीय नहीं होंगे। इस गड़बड़ का कैसे समाधान किया जा सकता है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है।

4.32 अध्यक्ष, एनएससी ने भी 28 अक्तूबर, 2003 के अपने पत्र में सुझाव दिया कि टीएसी इन मुद्दों का समाधान करने के लिए एनएससी से मिले। तदनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के टीएसी के अध्यक्ष और सदस्यों ने गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का नियंत्रण करने के लिए एनएफएचएस-4 में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों पर अपनी 62वीं बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

4.33 यह माना गया कि एनएफएचएस-4 को जिला स्तर पर नीति संबंधी हस्तक्षेपों के लिए आवश्यक सूत्र प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय अनुमान उपलब्ध कराना अपेक्षित है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अब तक आयोजित की जा रही डीएलएचएस श्रृंखलाओं को एनएफएचएस-4 आयोजित करने के उपरांत बंद कर दिया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि डीएलएचएस को एनएफएचएस-4 का विकास करने में एनएफएचएस के साथ एकीकृत किया गया है तथा इस कार्य से प्रतिदर्श आकार में वृद्धि हुई है। टीएसी द्वारा जोर दिया गया कि एनएफएचएस-4 जिला स्तरीय जनांकिकी तथा स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में सभी भावी एनएफएचएस के लिए बेंचमार्क होगा।

4.34 एनएफएचएस-4 के बारे में मुख्य चिंता गैर-प्रतिचयन त्रुटियां से संबंधित हैं, जो प्रतिदर्श आकार में भारी वृद्धि के कारण परिणामों में सम्मिश्रण कर सकते हैं, जिससे अंततः विगत के साथ तुलनीयता पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। गैर-प्रतिचयन त्रुटियां मुख्यतः अप्रामाणिक परिभाषाओं और अवधारणाओं, अशुद्ध प्रतिचयन ढांचों, असंतोषजनक प्रश्नावलियों, आंकड़ा संग्रहण, सारणीयन और कोडिंग की दोषपूर्ण पद्धतियों तथा प्रतिदर्श इकाइयों की अपूर्ण कवरेज के कारण होती हैं। ये त्रुटियां अननुमेय होती है और आसानी से नियंत्रित नहीं होती हैं। प्रतिचयन त्रुटि के नियंत्रण के विपरीत प्रतिदर्श आकार में वृद्धि से इस त्रुटि में वृद्धि हो सकती है। यदि इसे उचित ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो गैर-प्रतिचयन त्रुटियां व्यापक स्तर पर परिवार सर्वेक्षण के लिए प्रतिचयन त्रुटि से अधिक हानि पहुंचा सकती है। एनएफएचएस-4 में यह आशंका है कि गुणवत्तापरक परिवर्तनीय आंकड़े गैर-प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक प्रणव हो सकते हैं। चूंकि गैर-प्रतिचयन त्रुटि के स्रोत असंख्य हैं और भिन्न-भिन्न हैं इसलिए सर्वेक्षण में होने वाली समग्र गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का मूल्यांकन करना वास्तव में असंभव है। तथापि, गैर-प्रतिचयन त्रुटि के कुछ घटकों का अध्ययन और मूल्यांकन करना संभव है।

4.35 टीएसी ने अपने प्रस्तुतीकरण में चिंता के मुद्दों के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलुओं को सामने लाया :

(1) एनएफएचएस-4 में प्रश्नावलियों के विषयों में और अधिक प्रश्नों को जोड़कर वृद्धि की गई है, परंतु एनएफएचएस-3 प्रश्नावली के प्रश्नों को ज्यों का त्यों रखा गया है। दोहराए गए प्रश्नों के संबंध में प्राप्त सूचना तुलनात्मकता को सुसाध्य बनाएगी क्योंकि अवधारणाओं और परिभाषाओं में कोई परिवर्तन नहीं है।

(2) प्रबंध योग्य चरणों में संपूर्ण फील्ड प्रचालनों को विभक्त करना, फील्ड स्टाफ का तेजी से प्रशिक्षण, सीएपीआई के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण फील्ड एजेंसी का चयन और मूल स्टॉक में आवश्यक देखभाल, फील्ड स्टॉफ के लिए हितकर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने, प्रबोधन और पर्यवेक्षण के सुदृढ़ीकरण, फील्ड एजेंसियों और टीमों को वास्तविक समय पर फीडबैक उपलब्ध कराने हेतु नियमित रूप से आईआईपीएस पर वैधीकरण जांच करना, तीव्र फील्ड निगरानी, फील्ड कार्य के दौरान फील्ड जांच तालिकाओं के

माध्यम से सतत आंकड़ा मूल्यांकन तथा प्रगति के बारे में एफए सहित समीक्षा बैठकों को बुलाना और सर्वेक्षण के दौर में आंकड़ा गुणवत्ता मुद्दों जैसे उपायों के माध्यम से गैर-प्रतिचयन त्रुटियों को नियंत्रण में रखा जाएगा।

(3) इस आयाम के वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण में गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का आकलन बहुत कठिन है तथा सर्वेक्षण का निधियन करने वाले अन्य पणधारकों से सहमति प्राप्त कार्य योजना के अनुसार समय-सीमा उपलब्ध नहीं है। किसी प्रायोगिक योजना का संचालन करने के लिए समय नहीं बचता है।

(4) तुलनीयता के मुद्दे के संबंध में, एनएफएचएस-4 में उपलब्ध गैर-प्रतिदर्श (15 प्रतिशत) के परिणाम राज्य स्तर पर एनएफएचएस-3 के साथ तुलनीय होंगे। जिला स्तर पर, डीएलएचएस-4 के परिणाम एनएफएचएस-4 से तुलनीय होंगे।

4.36 एनएससी ने गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का नियंत्रण करने के लिए उक्त उपायों की सराहना की परंतु अपनी मूल चिंता को दोहराया कि प्रतिदर्श आकार में चार गुना वृद्धि गैर प्रतिचयन त्रुटियों के लिए जोखिम को बढ़ाएगा; और यह उत्सुकता जाहिर की कि ऐसी त्रुटियों का आकलन करने के विकल्पों ढूंढने की आवश्यकता है। अध्यक्ष, टीएसी ने भी इस बात पर सहमति दी कि यह बहुत वांछनीय होगा। यदि इस प्रकार का अनुमान सर्वेक्षण के भीतर ही किया जाए। इस संबंध में संपूर्ण प्रतिचयन योजना को एनएससी द्वारा देखा गया तथा यह सुझाव दिया गया कि टीएसी प्रतिदर्श (सैम्पल) को दो या अधिक उप-प्रतिदर्शों में विकसित करने पर विचार करे ताकि गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का अनुमान लगाने के लिए इस प्रकार स्वतंत्र रूप से जांच की जा सके। उदाहरण के तौर पर ऐसा करने का एक तरीका यह सुनिश्चित करने के बजाए कि प्रत्येक राज्य/क्षेत्र में कम से कम दो विभिन्न एजेंसियां इस कार्य में संलग्न है, एक एकल एजेंसी को दो से अधिक राज्यों/क्षेत्रों में आवंटन न करने के वर्तमान प्रस्ताव को आशोधित करने के जरिए होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फील्ड एजेंसियों की कुल संख्या यथा वांछनीय है मौजूदा प्रतिबंध समुचित रूप से आशोधित किए जाने चाहिए, यदि आवश्यक हो। चयनित एफएसयू के उपयुक्त विभाक्तिकरण के माध्यम से तथा प्रतैयक राजय और क्षेत्र के प्रत्येक जिले में दो उप-प्रतिदर्शों का सृजन करके अनुमान लगाए जा सकते हैं। चयनित उप-प्रतिदर्श का स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से प्रचार किया जाना है। आर्दशत: इन उप-प्रतिदर्शों को स्वतंत्र रूप से तैयार किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि एनएससी की 62वीं बैठक में विचार-विमर्श में नोट किया गया था, यह लैगोलिक असततता को जन्म दे सकता है जिससे फील्ड एजेंसियों की कार्यान्वयन लागत में वृद्धि होगी। यदि इस पर विचार किया जाता है तो वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार किया जाए : राज्य/क्षेत्र तथा जिलों के पूर्ण प्रतिदर्श मूल रूप से कार्य योजना के अनुसार तैयार किए जाएं; एफएसयू एक नक्शे पर तैयार किए जाएं, तथा राज्य और जिले भौगोलिक असततता को सुनिश्चित करते हुए प्रणालीबद्ध रूप से विभक्त किए जाएं परंतु प्रत्येक जिले में यथा संभव दो विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध कराने की भावना का अनुपालन किया जाए। यदि यह किया जाता है, तो ध्यानपूर्वक यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक एजेंसी, एक राज्य के भीतर प्रचालन करते हुए, राज्य की पूर्ण विविधता का कारगर रूप से प्रग्रहण करती है, चयनित उप-प्रतिदर्शों में अनुमानों की तुलना करते हुए गैर-प्रतिचयन त्रुटियों संबंधी कुछ

उपायों को करने के लिए दो प्रतिक्रियाएं सुसाध्य बनाए जाएंगी। विचार-विमर्श में विलय किए गए अनुमानों को तैयार करने से पूर्व, जांच से विभिन्न अनुसूचियों को दृष्टिगत रखते हुए पूल बनाने की योग्यता हेतु राज्य और जिला स्तरीय प्रतिदर्शों की सावधानी से जांच करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया। टीएसी के अध्यक्ष का भी यह विचार था कि गैर-प्रतिचयन त्रुटि का आकलन करने की योग्यता परिणामों की गुणवत्ता में प्रयोक्ता के विश्वास को बढ़ाएगी तथा दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए सहमति दी।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.37 एनएससी ने उक्त मुद्दों पर निम्नलिखित अनुशंसाएं की :

(1) एनएससी द्वारा सुझायी गई तर्जों पर एनएफएचएस-4 में गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का आकलन और नियंत्रण करने के कदम उठाए जाएं।

(2) पब्लिक डोमेन में रखे जाने वाले एनएफएचएस-4 के इकाई स्तरीय आंकड़े प्रयोक्ताओं द्वारा गैर-प्रतिचयन त्रुटियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए एजेंसियों, साक्षात्कार लेने वाले तथा पर्यवेक्षकों को सौंपे गए अनन्य कोड (नाम न रखे जाएं) हो सकते हैं।

(3) एनएफएचएस-4 संबंधी रिपोर्ट में एनएफएचएस-3 और डीएलएचएस-4 के साथ एनएफएचएस-4 के परिणामों की तुलनीय पर अध्याय शामिल किया जाए।

(4) मेटाडेटा की माध्यम से पूर्ण प्रलेखीकरण को भावी एनएफएचएस में और अधिक सुधारों को सुसाध्य बनाने हेतु पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

4.38 उक्त उल्लिखित अनुशंसाओं को शामिल करते हुए एनएससी की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को अग्रेषित किया गया। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 10 जनवरी, 2014 के अपने पत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया कि कुछ गैर-प्रतिचयन त्रुटियों की धारणा प्राप्त करने के लिए उप-प्रतिदर्शों का अंतर्वेशन करने का चयन करके दो राज्यों (झारखंड और केरल) में एक अध्ययन किया जाएगा ताकि बेंचमार्क के रूप में एनएफएचएस-4 आंकड़ों को संसाधित करना उचित हो सके तथा आईआईपीएस को टीएसी द्वारा यथा अनुशंसित एनएफएचएस-4 संचालित करने के लिए अनुदेश दिया गया है। अध्यक्ष, एनएससी के अनुमोदन से, सीएसआई द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2014 के अपने पत्र के तहत इस पत्राचार का जबाव दिया गया, जो इस प्रकार है :-

(1) लगता है कि गैर-प्रतिचयन त्रुटियों पर नियंत्रण करने के लिए आयोग द्वारा सुझाई गई कार्य योजना को संभाव्यत: प्रशासनिक समस्याओं की वजह से कार्यान्वयन के लिए पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया गया है। तथापि, झारखंड और केरल में अध्ययन को सीमित करने का विचार उपलब्ध परिस्थितियों में स्वागत योग्य कदम है।

(2) तुलनीयता के मुद्दों पर, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का पत्र यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि एनएफएचएस-4 ऐसी प्रकृति के भावी सर्वेक्षणों के लिए एक नया बैंचमार्क होगा तथा यह कि टीएसी पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों के साथ एनएफएएचएस-4 अनुमानों की तुलनीयता के बारे में प्रकट रूप से चिंतित नहीं है। यदि यह मामला है, तो एनएफएचएस-4 रिपोर्ट में साफ और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि एनएफएचएस-4 के परिणामों की पूर्ववर्ती एनएफएचएस दौरों के साथ तुलना नहीं की जा सकती तथा इसे विशुद्ध रूप से एक नए बेंचमार्क के रूप में समझा जाए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (नशीले पदार्थों का दुरूपयोग सर्वेक्षण)

4.39 एनएसएसओ और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशीले पदार्थों के दुरूपयोग संबंधी उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत तथ्यों का ब्योरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

4.40 नशीले पदार्थों के दुरूपयोग संबंधी प्राथमिक सर्वेक्षण, चार प्रतिदर्शों (एक शहरी ब्लाक पुणे शहर में तथा तीन ग्रामीण प्रतिदर्श, नागालैंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल में एक-एक) में जांच की अनुसूचियों की पूर्व जांच करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आग्रह पर एनएसएसओ द्वारा आयोजित किए गए। तदंतर, प्रो. अरिजीत चौधरी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा अनुशंसित कार्यप्रणाली के आधार पर, एक प्रायोगिक सर्वेक्षण तीन शहरों नामत: अमृतसर, मुंबई तथा इम्फाल में मार्च-अप्रैल, 2010 के दौरान आयोजित किया गया।

4.41 नशीले पदार्थों के प्रयोक्ताओं को नेटवर्क प्रतिचयन के माध्यम से उक्त उल्लिखित प्रायोगिक सर्वेक्षण में रखा गया, जहां चयन इकाइयों में नशील पदार्थों की लत छुड़ाने वाले केंद्र, नशीले पदार्थों लेने के अड्डे, वेश्यालय और कारावास को शामिल किया गया तथा प्रेक्षण इकाइयों की उनसे संबद्ध वास्तविक नशीले पदार्थों के प्रयोक्ता थे। फील्ड कार्य एनएसएसओ के पर्यवेक्षण में सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अभिज्ञात गैर-सरकारी संगठन के स्टाफ द्वारा कार्यान्वित किया गया। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, एनएसएसओ ने जनवरी, 2011 में रिपोर्ट प्रकाशित की।

4.42 एनएसएसओ द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच के बाद, सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग ने अल्प अनुमानों, निश्चित आयु-वर्ग की गैर-कवरेज, पंजाब/महाराष्ट्र/मणिपुर के समग्र राज्यों के बजाए अमृतसर, मुंबई और इम्फाल शहरों तक सीमित किए जा रहे प्रायोगिक सर्वेक्षण के सीमांकन तथा सर्वेक्षण में बेघर/फुटपाथ पर रहने वालों, बेघर बच्चों, कूड़ा बीनने वालों, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/स्कूल परिसरों/आसपास के क्षेत्रों, राजमार्गों/सड़क किनारे खाने पीने की दुकानों तथा शराब विक्रेताओं जैसी अन्य संचालित चयन इकाइयों की गैर-कवरेज से संबंधित कतिपय मुद्दे उठाए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने और अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि कुछ राज्यों को शामिल किया जा सके।

4.43 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रो. शिबदास बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में 21 अप्रैल, 2011 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया जिसमें प्रो. अरिजीत चौधरी उपस्थित थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रो. अरिजीत चौधरी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति नए सिरे से मामले को देखेगी तथा अंतिम निर्णय करेगी।

4.44 समीक्षा उपरांत तकनीकी समिति ने इस समिति के माध्यम से सटीक अनुमानन के संपूर्ण ढांचे रखने की महत्ता पर जोर दिया। तदनुसार, सर्वेक्षण का प्रतिचयन डिजाइन और कार्यप्रणाली से तकनीकी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया।

4.45 उक्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मणिपुर, महाराष्ट्र और पंजाब के सभी जिलों में चौधरी समिति द्वारा अनुशंसित तर्जों पर आयोजित की जाने वाली उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण की समग्र प्रगति का समन्वय और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीय समन्वयन समिति (सीसीसी) गठित की। संबंधित राज्य सरकारों को निर्धारित प्रपत्रों में सूची ढांचों की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान को राष्ट्रीय साधनों अर्थात, अनुदेश पुस्तिका, जांच की अनुसूचियों और सारणीयन योजना, आदि की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई। 9 जुलाई, 2013 को आयोजित केंद्रीय समन्वय समिति (सीसीसी) की बैठक में, प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रबंधनों पर विचार-विमर्श किया गया।

4.46 एनएसएसओ द्वारा आयोजित नशीले पदार्थों के दुरूपयोग पर एक प्रायोगिक सर्वेक्षण से उठने वाले मुद्दों तथा उक्त उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए 6 सितम्बर, 2013 को एनएससी की एक बैठक आयोजित की गई। एनएसएसओ के अधिकारियों ने, उन द्वारा किए गए प्रायोगिक सर्वेक्षण पर इस बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किए गए प्रायोगिक सर्वेक्षण के परिणामों तथा प्रतिचयन डिजाइनों के ब्योरा की व्याख्या की तथा उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए मणिपुर और पंजाब से प्राप्त सूची फ्रेमों में पाई गई कुछ समस्याओं को उजागर किया। बैठक में एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ तथ्य इस प्रकार हैं :-

(क) हानिकर नशीले पदार्थों के प्रचालन और निर्भरता पर प्रायोगिक सर्वेक्षण मार्च-अप्रैल, 2010 के दौरान तीन क्षेत्रों, नामत: अमृतसर, मुंबई और इम्फाल में आयोजित किए गए। 12 से 65 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी कुछ विशिष्ट नशीले पदार्थों का (जैसे, हेरोइन, अफीम, भांग, कोकीन

आदि) का सेवन किया है, को स्तरीय प्रतिबंधित नेटवर्क प्रतिचयन के माध्यम से सर्वेक्षण में शामिल किया गया।

(ख) परिवार से बाहर अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के अत्यधिक मौजूदगी के कारण, ऐसे नशीले पदार्थों के सेवन तथा सेवन के सापेक्ष दुलर्भता से जुड़े कलंक के कारण रिपोर्ट के अधीन परंपरागत परिवार सर्वेक्षण को वरीयता नहीं दी गई।

(ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रायोगिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त प्रतिचयन डिजाइन, अनुमानन प्रक्रिया और प्रचालन रीतियों की समीक्षा करने तथा उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा कार्य का सुझाव देने के लिए प्रो. अरिजीत चौधरी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की।

(घ) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि प्रायोगिक सर्वेक्षण में कम आकलन मुख्य रूप से अपूर्ण ढांचे के कारण है। समिति ने पूर्ववर्ती प्रायोगिक सर्वेक्षण में अंगीकृत नेटवर्क प्रतिचयन तकनीक का समर्थन किया तथा प्रत्येक राज्य में सभी स्तरों के लिए ढांचों की संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कहा।

(ङ.) प्रस्तावित उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण के लिए पंजाब और मणिपुर से सूची फ्रेम लिए गए। प्राप्त सूची फ्रेमों के वैधीकरण के आधार पर, एनएसएसओ ने पाया कि :

- पंजाब के संबंध में किसी भी फ्रेम में केवल 94 गांव (12715 में से) लिए गए, जिनमें से 65 गांव बरनाला और जालंधर जिलों से संबंधित हैं। किसी भी फ्रेम में छह जिलों से कोई गांव नहीं पाए गए। शहरी क्षेत्र के संबंध में, 160 कस्बों में से 49 को किसी भी फ्रेम में नहीं रखा गया।
- मणिपुर के संबंध में 2612 में से केवल 319 गांवों को किन्हीं फ्रेमों में रखा गया तथा 35 कस्बों में से, 27 किसी भी फ्रेम में रखे गए।
- उपलब्ध सूची फ्रेमों के अनुसार, 34 नशा मुक्ति केंद्र मणिपुर और 39 पंजाब में हैं। जब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अन्य स्रोतों के आलोक में देखा गया तो यह सूचना अपूर्ण लगी।

(च) उक्त उल्लिखित साक्ष्य प्रासंगिक उपलब्ध फ्रेम की अपूर्णता को दर्शाते हुए अन्य नशा मुक्ति केंद्रों की मौजूदगी की परिपुष्टि करते हैं।

(छ) मणिपुर में उपभोग के पॉकेटों की सूची के संबंध में, 2612 गांवों में से, केवल 268 गांवों ने कम से कम एक नशीले पदार्थों के सेवन के पॉकेट की

मौजूदगी की सूचना दी है तथा 35 कस्बों में से, 21 ने कम से कम एक पॉकेट की सूचना दी है। इसका तात्पर्य है कि शेष 90 प्रतिशत गांवों से नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को इन 268 गांवों तथा/अथवा मणिपुर के 21 कस्बों में नशीले पदार्थ सुलभ हो रहे हैं। हितधारकों द्वारा संभावित समस्या की गंभीरता को समझते हुए नशीले पदार्थों के सेवन की पॉकेट की सूची में 14 कस्बों (जिनमें से 10 इम्फाल से हैं) की अनुपस्थिति अत्यंत संदेहास्पद है।

(ज) नशीले पदार्थों को सेवन की पॉकेटों की सूची के बारे में स्थिति पंजाब के संबंध में बहुत भिन्न नहीं है। केवल 53 गांवों (1275 में से) ने नशीले पदार्थों के सेवन की कम से कम एक पॉकेट की मौजूदगी की सूचना दी। कुल जनगणना कस्बों के केवल 19 प्रतिशत (160 में से 31) ने कम से कम एक पॉकेट की मौजूदगी की सूचना दी।

(झ) उक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कवरेज के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण में चिंताजनक रूप से कम कवरेज किया गया। राज्य प्राधिकारियों द्वारा उजागार किए अनुसार नशीले पदार्थों के सेवन से व्यापक रूप से प्रभावित हो रही ग्रामीण जनता को महत्वपूर्ण परिदृश्य फ्रेमों में नहीं दर्शाया गया है।

(ञ) मुख्य रूप से सूची फ्रेमों की अपूर्णता के कारण अल्प-आकलन की सीमा का प्रस्तावित उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण में पहले से आयोजित प्रायोगिक सर्वेक्षण में आकलन नहीं किया जा सकता, इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई संपूर्ण फ्रेम तैयार करना संभव है।

4.47 इसके समक्ष रखे गए उक्त तथ्यों तथा सामग्री पर एनएससी द्वारा विचार किया गया। एनएससी ने प्रायोगिक सर्वेक्षण के लिए कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कमियों को नोट किया (आयोजित और प्रस्तावित)।

(i) कार्यप्रणाली को तैयार करने की अवधि में सभी धारणाओं की प्रायोगिक सर्वेक्षण में जांच किए जाने की जरूरत है। परंतु, लगता है कि यह नहीं की गई है। उदाहरणार्थ, प्रायोगिक सर्वेक्षण की सफलता तथा तत्संबंधी प्रयुक्त प्रतिचयन डिजाइन मुख्यत: इस सूची फ्रेम की संपूर्णता के इर्द-गिर्द घूमती है। सूची फ्रेमों की तैयारी के लिए गैर-सरकारी संगठन पर निर्भरता ऐसे निकायों की सीमित उपस्थिति वाले क्षेत्रों के विरूद्ध अवस्थिति पूर्वाग्रह का सृजन करती लगती है। प्रायोगिक सर्वेक्षण ने सूची फ्रेम की परिशुद्धता पर गणना करने की संभाव्यता की तलाश नहीं की क्योंकि फ्रेम में सूचीबद्ध न की गई उनके सुलभता मौकों के बारे में सूचनादाताओं की जांच की गई। इस फ्रेम की संपूर्णता पर संबंधित राज्य सरकार से प्रमाणन की मांग करना पर्याप्त नहीं

होगा, क्योंकि उपयोग के पॉकेटों और व्यसन केंद्रों जैसे फ्रेम में कुछ तत्व, गत्यात्मक विशेषता वाले हैं।

(ii) सर्वेक्षण में लक्षित विशिष्ट नशीले पदार्थों की सूची में मांग की मौजूदगी सूची फ्रेम की तैयारी को लगभग असंभव बनाती है, क्योंकि व्यापक विस्तार की उपलब्धता के कारण सभी स्थितियों को सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो सकता।

(iii) यदि सूची फ्रेम की संपूर्णता को सुनिश्चित करना संभव नहीं है, सर्वेक्षण में एकमात्र नेटवर्क प्रतिचयन डिजाइन को नियोजन करने के लिए संदेहास्पद बनाता है।

(iv) विनिर्दिष्ट नशीले पदार्थों में, प्रयोक्ताओं से यह समझना आवश्यक होगा कि क्या सर्वेक्षण नशीले पदार्थों के सभी प्रकारों को शामिल करना चाहिए अथवा उन पदार्थों को जिनका दुरूपयोग किया जा सकता है। इस मुद्दे से कम से कम तीन प्रकार की स्थितियों अर्थात नशीले पदार्थों जिनका सेवन अवैध है, नशीले पदार्थों जिनका सेवन विधायी है परंतु निर्धारण के अनुसार नहीं है, तथा नशीले पदार्थों का दुरूपयोग इनकी उपलब्धता की प्रकृति के कारण व्यापक है। प्रत्येक स्थिति में अंगीकार की जाने वाली कार्यप्रणाली दृष्टिकोण और प्रतिचयन तकनीक भिन्न हो सकती हैं। इस पहलू पर प्रायोगिक सर्वेक्षण में उचित रूप से विचार नहीं किया गया।

(v) आयोजित प्रायोगिक सर्वेक्षण आंके गए महत्व से नि:स्संदेह अधिक रहा। कम अंकन के विस्तार का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह मामला होते हुए, मुद्दों और कमियों की देखरेख के बिना, इन्हीं तर्जों पर अन्य प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करना उचित नहीं हो सकता।

4.48 एनएससी ने नोट किया कि नशीले पदार्थों का दुरूपयोग सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का संयुक्त उद्यम है, चूंकि तकनीकी सहायता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा सर्वेक्षण के वास्तविक आयोजन की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा देखरेख की जाती है। एनएससी के नोटिस में यह भी लाया गया कि स्वास्थ्य और मानव सेवा के संयुक्त राज्य विभाग द्वारा वर्ष 1990 से नियमित रूप से नशीले पदार्थों को दुरूपयोग संबंधी वार्षिक राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण किया जाता रहा है।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.49 उक्त को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने अनुशंसा की कि :

(क) प्रस्तावित उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करके कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

(क) प्रस्तावित उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करके कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा।

(ख) उक्त उल्लिखित चिंताओं तथा अन्य प्रासंगिक कारकों का निवारण करने के लिए नए सिरे से कार्यप्रणाली तथा प्रतिचयन डिजाइन की देखरेख किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न परिस्थितियों से निपटने हेतु भिन्न विकल्प अथवा तत्संबंधी संयोजनों को विकसित किए जाने की जरूरत है। शामिल किए जाने वाले नशीले पदार्थों की सूची तथा सूची फ्रेमों को तैयार करने की प्रक्रिया की देखरेख की जाने की जरूरत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इन प्रयोजनों के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाए।

(ग) कार्यकारी समूह द्वारा तैयार नई कार्यप्रणाली के अनुसार पंजाब के दो जिलों (पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूची फ्रेम में शामिल किया गया एक जिला तथा शामिल न किया गया एक जिला) में नए सिरे से प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। यह कार्यकारी समूह के निरीक्षण के अंतर्गत प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाना चाहिए; ताकि समस्त कार्यप्रणाली प्रकारों तथा पूर्वानुमान प्रायोगिक सर्वेक्षण में व्यावसायिक रूप से जांच की जा सके।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए संसाधनों का प्रबंध करेगा तथा सर्वेक्षण आयोजित करने में पंजाब सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों की सहायता को सूचीबद्ध करेगा।

(ड.) कार्यकारी समूह को गैर-प्रतिचयन त्रुटियों पर सापेक्ष मानक त्रुटियों और अनुमानों के साथ प्रायोगिक सर्वेक्षण में संग्रहित आंकड़ों के आधार पर अनुमानन प्रक्रियाओं और अनुमान उत्पादन का विकास करना चाहिए।

(च) प्रायोगिक (पॉयलट) के परिणामों के आधार पर, नशीले पदार्थों के दुरूपयोग संबंधी राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनुमान लगाने हेतु कार्यकारी समूह को उपयुक्त कार्यप्रणाली की अनुशंसा करनी चाहिए।

(छ) अध्यक्ष, एनएससी के अनुमोदन से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यकारी समूह की संरचना तथा विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.50 उक्त अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यक्रम के फलस्वरूप, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पंजाब के दो जिलों (पंजाब सरकार द्वारा भेजी गए सूची फ्रेम में शामिल किए गए एक जिले तथा शामिल न किए गए एक जिले) में फील्ड सर्वेक्षण आयोजित करने की उनकी सहमति देने हेतु अनुरोध किया गया जिसके लिए वह विभाग पंजाब सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों की सहायता को सूचीबद्ध करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ संसाधन उपलब्ध कराएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उल्लेख

किया कि फील्ड सर्वेक्षण पंजाब के प्रत्येक दोनों जिलों तथा मणिपुर में आयोजित किया जाना चाहिए तथा उसके अध्यधीन, अपनी सहमति दी। सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा महानिदेशक, एनएसएसओ ने अपनी सहमति जताई कि प्रस्तावित प्रायोगिक सर्वेक्षण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुझाव के अनुसार दोनों राज्यों में आयोजित किया जा सके।

4.51 उक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 21 अक्तूबर, 2013 के आदेश सं. 4(60)/2013-एनएससी (भाग-2) के तहत, महानिदेशक, एनएसएसओ की अध्यक्षता में कार्यकारी समूह गठित किया गया। कार्यकारी समूह के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(क) निम्नलिखित मुद्दों की जांच के उपरांत एक प्रायोगिक सर्वेक्षण में जांच करने के प्रयोजनार्थ समुचित वैकल्पिक कार्यप्रणालियां तैयार करना, नामत:

(i) नशीले पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी सर्वेक्षण में शामिल की जाने वाले नशीले पदार्थ क्या है; विशिष्ट रूप से उनको हटाने की मांग करना जो व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।

(ii) सूची फ्रेमों को तैयार करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?

(iii) क्या, सूची फ्रेमों को अभिज्ञात करने की प्रक्रिया, जो पूर्ववर्ती प्रायोगिक सर्वेक्षण में अपनाई गई थी, में लक्षित जनसंख्या अर्थात संपूर्ण, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग में संलग्न व्यक्तियों का पता लगाना व्यवहार्य है।

(iv) यदि, (iii) का उत्तर "नहीं" है, तो क्या ऐसी उप-जनसंख्या में नेटवर्क प्रतिचयन के माध्यम से सर्वेक्षण आयोजित करने तथा एनएसएस में अपनाए गए सामान्यत: दो चरण के डिजाइन में शेष परिवारों का सर्वेक्षण करने के संबंध में परिवारों की पृथक उप-जनसंख्या के निर्माणार्थ सूची फ्रेम का उपयोग करना संभव है?

(v) क्या नशीले पदार्थों के दुरूपयोग पर वार्षिक राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण आयोजित करने में संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं विभाग द्वारा अनुसरित दृष्टिकोण भारतीय परिस्थितियों में अनुपालन किए जाने हेतु उपयुक्त होगा?

(vi) दो चरणीय एनएसएस प्रतिचयन डिजाइन प्रयोजन हेतु ऐसे क्षेत्रों जहां अवैध नशीले पदार्थों और मन: प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में बार-बार प्रयुक्त रासायनिकों का उत्पादन किया जाता है, सहित प्रशासनिक रिकार्ड के माध्यम से पृथक उप जनसंख्या (क्षेत्र ढांचे) जिनमें नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की संभावना है, का पता लगाना संभव है?

(ख) तैयार की गई सभी कार्यप्रणालियों की जांच करने के लिए पंजाब और मणिपुर प्रत्येक राज्यों के दो जिलों (संबंधित राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सूची फ्रेम में शामिल किया गया एक जिला और शामिल किया गया एक जिला) फील्ड सर्वेक्षण आयोजित करना।

(ग) गैर-प्रतिचयन त्रुटियों पर सापेक्ष मानक त्रुटियों और अनुमानों के साथ एकत्र आंकड़ों के आधार पर अनुमानन प्रक्रियाएं तथा अनुमानों का अंकन विकसित करना।

(घ) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनुमान लगाने के लिए नशीले पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण की उपयुक्त कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

4.52 कार्यकारी समूह ने कार्यकरण प्रारंभ किया। कार्यकारी समूह का कार्यकाल छह माह है। एनएससी ने अनुशंसा की कि कार्यकारी समूह की रिपोर्ट इसके समक्ष रखी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

4.53 आरबीआई तथा सेबी ने संबंधित संगठनों में संचालित कारपोरेट क्षेत्र तथा शेष अदायगी सांख्यिकी पर विस्तृत नोट उपलब्ध कराए। संगठनों के अधिकारियों ने अपनी 65वीं बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। इन संगठनों द्वारा आंतरिक उपयोग के अलावा, राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में सीएसओ द्वारा सांख्यिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया।

4.54 कारपोरेट सेक्टर पर आंकड़े कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सेबी तथा आयकर विभाग द्वारा सांविधिक रूप से एकत्र किए जाते हैं। एमसीए डेटाबेस, जो वर्तमान में आरबीआई तथा सीसएसओ द्वारा उपयोग में लाया जाता है, अभी विकासशील मोड में है। एमसीए ने बड़ी कंपनियों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति के लिए एक्स बीआरएल वर्गीकरण प्रारंभ किया है। सीएसओ और आरबीआई को आंकड़ें सुलभ कराए गए। आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन के लिए सीएसओ को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराकर आरबीआई द्वारा अनुमान लगाने तथा वृद्धि दरों हेतु किया जाता है। एनएससी ने आरबीआई तथा सेबी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और बिंदुओं को नोट किया। प्रो. बी एन गोलदार, सदस्य एनएससी की अध्यक्षता में समिति के रूप में एनएससी कारपोरेट सांख्यिकी की देखरेख कर रही है, समिति के कार्य के समापन पर यदि आवश्यक होगा, तो मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

4.55 एनएससी ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित अनुशंसाएं/टिप्पणियां की :

(1) आरबीआई सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अंतर्गत अपने कुछ सर्वेक्षणों (स्वैच्छिक प्रत्युत्तरों के आधार पर वर्तमान में क्रियान्वित) को आयोजित करने पर विचार करे।

(2) उल्लेख किया गया कि सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सांविधिक विवरणियों (त्रैमासिक और वार्षिक) की ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए एक समर्पित पोर्टल

बनाया है। इसमें सुझाव दिया गया था कि आरबीआई तथा सीएसओ अपने प्रयोजनों, विशेषकर यह देखने के लिए कि क्या इस डेटा का उपयोग अधिक तीव्र गति से त्रैमासिक अनुमान लगाने में किया जा सकता था, के लिए पोर्टल के आंकड़ा आधार को सीधे उपयोग करने की तलाश करे।

(3) उल्लेख किया गया कि औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण अनुसूची के ब्लॉक-4 में संग्रहित आंकड़ों का इस समय आरबीआई द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। एनएससी ने महसूस किया कि आंकड़ों की अनुसंधान में उपयोग के लिए काफी संभावना है तथा इच्छा जताई कि आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

(4) देखा गया कि इस समय सेवा निर्यात के उद्देश्य (देशवार) पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। एनएससी ने इच्छा जताई कि आरबीआई सीमांकन संबंधी उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ उन्हें जारी करने पर विचार करे।

(5) एनएससी ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या राज्य/स्थिति (ग्रामीण/शहरी) द्वारा निवेशकों और उनकी निवेश के क्रियाकलापों की विस्तृत सांख्यिकी रूपरेखा उपलब्ध कराई जा सकती है तथा क्या गैर-कारपोरेट बाजार मध्यस्थों की सांख्यिकी रूपरेखा बनाई जा सकती है।

(6) सेबी, आरबीआई तथा सीएसओ के परामर्श से संकलन की समीक्षा करे तथा इसके डेटाबेस से सांख्यिकी पैरामीटरों पर सूचना का प्रचार करे।

(7) सीएसओ और आरबीआई अपनी सांविधिक विवरणियों के माध्यम से आरबीआई द्वारा उत्पन्न विदेशी सहायक कंपनियों पर सूचना की उपयोग की जांच करें।

(8) सुझाव दिया गया कि क्या एनआरआई द्वारा भेजी गई रकम संबंधी सूचना का भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा भारत में इसकी प्राप्ति सहित सभी प्रकार की रकम को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा सकता है।

अध्याय-5

नई सांख्यिकीय पहलें

5.1 रिपोर्ट की आलोच्य अवधि के दौरान, सांख्यिकीय मोर्चे पर अनेक नई पहलें प्रारंभ की गई। नई पहलें मौजूदा आंकड़ा अद्यतनीयकरण से लेकर नए सांख्यिकी उत्पादों को लाने में प्रयोगमूलक तक रहीं। ब्योरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

संविदा श्रम का आकलन करना

5.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनएसएसओ के माध्यम से श्रम संविदा पर एक सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मंत्रालय के प्रस्ताव में विषयगत मामले के संबंध में परिभाषाओं और आंकड़ा आवश्यकताओं को शामिल किया गया। एनएससी ने अपनी 49वीं बैठक (मई, 2012 में आयोजित) में प्रस्ताव पर विचार किया तथा अनुशंसा की कि कार्यप्रणाली (प्रतिचयन डिजायन) तैयार करने, प्रायोगिक जांच करने, जो भी आवश्यक हो, के लिए प्रो. टी.एस. पपोला की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यकारी समूह का गठन किया जाए; तथा छह माह के भीतर एनएससी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एनएससी ने यह भी इच्छा जाहिर की कि श्रम और रोजगार मंत्रालय संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उनके द्वारा एकत्र सांख्यिकीय सूचना के ब्योरे की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए दी गई सलाह के ब्योरों को नोडल अधिकारी (सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अंतर्गत) द्वारा विचार किया जाए तथा यह कि सलाह का ब्योरा कार्यकारी समूह के समक्ष रखा जाए। एनएससी ने आगे बताया कि एक साथ कार्यकारी समूह की रिपोर्ट तथा नोडल अधिकारी की सलाह पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इन अनुशंसाओं के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त, 2012 में प्रो. पपोला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

5.3 पपोला समिति ने संभवत: अपने संदर्भ के विषयों में इस क्रियाकलाप को विशिष्ट रूप से उद्धृत न करने के कारण अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति से पूर्व प्रायोगिक जांच प्रारंभ नहीं की। समिति ने जुलाई, 2013 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :

(1) वर्तमान में संविदा श्रम संबंधी स्वतंत्र सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा प्रारंभ किया जाए परंतु, भविष्य में, संविदा श्रम संबंधी सूचना सर्वेक्षण अनुसूची में संविदा श्रम संबंधी विशेष माडयूल के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के भाग के रूप में एकत्र की जाए।

(2) संविदा श्रम संबंधी स्वतंत्र सर्वेक्षण के लिए, अनुसूची एनएसएसओ की रोजगार और बेराजगारी अनुसूची की तर्ज पर होगी तथा इस प्रकार अभिकल्पित की जाए कि (i) संविदा श्रम की विशेषताओं के साथ, प्रमुख रोजगार और बेरोजगार संकेतकों संबंधी अनुमान सभी कार्यकर्ताओं के लिए

विकसित किए जा सके, तथा (ii) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत संविदा श्रम के पृथक अनुमान उपलब्ध कराए जा सके।

(3) संविदा श्रम संबंधी स्वतंत्र सर्वेक्षण के लिए प्रतिचयन डिजाइन एनएसएसओ के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों में अनुसरित प्रतिचयन डिजाइन जैसा होगा।

(4) संविदा श्रम संबंधी स्वतंत्र सर्वेक्षण के लिए चयनित किए जाने वाले प्रतिदर्श एफएसयू की कुल संख्या सर्वेक्षण की अवधि तथा संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करते हुए एनएसएसओ के रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण में शामिल प्रतिदर्श एफएसयू की तर्ज पर होगी।

(5) संविदा श्रम की कवरेज को केवल उन संविदा श्रमिकों जो उद्यमों में संविदात्मक श्रम तक सीमित नहीं किया जाएगा, परंतु परिवारों/हाउसिंग सोसायटियों/सहकारी सोसायटियों/न्यास/अन्य गैर-लाभकारी संस्थानों आदि तक इसका विस्तार किया जाएगा। कार्यकारी समूह ने सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ संविदा श्रम की निम्नलिखित परिभाषा की अनुशंसा की :

"किसी संविदाकार द्वारा अथवा के माध्यम से उद्यम/परिवार/हाउसिंग सोसायटी/ सहकारी सोसायटी/न्यास/अन्य गैर-लाभप्रद संस्था आदि के कार्य में अथवा कार्य के संबंध में कोई व्यक्ति जो हायर किया गया हो एक संविदा श्रमिक के रूप में समझा जाएगा बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी पर्यवेक्षक/ प्रबंधक/प्रशासक की क्षमता में कार्य नहीं करता हो तथा संविदाकार का नियमित कर्मचारी नहीं हो।"

जहां उद्यम किसी एकल वास्तविक स्थल में स्थित संस्थागत इकाई होगी जिसमें वस्तुओं तथा/अथवा सेवा के उत्पादन तथा/अथवा वितरण जैसे आर्थिक कार्यकलाप का एक अथवा प्रमुख रूप से एक प्रकार कार्यान्वित किया जाता है, तो स्वयं के उपभोग का एकमात्र प्रयोजन नहीं हो तथा संविदाकार उद्यम/ परिवारों/हाउसिंग सोसायटियों/सहकारी सोसायटियों/न्यास/अन्य गैर-लाभप्रद संस्थाओं आदि के किसी कार्य/सेवाओं के लिए संविदा श्रम अथवा संविदा श्रम की आपूर्ति के माध्यम से उद्यमों/परिवारों/हाउसिंग सोसायटियों/सहकारी सोसायटियों/न्यास/अन्य गैर-लाभप्रद संस्थाओं आदि के लिए एक एजेंसी/ व्यक्ति होगा जो किसी दिए गए परिणाम (अर्थात वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन/संवितरण को प्रस्तुत करता है।

(6) उद्यमों के संबंध में सूचना संग्रहण जहां किए गए संविदा श्रम को उद्यमों की औद्योगिक कवरेज (अर्थात, कृषि और कृषि इतर उद्योग दोनों के लिए) तथा प्रचालन की अवधि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(7) सीएसओ तदनंतर आर्थिक गणना में अपनी जांच सूची के माध्यम से प्रत्येक गांव/ब्लॉक के सभी प्रतिष्ठानों से "संविदा श्रम की संख्या" पर आंकड़े संग्रहित करे।

(8) पूरे देश में संविदा श्रम संबंधी स्वतंत्र सर्वेक्षण करने से पूर्व कुछ राज्यों में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया जाए।

5.4 एनएससी सचिवालय द्वारा रिपोर्ट पर व्यक्त मतों के आलोक में, एनएससी ने अपनी 64वीं बैठक में पपोला समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया। एनएसएसओ को इस बैठक में रिपोर्ट पर प्रस्तुतीकरण देने तथा प्रस्तुतिकरण के दौरान एनएससी सचिवालय के विचारों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। एनएसएसओ से उस तरीके को दर्शाने का अनुरोध भी किया, जिससे श्रम और रोजगार मंत्रालय की आंकड़ा जरूरतों को रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरा किया जा सके। तदनुसार, एनएसएसओ अधिकारियों ने 64वीं बैठक में एनएससी के समक्ष समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रम ब्यूरो द्वारा व्यावसायिक आंकड़ा जरूरतों को एनएससी द्वारा नोट किया गया।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

5.5 उक्त उल्लिखित सामग्री के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(क) इसके आकलन हेतु "संविदा श्रम" पर परिभाषात्मक स्पष्टता अत्यधिक अपेक्षित है। संविदा श्रम का आकलन करने में वैकल्पिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। जबकि यह सच हो सकता है कि कोई भी दृष्टिकोण दृश्यमान प्रयोजनार्थ संपूर्ण नहीं होगा, इस मुद्दे के निराकरण के लिए सर्वाधिक एक उचित अथवा तत्संबंधी संयोजन का पता लगाना आवश्यक होगा।

(ख) एनएसएसओ इस फील्ड में विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रयोग करे तथा निष्कर्ष निकाले।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि नोडल अधिकारी की सलाह समिति को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार, एनएसएसओ से एनएससी द्वारा विचार करने के लिए सलाह भेजने का अनुरोध किया गया है।

भारत के लिए श्रम सांख्यिकीविदों (आईसीएलएस) और निहितार्थों पर 19वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाएं

5.6 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में 2-11 अक्तूबर, 2013 को जिनेवा में 19वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सांख्यिकीविद सम्मेलन (आईसीएलएस) आयोजित किया गया। श्री जी. सी. मन्ना, अपर महानिदेशक, सीएसओ (ईएसडी) ने सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर अपनी 64वीं बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

5.7 19वें आईसीएलएस के विचार-विमर्श का प्रमुख विषय रोजगार और बेरोजगारी सांख्यिकी में हुई उन्नति पर आईएलओ के कार्यकारी समूह द्वारा यथा प्रस्तावित कार्य सांख्यिकी के संबंध में संकल्प (संकल्प-1) विचार करना था। उक्त संकल्प, जिसे 19वें आईसीएलएस में अनुमोदित किया गया, का उद्देश्य इस विशेष फील्ड में अपनी मौजूदा सांख्यिकीय कार्यक्रमों को अद्यतन करने में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य सांख्यिकी के मानदंड निर्धारित करना था। ये मानदंड समेकित राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के भाग के रूप में कार्य सांख्यिकी के विभिन्न सब-सेटों के उत्पादन को सुसाध्य बनाते हैं।

5.8 19वें आईसीएलएस द्वारा अनुमोदित संकल्प सेवा के स्व-उपयोग उत्पादन और सेवा उत्पादनकर्ता परिवारों जो एसएनए उत्पादन सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, की स्वैच्छिक कार्य सहित कार्य के विभिन्न रूपों संबंधी आंकड़ा संग्रहण की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, रोजगार की परिभाषा में परिवर्तन का सुझाव दिया गया है जहां रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अब उन व्यक्तियों जो वेतन अथवा लाभ हेतु वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए (लघु) संदर्भ अवधि में किसी कार्य में संलग्न रहे हों, के रूप में परिभाषित किया गया है। रोजगार शब्द से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो नई परिभाषा के अनुसार "रोजगार" में नहीं थे तथा "रोजगार" करने के लिए उपलब्ध थे। "श्रम बल" शब्द में नियोजित तथा गैर-नियोजित व्यक्तियों को माना जाएगा, परंतु रोजगार और बेरोजगारी की परिभाषा में परिवर्तन के कारण प्रस्तावित संकल्प के अनुसार श्रम बल की मौजूदा पद्धति के अनुसार श्रम बल में सब-सेट होगा। देशों की नई अवधारणाओं में भारी परिवर्तन होने के वर्षों के दौरान मौजूदा और संशोधित अवधारणाओं का अनुपालन करना अपेक्षित होगा जिससे कि तुलनीय समय श्रृंखला उपलब्ध हो सके।

5.9 उक्त परिवर्तनों के अलावा, संकल्प उचित अभिधारक के साथ (क) समय संबंधित अल्प रोजगार की संयुक्त दर, (ख) बेरोजगारी और संभाव्य श्रम बल की संयुक्त दर, तथा (ग) श्रम के कम उपयोग (समय संबंधित अल्परोजगार, बेरोजगारी तथा गुणक में संभाव्य श्रम बल) उपाय, जहां संभाव्य श्रम बल में, व्यक्ति जो श्रम बल से बाहर थे परंतु या तो रोजगार ढूंढ रहे थे, शामिल हैं, यद्यपि इस समय वे रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं थे अथवा रोजगार के लिए उपलब्ध थे किन्तु रोजगार मांग नहीं थे, सहित बहुत से नए संकेतकों के संकलन की अनुशंसा करता है।

5.10 सम्मेलन की प्रारूप रिपोर्ट में पांच संकल्प नामत: कार्य सांख्यिकी से संबंधित संकल्प-I, बंधुआ मजदूरों की सांख्यिकी संबंधी कार्य से संबंधित संकल्प- II; सहकारिता की सांख्यिकी पर आगे कार्य करने से संबंधित संकल्प-III; श्रम आप्रवासन सांख्यिकी पर कार्य से संबंधित संकल्प-IV; तथा आईसीएलएस के कार्यकरण तथा इसके स्थायी आदेश के अद्ययतनीक रूप से संबंधित संकल्प-V शामिल किए गए हैं। उचित सहयोग के लिए आईएलओ द्वारा विधिवत नोट की गई कुछ लघु टिप्पणियों और सुझावों के साथ आईसीएलएस ने सम्मेलन की रिपोर्ट अंगीकार की।

5.11 आईसीएलएस संकल्प राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रहण कार्यनीति बनाने पर जोर देता है जो (क) उप-वार्षिक आधार पर, रोजगार, श्रम बल, श्रम के कम उपयोग आदि के प्रमुख समाहारों; (ख) वार्षिक आधार पर, श्रम बल तथा श्रम के कम उपयोग करने की विस्तृत सांख्यिकी और (ग) कम प्रायिक आधार पर, अत्यधिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिए स्व-उपयोग उत्पादन कार्य में भागीदारी तथा कार्यसमय, अदत्त प्रशिक्षु कार्य और स्वैच्छिक कार्य, तथा श्रम आप्रवासन, बाल श्रम, कार्य में जेंडर मुद्दों, रोजगार के अंदर और बाहर ट्रांजिशन, आदि जैसे विशेष विषयों पर सांख्यिकी की रिपोर्टिंग की अनुमति देता है।

5.12 आईसीएलएस संकल्प के अनुसार, रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) की जांच की अनुसूची में विभिन्न प्रकार के कार्यरूपों और अन्य संबद्ध सह-संबंधों पर आंकड़ों का प्रग्रहण करने के लिए आशोधनों की जरूरत है। इसके अलावा, आंकड़ा संग्रहण की संवर्धित बारम्बारता और लघु संदर्भ अवधि के साथ ईयूएस आयोजित करना कम आवश्यक प्रतीत होता है। उप-वार्षिक/त्रैमासिक अनुमान लगाने के प्रावधान के वार्षिक आधार पर इस कार्य को करने हेतु संसाधनों के प्रस्तरण के लिए इनके कार्यान्वयन की मांग की जाएगी।

5.13 कुछ वास्तविक परिवर्तन, जिनका भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में निराकरण किया जाना है, वे इस प्रकार हैं :

- सबसे पहली और प्रमुख चुनौती आंकड़ा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जांच की उपयुक्त अनुसूची की डिजाइनिंग है। प्रथम और अग्रवर्ती चुनौती होती हे। यद्यपि, एक लघु अनुसूची उप-वार्षिक/त्रैमासिक अनुमानों की मांगों को पूरा करने के लिए यथेष्ट होगी, परंतु वार्षिक आवश्यकताओं की जरूरत को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त चरों वाली जांच की अनुसूची पर विचार करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता।
- सेवाओं के स्व-उपयोग उत्पादन सहित कार्य के पांच विभिन्न रूपों की शिनाख्त जो बाह्य एसएनए उत्पादन सीमा है की अपेक्षा होगी तथा इन्हें उचित रूप से रखे जाने की जरूरत है।
- समय-संबंधित अल्प-रोजगार से संबंधित उपायों (नामत: जो, लघु संदर्भ अवधि के दौरान, अतिरिक्त घंटों में कार्य करना चाहते हैं, जिनका सभी कार्यों में कार्य करने का समय विनिर्दिष्ट घंटों की सीमा रेखा से कम था, तथा वे जो अतिरिक्त कार्य करने के लिए मिले अवसर पर उपलब्ध रहे) तथा मात्रात्मक उपायों को सुसाध्य बनाने के लिए, कार्य के समय संबंधी प्रासंगिक प्रश्न(नों) को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, शिष्टकार्य/रोजगार की गुणवत्ता से संबंधित संकेतकों का आकलन करने के लिए आय सहित कुछ सूचना मदों को भी शामिल किए जाने की जरूरत है।
- सूचना की अनेक नई मदों के समावेशन हेतु क्षतिपूर्ति करने के लिए, कुछ मौजूदा प्रश्नों/मदों को छोड़ना आवश्यक होगा ताकि अनुसूची का आकार यथोचित हो सके।
- आशोधित अनुसूची की पूर्व-जांच भी इसे अंतिम रूप देने से पूर्व उचित फीडबैक के लिए आवश्यक की जाए।

- लेवल की विश्वसनीय त्रैमासिक/वार्षिक अनुमानों तथा और अधिक महत्वूपूर्ण चुनौती पैरामीटरों को तैयार करने के लिए प्रतिदर्श आकार तथा संसाधन निहितार्थों वाली प्रतिचयन कार्यनीति को कार्यान्वित करने के लिए इस पर ठीक से विचार किए जाने की जरूरत है।
- अंततोगत्वा, आंकड़ा संग्रहण प्रणाली के मौजूदा दृष्टिकोण से किसी नए दृष्टिकोण में परिवर्तन के कम से कम एक अथवा दो वर्षों में ईयूएस तथा आशोधित ईयूएस की जांच की मौजूदा अनुसूची, दोनों का प्रचार किया जाना है ताकि विगत की तुलनात्मक समय श्रृंखला का अनुरक्षण किया जा सके। जांच की वैकल्पिक अनुसूचियों का प्रसार करने के संबंध में कार्यप्रणाली कारकों को अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। विशेषज्ञतः, अनेक विभिन्न आवधारणाओं और परिभाषाओं को शामिल करते हुए संबंधित अनुसूची प्रकारों के प्रचार करने के लिए तैनात किए जाने वालो व्यक्तियों तथा प्रत्येक एफएसयू परिवारों के प्रतिदर्श आकार के संबंध में निर्णय लिया जाना है। यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि एक अनुसूची प्रकार के प्रत्युत्तर अन्य अनुसूची के प्रत्युत्तरों पर प्रभाव नहीं डालते हैं।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

5.14 19वें आईसीएलएस में दिए गए मौजूदा और नए संकेतकों के सैट के माध्यम से कार्य के आकलन के संवर्धित अवसर रोजगार और बेरोजगारी को एनएससी द्वारा नोट किया गया है। यह महसूस किया गया कि नया फ्रेमवर्क रोजगार-बेरोजगारी का आकलन करने के साप्ताहिक स्तर दृष्टिकोण के लिए अधिक प्रवृत्त है। एनएससी ने इच्छा व्यक्त की कि भारतीय श्रम बल सर्वेक्षणों हेतु विकसित किया जाने वाला नया दृष्टिकोण प्रतिष्ठान सर्वेक्षणों में अनुसरित रोजगार की अवधारणा के साथ उपयुक्त रूप से समेकित किया जाना चाहिए तथा यह कि दांतेवाला समिति रिपोर्ट जो वर्तमान श्रम बल सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई है, इसको फिर से देखा जाए। यह भी महसूस किया गया कि 19वें आईसीएलएस में दिए गए संकेतकों की सूची भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक है तथा कि त्रैमासिक और वार्षिक सर्वेक्षण की सभी संकेतकों का आकलन करने के लिए योजना बनाई जाए। इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के संबंध में, जिनमें जांच की अनुसूचियों की फिर से जांच करना तथा अतिरिक्त संसाधन आवश्यकताओं का हल निकालना शामिल है, एनएससी ने अनुशंसा की कि एनएसएसओ परामर्श दस्तावेज तैयार करे तथा सभी हितधारकों और आंकड़ा प्रयोक्ताओं के विचार लेने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए।

राष्ट्रीय हरित लेखांकन

5.15 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त, 2011 में प्रो. सर पार्थ दास गुप्ता की अध्यक्षता में भारत की राष्ट्रीय हरित लेखांकन पर विशेषज्ञ समूह गठित किया। इस समूह ने मार्च, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट की अनुशंसाएं चार श्रेणियों में व्यापक सार रूप में देखी जा सकती है, जो नीचे दर्शाई गई है :

(i) प्रारंभिक फोकस भूमि, वन और इमारती लकड़ी तथा खनिजों के संबंध में वास्तविक आपूर्ति उपयोग तालिकाओं की तैयारी पर होगा, जो लघु समय अवधि में संभव होगा।

(ii) (क) भूमि, वन और इमारती लकड़ी तथा खनिजों के लिए वित्तीय आपूर्ति उपयोग तालिकाओं तथा (ख) मिट्टी, पानी, कार्बन और ऊर्जा की वास्तविक आपूर्ति उपोग तालिकाएं तैयार करने के लिए पंचवर्षीय मध्यम अवधि योजना बनाना।

(iii) राष्ट्रीय लेखाओं के और अधिक संपूर्ण सेट के मूल्यांकन और विकास पर प्रारंभिक अनुसंधान प्रारंभ करना।

(iv) (क) जलीय संसाधनों, वायु और जैवविधिता के संबंध में पर्यावरणीय लेखा (ख) आंकड़ों के आवधिक संग्रहण/आवधिक अध्ययनों और सर्वेक्षणों के तंत्र की संस्थापना करने हेतु दस वर्षीय दीर्घ अवधि योजना बनाना।

5.16 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिए 5-6 अप्रैल, 2013 के दौरान दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, सीएसओ (एसएसडी) ने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदमों को निर्धारित किया।

(1) प्रायोगिक आधार पर वन और भूमि में परिसंपत्तियों में बदलावों का आकलन करने सहित परिसंपत्ति लेखांकन की तैयारी।

(2) अगला, पर्यावरण के उन उप-क्षेत्रों जहां आंकड़े सहज उपलब्ध हैं के लिए पीएसयूटी तैयार करने से शुरूआत की जा सकती है। सरकारी सेटअप में पहले से संबंधित आंकड़ों की निष्पक्ष रूप से अच्छी मात्रा उपलब्ध है, तथा संपूर्ण तालिकाओं को तैयार करने के लिए उनके साथ उनका मिलान आवश्यक है। वन क्षेत्र और भूमि हेतु पीएसयूटी पहला उदाहरण पेश कर सकती है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्तालाप करने की जरूरत है, चयनित क्षेत्रों के मामले में भी (संवृत्त सूची में नहीं) जिस पर कार्य शुरू किया जाना है, क्योंकि तालिकाएं जिन्हें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा उनके साथ उपलब्ध आंकड़ों को भी तैयार किया जाएगा।

(4) अतिरिक्त, आंकड़ा जरूरतों के मुद्दों पर, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों दोनों को चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाना है। आंकड़ा आवश्यकताओं का मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने की जरूरत है।

(5) अन्य क्षेत्र, जहां वास्तविक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं, आंकड़ा प्रवाह सुनिश्चित करने के उपरांत बाद में लिया जाए तथा साथ ही संबंधित मुद्दों को हल किया जाए।

(6) जहां क्षेत्रीय/स्थानीय अध्ययन राष्ट्रीय स्तर अनुमानों हेतु परिवर्धित किए हैं, मूल्यांकन से संबंधित राय और मैतक्य बनाने तथा आंकड़ों की समग्र

संगतता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सतत सार्वजनिक वार्ता तथा अनुसंधान कार्य करने की प्रणाली तैयार की जाए।

(7) अध्ययनों को नियमित आंकड़ा प्रवाह प्रणाली में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसकी योजना बनाई जाए।

(8) उन क्षेत्रों जिनके लिए पीएसयूटी पहले से तैयार है, के लिए वित्तीय लेखांकन कार्य किया जाएगा। इससे पूर्व, उन क्षेत्रों जिनके लिए पीएसयूटी पहले से तैयार किया गया है मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया गया है।

(9) उनके पास उपलब्ध मौजूदा आंकड़ों की पूलिंग करने तथा अन्य स्रोतों के साथ जो पर्यावरण की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं तथा नए आंकड़ा सेटों के संग्रहण हेतु प्रणाली बनाने के संबंध में कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, खान मंत्रालय, आदि जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सतत विचार-विमर्श और वार्ता।

(10) राज्य स्तर पर पर्यावरणीय लेखांकन की उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए डाटा सेट संग्रहण के संबंध में चुनौतियों का सामना करना।

(11) (क) राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए माइक्रो स्तरीय अध्ययनों को समेकित करना तथा (ख) वैधीकरण प्रयोजनों हेतु कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना की तैयारी तथा अनुसंधान अध्ययन करना।

<u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

5.17 एनएससी ने अपनी 62वीं बैठक में सीएसओ (एसएसडी) द्वारा प्रस्तावित उक्त उल्लिखित कार्यान्वयन योजना को नोट किया। यह भी नोट किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग ने पर्यावरणीय सांख्यिकी के विकास के लिए अंतिम प्रारूप फ्रेमवर्क जारी किया। इन विकासों को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :

(क) प्रथम संचयन लेखाओं के संबंध में कार्य का संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया जाए तथा सीएसओ (एसएसडी) में कार्यान्वयन किया जाए। तथापि, जब तदनंतर कार्ययोजना प्रारंभ की जाती है, तो बेहतर होगा कि कार्य सीएसओ (एनएडी) में निष्पादित किया जाए।

(ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क्षमता निर्माण, इसकी सततता और विषय मामलों के विशेषज्ञों और संस्थाओं के साथ सतत कार्य के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

(ग) उक्त कार्य को शुरू करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध कराने की योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार की जाए।

(घ) संसाधनों की आवश्यकताओं (चरणवार) तथा अन्य उपायों पर एक विस्तृत विवरण तैयार किया जाए तथा एनएससी के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

आयोग की पृथक वेबसाइट

5.18 एनएससी के कार्यकलापों का ब्यौरा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट नामत:, 'mospi.gov.in' पर अपलोड किया जा रहा है। एनएससी की पृथक वेबसाइट उपलब्ध कराने का उद्देश्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को **"statcom.gov.in"** नाम का डोमेन प्राप्त हुआ जो 23.06.2008 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के gov.in डोमेन रजिस्ट्रार से पंजीकृत किया गया।

5.19 अपनी नई पंजीकृत वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में एनएससी के क्रियाकलापों को रखने के मुद्दों पर एनएससी द्वारा 10 जनवरी, 2010 में आयोजित अपनी 29 बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में, एनएससी ने नई वेबसाइट के माध्यम से अनावृत्त की जाने वाली 42 मदों की सूची अनुमोदित की। एनएससी द्वारा अपनी 60वीं बैठक में एक बार फिर से मामले की समीक्षा की गई तथा पाया गया था एनएससी को अपनी स्वयं ही वेबसाइट रखनी है ताकि इसके कार्यकलाप पब्लिक डोमेन में रखे जा सके और लोगों की (विशेषज्ञत:, विशेषज्ञ) एनएससी तक पहुंच बेहतर हो सके। इसके अलावा, एनएससी के पास एक स्वतंत्र वेबसाइट होनी चाहिए सरकार के साथ उसके निकट संबंध न केवल बनाए रखा जा सके बल्कि ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसके संकल्प सरकार के साथ में मेल खाते हैं।

5.20 एनएससी की नई वेबसाइट शुरू करने में वेब डिजाइनिंग, होस्टिंग तथा भावी रखरखाव शामिल है। नई वेबसाइट चालू हो जाने पर, एनएससी का ब्योरा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकट नहीं होगा बल्कि इस पर नई वेबसाइट का केवल लिंक प्रदर्शित होगा। इसके आलोक में, एनएससी ने इच्छा जताई कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नई वेबसाइट की वेब डिजाइनिंग, होस्टिंग और भावी रखरखाव के कार्य की आउटसोर्सिंग के लिए आगामी कदम उठाए।